

प्रतिबंधित
RESTRICTED

अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
दूसरी रिपोर्ट
SECOND REPORT OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993

1999



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय अभिलेखागार
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
नई दिल्ली
NEW DELHI
2002

अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
द्वितीय रिपोर्ट

1999



भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली
2002

विषय वस्तु

पृष्ठ

1	प्रस्तावना	4
2	आंकड़ों का विश्लेषण : सामान्य सूचना	5
3	विभागीय अभिलेख कक्ष	6
4	विभागीय अभिलेख अधिकारी	9
5	स्थान की भागीदारी	12
6	अर्ध प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखीकरण, समीक्षा व विनष्टीकरण	14
7	अभिलेखों का तालिकाकरण	19
8	अभिलेख - प्रतिधारण समय-सूची का संकलन	23
9	वर्गीकृत अभिलेखों का अव-श्रेणीकरण	26
10	निष्क्रिय आयोग / समितियाँ	30
11	अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई	33
12	संगठनात्मक इतिहास	36
13	'क' श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण	41
14	अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	43
15	संदर्भ माध्यम	45
16	अवाप्ति/अधिग्रहण	46

17	प्रतिधारण समय सूची की जाँच	48
18	परामर्श कार्य	49
19	प्रशिक्षण	51
20	अभिलेखीय जागरूकता	55
21	प्राथमिकताएँ	57

अनुबंध - I

अभिलेख महानिदेशक की लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन पर द्वितीय रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए सूचना प्रेषित करने वाले मंत्रालयों/विभागों /कार्यालयों की सूची 59

अनुबंध - II

अभिलेख महानिदेशक की लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन पर द्वितीय रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए सूचना प्रेषित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों की सूची 65

अनुबंध - III

विभागीय अभिलेख कक्ष में स्टाफ के सदस्यों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य एवं अभिलेख कक्ष हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं पर नोट 68

अनुबंध - IV

अर्धप्रचलित अभिलेख के अभिलेखीकरण, समीक्षा तथा तालिकाकरण की प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची 73

अनुबंध - V

वर्गीकृत अभिलेखों के अव श्रेणीकरण पर अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची 80

अनुबंध - VI

अभिलेख प्रबंधन पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची 87

प्रस्तावना

1.1 लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 8(2) के विहितार्थ के अनुसार अभिलेख महानिदेशक भारत सरकार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय) के द्वारा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अनुच्छेद (क) से (ड.) के अनुपालन में अभिलेख अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रतिवर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, परिपत्र संख्या 16/12/2000-आर एम दिनांक 18 जुलाई 2000 के तहत 1916 अभिलेख सर्जक अभिकरणों अर्थात् सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों आदि से वर्ष 1999 के दौरान उनके द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना लोक अभिलेख नियम 1997 के फार्म - 5 में भेजने का अनुरोध किया गया ताकि अभिलेख महानिदेशक उसका संकलन कर लोक अभिलेख अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर सकें।

1.2 प्रस्तुत रिपोर्ट अधिनियम के दायरे में आने वाली अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर उनके द्वारा वर्ष 1999 के दौरान की गई कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है:-

- (i) व्यवस्थित विभाग अभिलेख कक्ष की स्थापना; अभिलेख अधिकारी का नामांकन;
- (ii) अभिलेख अधिकारी एवं स्टाफ का प्रशिक्षण
- (iii) अर्धप्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी, अर्ध प्रचलित अभिलेखों का समय-समय पर अभिलेखीकरण, पुनरीक्षण एवं विनष्टीकरण,
- (iv) अर्ध प्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन
- (v) अभिलेखों की प्रतिधारण समय सूची का संकलन / पुनरावलोकन, वर्गीकृत अभिलेखों का समय-समय पर पुनरीक्षण,
- (vi) अभिलेखों के वार्षिक अनुक्रम का संकलन, संगठनात्मक इतिहास का संकलन तथा
- (vii) निष्क्रिय हो चुके निकाय आदि के अभिलेखों का हस्तांतरण

1.3 उपर्युक्त बिन्दुओं के बारे में विस्तृत सूचना रिपोर्ट के अगले अध्यायों में प्रस्तुत की गई है।

आंकड़ों का विश्लेषण

सामान्य सूचना

2.1 वर्ष 1999 के लिए लोक अभिलेख अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार के 1916 मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि से सूचना मांगी गई थी। लेकिन सिर्फ 157 संगठनों से ही सूचना प्राप्त हुई। दिनांक 18 जुलाई 2000 को जारी परिपत्र के प्रत्युत्तर में प्राप्त सूचना को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है :-

अभिलेख सर्जक अभिकरण	संगठनों की कुल संख्या	कुल प्राप्त उत्तर
मंत्रालय / विभाग	79	19
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय आदि	1337	89
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि	500	49
कुल	1916	157

उपर्युक्त विश्लेषणात्मक तालिका से यह स्पष्ट है कि प्रत्युत्तर बहुत ही निराशाजनक है तथा बहुत हद तक यह इस बात का द्योतक है कि अभिलेख सर्जक अभिकरण इस वैधानिक प्रावधान, जिसे गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए तथा जिसकी रिपोर्टिंग उचित समय पर की जानी अपेक्षित है, को न्यूनतम वरीयता देते हैं। 1916 संगठनों में से सिर्फ 157 संगठनों द्वारा सूचना प्रेषित की गई। अतः सिर्फ 8 % ने प्रत्युत्तर दिया जबकि 92 % संगठनों ने उत्तर दिया ही नहीं। यह बहुत ही दुःखद तस्वीर प्रस्तुत करता है तथा अभिलेख सर्जकों को इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि उक्त कानून के प्रावधानों के अनुसार वे अपनी अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों को कैसे दुरुस्त बना सकते हैं तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार को जब जरूरत पड़े सूचना की आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं।

2.3 उन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों जिन्होंने सूचना भेजी और जिसे इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, की सूची को अनुबंध - I पर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची को अनुबंध - II पर रखा गया है।

विभागीय अभिलेख कक्ष

3.1 एक व्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष का होना बेहतर अभिलेख प्रबंध प्रणाली की पूर्व शर्त है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उपधारा (2) में यह निर्देशित है कि सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को जहाँ वे उचित समझे, एक विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना करनी चाहिए तथा उसकी देख-रेख के लिए उन्हें एक अभिलेख अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना का उद्देश्य अभिलेखों का वैज्ञानिक परिरक्षण, पुनरीक्षण, तालिकाकरण करना तथा प्रतिधारण के लिए आवश्यक न समझे जाने वाले अभिलेखों के विनष्टीकरण को संभव बनाना है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उक्त प्रावधानों की ओर अभिलेख सर्जक अभिकरणों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनसे अपने मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना करने का अनुरोध किया। तथापि इस संबंध में प्राप्त प्रत्युत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के दायरे में आने वाले अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार की ओर से वैज्ञानिक तरीके से अभिलेख कक्ष की स्थापना के लिए अनुरोध किये जाने के बावजूद इस महत्वपूर्ण पहलू पर कम ध्यान दिया गया है। इस बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा और अधिक प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है। विभागीय अभिलेख कक्ष में स्टाफ के सदस्यों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य एवं अभिलेख कक्ष हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं पर नोट को अनुबंध -III पर देखा जा सकता है।

3.2 कुल मिला कर 152 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों ने सूचना प्रेषित की। इनमें से 107 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं तथा 45 सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण हैं। इस संबंध में प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है -

निम्नलिखित 54 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने यह सूचना दी कि उनके पास एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष है - रक्षा, विदेश, कोयला, रेलवे, भूतल परिवहन और जल संसाधन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, उर्वरक, आपूर्ति, आर्थिक-कार्य, खाद्य और उपभोक्ता, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, कंपनी कार्य, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, योजना आयोग, आयकर महानिदेशक का कार्यालय (अन्वेषण), नागर विमानन महानिदेशालय, आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय, घन अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, सांख्यिकी और आसूचना, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क निदेशालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, तट रक्षक मुख्यालय, दिल्ली के सभी। नगर और ग्राम योजना संगठन, वायदा बाजार आयोग, मुम्बई के सभी। पोर्ट स्वास्थ्य संगठन और इलक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम), चेन्नई के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त और बी सी जी टीका, द्रव्य प्रयोगशाला, विकास आयुक्त, लौह और इस्पात कार्यालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमेटिक मैपिंग संगठन, दोनों कोलकाता में; विदेश व्यापार उप महानिदेशक का कार्यालय, शिलांग, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, काजू और कोका विकास निदेशालय, कोचीन; एच ए एल कोर्वा (सुल्तानपुर जिला), क्षेत्रीय सैनिक उड्डयन योग्यता केन्द्र, एच ए एल कोर्वा (जिला सुल्तानपुर), टर्मिनल वालिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, चण्डीगढ़; नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, आनन्द नगर, डाकघर - अम्बरनाथ (जिला - थाणे), शाखा सचिवालय विधि कार्य विभाग, केन्द्रीय तटीय इंजीनियरी संस्थान, आयकर, मुख्य आयुक्त

को कार्यालय, कर्नाटक और गोवा और बंगलौर के सभी उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्र) का कार्यालय, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, कोयम्बतूर, नागपुर में भारतीय खान ब्यूरो और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिनापल्ली, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और नाभकीय ईंधन काम्लेक्स, दोनों हैदराबाद में, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण और विकास केन्द्र, जयपुर और मोहाली, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए कोचिंग व मार्ग दर्शन केन्द्र, जोवाई, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रामपुर (म० प्र०) ।

3.3 27 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने यह बताया कि उनके यहाँ पूर्णतया व्यवस्थित अभिलेख कक्ष नहीं हैं - नई दिल्ली के पर्यावरण तथा वन, संसदीय कार्य के मंत्रालय, रसायन और पेट्रो रसायन, परिवार कल्याण, रक्षा लेखा महानियंत्रण, सशस्त्र सेनाएँ, फिल्म और फोटो प्रभाग; राष्ट्रीय भवन संगठन और गुणता आश्वासन महानिदेशालय, कलकत्ता की केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला और पटसन आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और भारतीय शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षण का कार्यालय, प्रमाण और प्रायोगिक स्थापनाएँ, चांदीपुर (जिला बालासोर), विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक का कार्यालय, नौ सेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम, पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर कर्नाटक क्षेत्र, धारवाड़, अपारम्पारिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का कार्यालय और अन्न बचाओ अभियान कार्यालय, भुवनेश्वर, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के कार्यालय, लखनऊ और शिलांग, मॉडल जन्म मृत्यु और स्वास्थ्य सांख्यिकी युनिट, नागपुर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला और पुणे, खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरैमिले तुरा और इलैक्ट्रॉनिकी और रडार डिवीजन, बंगलौर ।

3.4 निम्नलिखित 6 मंत्रालयों/विभागों / कार्यालयों ने यह सूचित किया कि उनके यहाँ अलग से विभागीय अभिलेख कक्ष नहीं हैं - विमानपत्तन संगठन, नई दिल्ली, अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, राजकोट, इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण और विकास केन्द्र, बंगलौर और कल्याण आयुक्त कार्यालय, इलाहाबाद ।

3.5 अन्न बचाओ अभियान कार्यालय, अहमदाबाद, भारतीय अन्न भण्डारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, हापुड़, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से संलग्न शासकीय समापक कार्यालय, और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोचिंग व मार्ग दर्शन केन्द्र, नागपुर ने उल्लेख किया है कि वे अलग से विभागीय अभिलेख कक्ष बनाये जाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं ।

3.6 निम्नलिखित कार्यालयों ने 'शून्य' अथवा अस्पष्ट सूचना प्रेषित की - नई दिल्ली स्थित विधायी विभाग का राजभाषा विंग और विदेशी भाषा विद्यालय, पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, गोवा क्षेत्र, पणजी, पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिमी क्षेत्र, कोयम्बतूर, अन्न बचाओ अभियान का कार्यालय, जयपुर, हिम और हिमस्खलन अध्ययन स्थापना, चण्डीगढ़, क्षेत्रीय सैनिक उड़्डयन योग्यता (हेलिकाप्टर) केन्द्र, बंगलूर,

आयकर, मुख्य आयुक्त कार्यालय, आयकर, कोचीन, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, विशाखापत्तनम, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैम्प, विकलांग व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र, जयपुर, उच्च प्रशिक्षण संस्थान (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय), लुधियाना, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, प्रधान पोस्टमास्टर जनरल, गुजरात, अहमदाबाद, यंत्र अनुसंधान विकास स्थापना, देहरादून और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान अस्का (जिला गंजम)

3.7 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 26 उपक्रमों ने यह बताया कि उनके यहाँ सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष हैं - दिल्ली में हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०, केन्द्रीय भारतीय औषध परिषद, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, भारतीय उर्वरक निगम लि०, और भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी सभी दिल्ली में, मद्रास गोदी श्रम बोर्ड, चेन्नई, भारतीय कपास निगम, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास मुम्बई और राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि०, मुम्बई, भारतीय विज्ञान अकादमी, भारतीय रमन अनुसंधान संस्थान और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स, बंगलूर, भारतीय ड्रेजर कार्पोरेशन, विशाखापट्टनम और विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, नागपुर में केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड और खनिज खोज निगम, न्यूज प्रिंट्स लि०, कोट्टायम, भारत डायनामिक्स लि०, हैदराबाद, भारतीय कृत्रिभांग निर्माण निगम, कानपुर, राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी संस्थान, रुड़की, मोरमुगांव पत्तन न्यास, गोवा, भारतीय परियोजना और विकास लि०, नोयडा, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद और इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केन्द्र, पुणे ।

3.8 सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों ने यह सूचित किया कि उनके अभिलेख कक्ष की स्थापना का कार्य प्रगति पर है । वे हैं - हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस निर्माण कम्पनी लि०, ऊटकमंड, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे और जवाहर लाल सेन्टर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर ।

3.9 सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों की एक ऐसी कोटि है जिन्होंने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की है । वे हैं - नई दिल्ली के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ई आर एन ई टी इण्डिया लि०, भारतीय राष्ट्रीय वस्त्र निगम और राष्ट्रीय भवन संगठन और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था, कोलकाता, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०, गुवाहाटी, केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी लि०, साहिबाबाद, तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि०, तुंगभद्रा बाँध और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना ।

3.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने अभिलेखों के रख रखाव के लिए अपनी पद्धति अपना रखी है, वे हैं - नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारतीय कृषक उर्वरक निगम लि० और हडको, चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई और हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियर्स लि०, कोलकाता ।

विभागीय अभिलेख अधिकारी

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) के अनुसार प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने किसी एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के तौर पर नामित करेंगे ताकि वह उक्त अधिनियम की धारा 6(1) में परिगणित कार्यों को अंजाम दे सकें। विभागीय अभिलेख अधिकारी को अपने मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अभिलेख प्रबंध के क्षेत्र में कार्यों का समन्वयन करना पड़ता है अथवा दिशा निर्देश देना पड़ता है। इतना ही नहीं उन्हें मूल अभिलेखों के प्रतिधारण समयसूची के संकलन, अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन, राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थाई संरक्षण के लिए भेजे जाने वाले चुने गये अभिलेखों के हस्तांतरण के बारे में राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक से संपर्क रखना पड़ता है। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी संगठनों से अधिनियम के उक्त प्रावधान के पालन हेतु अपने किसी एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के तौर पर नामित करने का अनुरोध किया। अभी तक 524 संगठनों ने अपने एक अधिकारी को विभागीय अभिलेख अधिकारी के रूप में नामांकित किया है। कुल मिला कर 144 संगठनों ने अभीष्ट सूचना प्रेषित की है जिसमें से 99 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं तथा 45 सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण। प्राप्त उत्तर का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है -

4.1 64 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने यह सूचना दी है कि उनके यहाँ पूर्ण कालिक प्रशिक्षित विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं। उनकी सूची इस प्रकार है - कोयला, पर्यावरण और वन, विदेश, संसदीय कार्य, रेलवे और भूतल परिवहन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, रसायन और पेट्रो - रसायन, उर्वरक, खाद्य और उपभोक्ता कार्य, कंपनी कार्य, आर्थिक कार्य, परिवार कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, योजना आयोग, नागर विमानन महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी मुख्यालय, तटरक्षक, विमानपत्तन, स्वास्थ्य संगठन, दिल्ली विमानपत्तन, गुणता-आवश्वासन महानिदेशक का कार्यालय, शहर और ग्रामीण योजना संगठन, राष्ट्रीय भवन संगठन, घन अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, सांख्यिकी और आसूचना (केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क), सभी दिल्ली में। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय और बी सी जी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई, पटसन आयुक्त कार्यालय, लौह और इस्पात, विकास आयुक्त और राष्ट्रीय एटलस और थिम्पेटिक मैपिंग संगठन सभी कोलकाता में, अग्र बाजार आयोग, मुम्बई में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पत्तन, स्वास्थ्य संगठन, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिमी), केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और भारतीय शत्रु की सम्पत्ति का अभिरक्षक, विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक, कटक, विदेश व्यापार उप महानिदेशक कार्यालय, शिलांग, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून, सुपारी और मसाला निदेशालय, कालीकट, काजू और नास्थिल विकास निदेशालय, कोचीन में आयकर मुख्य आयुक्त, पोस्टमास्टर जनरल, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र, धारवाड़, भारतीय अन्न भण्डारण प्रबंधन तथा अनुसंधान संस्थान, हापुड़, क्षेत्रीय उड्डयन केन्द्र एच ए एल, कोरवा (जिला सुल्ताबापुर), केन्द्रीय मत्स्य एवं तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलूर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास स्थापना, उषा मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय और क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रमाण और प्रायोगिक स्थापना, यांदीपुर (जिला बालासोर), नौ सेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम,

टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च प्रयोगशाला, चण्डीगढ़, नौ सेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, आनन्द नगर डाकघर अम्बरनाथ (जिला थाणे), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं शिलांग, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त कोयम्बतूर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, नागपुर और रामपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण और विकास केन्द्र, मोहाली, कल्याण आयुक्त कार्यालय, इलाहाबाद, खान, सुरक्षा महानिदेशक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर और राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी ।

4.2 निम्नलिखित 6 संगठनों ने यह सूचना दी है कि उनके यहाँ सहायकों, कार्यालय अधीक्षक, अपर श्रेणी लिपिकों इत्यादि द्वारा अभिलेख कक्ष का कार्य देखा जा रहा है वे हैं : - रक्षा मंत्रालय का अभिलेख कक्ष सहायक के प्रभाराधीन है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली के महानिदेशक के कार्यालय का रिकार्डकक्ष कार्यालय अधीक्षक के पर्यवेक्षणाधीन है । आंचलिक परिषद् सचिवालय, नई दिल्ली, आयकर मुख्य आयुक्त का कार्यालय, कर्नाटक, गोवा, बंगलूर और केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने उल्लेख किया है कि उनके रिकार्ड कक्षों की देख रेख का कार्य प्रवर श्रेणी लिपिक, केयर टेकर और दफ्तरी को सौंपा गया है । विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली ने उल्लेख किया है कि रिकार्ड अधिकारी के रूप में अलग से किसी अधिकारी को नामित नहीं किया गया है किन्तु कार्यालयाध्यक्ष स्वयं इसके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं ।

4.3 सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त, राजकोट ने उल्लेख किया है कि कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण किसी भी अधिकारी को विभागीय रिकार्ड अधिकारी के रूप में नामित नहीं किया गया है । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने सूचना दी है कि उनके कार्यालय में केवल दस कर्मचारी हैं । दो प्रवर श्रेणी लिपिक कार्यालय के रिकार्ड संबंधी कार्य देख रहे हैं ।

4.4 जिन 27 कार्यालयों ने अस्पष्ट /शून्य उत्तर दिया अथवा यह बताया कि है यह उन पर लागू नहीं होता है, वे इस प्रकार हैं - दिल्ली में सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, विदेशी भाषा विद्यालय और विधायी विभाग का राजभाषा विंग, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता, अपर निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और भारतीय शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षण का कार्यालय मुम्बई, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, गोवा, पणजी, मुख्य महापोस्टमास्टर जनरल, गुजरात सर्कल और अहमदाबाद के दोनों अन्न बचाओ अभियान कार्यालय, पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिमी क्षेत्र, कोयम्बतूर, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, राजस्थान उच्च न्यायालय से संलग्न शासकीय लिक्विडेटर कार्यालय, सभी जयपुर में हैं, बंगलौर में हिम और हिमस्खलन अध्ययन स्थापना, चण्डीगढ़, सैनिक उड्डयन केन्द्र (हेलिकॉप्टर), पत्तन स्वास्थ्य संगठन, विशाखापत्तनम, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, नागपुर में मॉडल जन्म मृत्यु और स्वास्थ्य सांख्यिकी युनिट और कोचिंग व मार्ग दर्शन केन्द्र, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, अस्का (जिला गंजम), वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), पुणे, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम कैम्प, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरैमिले तुरै उच्च प्रशिक्षण संस्थान (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक), लुधियाना और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भुवनेश्वर ।

4.5 जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /सांविधिक निकायों इत्यादि में विभागीय अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न है, स्थिति इस प्रकार है - सूचना प्रेषित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के 45 उपक्रमों में से निम्नलिखित 35 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूर्ण कालिक अभिलेख अधिकारी मौजूद हैं । वे हैं - दिल्ली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० , राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, राष्ट्रीय भवन संगठन, भारतीय उर्वरक निगम लि० और राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी, मद्रास गोदी श्रम बोर्ड, चेन्नई , भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता, बम्बई में राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि० भारतीय कपास निगम लि०, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास और मुम्बई पत्तन न्यास, रमन अनुसंधान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र और भारतीय विज्ञान अकादमी, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया और विशाखापत्तनम, पत्तन, दोनों विशाखापत्तनम में, भारत डायनामिक्स लि०, हैदराबाद, राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद, भारतीय परियोजना और विकास लि०, नोयडा, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना, राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी संस्थान, नागपुर में केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड और खनिज खोज निगम, तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि०, तुंगभद्रा बांध, भारतीय कृत्रिमांग निर्माण निगम, कानपुर, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०, कोट्टायम, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कं० लि०, रुटकमंड, उत्तर-पूर्वी कृषि विपणन निगम लि०, गुवाहाटी, मोरमुगांव पत्तन न्यास, गोवा, पुणे में इलैक्ट्रॉनिक्स तकनीकी सामग्री केन्द्र और भारतीय ट्रोपिकल मेट्रोलोजी संस्थान ।

4.6 भारतीय साफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क्स बंगलूर में अंशकालिक आधार पर एक विभागीय रिकार्ड अधिकारी है ।

4.7 नई दिल्ली में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, ई आर एन ई टी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई और केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, साहिबाबाद ने "शून्य" रिपोर्ट भेजी है ।

4.8 निम्नलिखित पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रिकार्ड रखने के संबंध में अपनी पद्धति का प्रयोग करते हैं - नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारतीय कृषक उर्वरक निगम लि०, और हुडको लि०, चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई और हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियरिंग लि० कोलकाता ।

स्थान की भागीदारी

यह एक आम व्यवहार है कि अभिलेखों के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह न होने के कारण भारत सरकार के बहुत सारे संगठन अपने अर्धप्रचलित अभिलेखों को अनुभाग के ही स्टील आलमीरे/रैक में रखते हैं अथवा किसी कोने या भवन के कॉरिडोर इत्यादि में इकट्ठा कर देते हैं जो उनके वैज्ञानिक परिरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। स्थान की कमी की समस्या राष्ट्रीय अभिलेखागार के एनेक्सी भवन तथा उसके भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, पाण्डिचेरी एवं भुवनेश्वर स्थित अभिलेख केन्द्रों के साथ स्थान की भागीदारी कर सुलझाई जा सकती है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित रहेगा कि एनेक्सी भवन के निर्माण के समय से ही राष्ट्रीय अभिलेखागार उन संगठनों को जो स्थान की कमी के कारण अपने विभागीय अभिलेख कक्ष में अपने अप्रचलित अभिलेखों को रख नहीं पाते को स्थान की भागीदारी की पेशकश करता रहा है।

5.1 कुल मिला कर 148 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस बारे में सूचना प्रेषित की है। इसमें से 104 केन्द्र सरकार के कार्यालय तथा 44 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। केन्द्र सरकार के संगठनों का जहाँ तक सवाल है 92 संगठनों ने नकारात्मक उत्तर दिया है तथा सिर्फ 12 कार्यालयों ने यह कहा है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के सौध भवन अथवा उसके क्षेत्रीय अभिलेख केन्द्रों में स्थान की भागीदारी करना चाहेंगे।

5.2 कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के परिवार कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा विभाग, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, महानिदेशक और विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, दिल्ली विमानपत्तन ने इच्छा जाहिर की है कि वे अपने अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार के सौध भवन में रखना चाहते हैं। प्रमाण एवं प्रायोगिक स्थापना, चांदीपुर (जिला - बलासोर), पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर कर्नाटक क्षेत्र, धारवाड़ और अन्न बचाओ अभियान कार्यालय, भुवनेश्वर ने भी राष्ट्रीय अभिलेखागार, भुवनेश्वर में अपने रिकार्ड रखने की इच्छा जाहिर की है।

5.3 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के कार्यालय चेन्नई ने उल्लेख किया है कि वे पहले से ही अपने अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, पाण्डिचेरी में रख रहे हैं।

5.4 केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुम्बई ने उल्लेख किया है कि चूंकि वे मुम्बई में कार्य कर रहे हैं और संदर्भ के लिए अक्सर उन्हें अभिलेखों की आवश्यकता रहेगी इसलिए अपने अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में रखना व्यवहार्य नहीं है। इलैक्ट्रानिक्स और रडार विकास स्थापना, बंगलूर ने कहा है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेख रखना एक नीतिगत मामला है अतः इस संबंध में उनका मुख्यालय निर्णय लेगा, जबकि क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरैविले, तुरा ने रिपोर्ट भेजी है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेख रखने के संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

5.5 जिन दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार/इसके क्षेत्रीय कार्यालय/अभिलेख केन्द्रों में अपने अभिलेख रखने की इच्छा जाहिर की है, वे हैं - उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०, गुवाहाटी और हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण निगम, उत्कलमंड ।

5.6 निम्नलिखित 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने जानकारी भेजी है कि उन्हें स्थान की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है, ये हैं - नई दिल्ली भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण लि०, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, और भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता, मुम्बई में भारतीय कपास निगम, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास और राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि०, बंगलूर में साफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क्स ऑफ इण्डिया, रमन अनुसंधान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, और भारतीय विमान अकादमी, नागपुर केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड और खनिज खोज निगम लि०, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०, कोट्टयम, भारत डायनामिक्स लि०, हैदराबाद, भारतीय ड्रेजिंग निगम, विशाखापत्तनम, भारतीय कृत्रिमांग निर्माण निगम, कानपुर, मोरमुगांव पत्तन न्यास, गोवा और भारतीय परियोजना और विकास लि०, नोएडा ।

5.7 हिन्दुस्तान प्रिफेब लि०, नई दिल्ली ने जानकारी दी है कि उपक्रम के विनिवेश का मामला विनिवेश आयोग को भेजा गया है, अतः इस संबंध में कार्रवाई सरकार की भावी कार्रवाई पर निर्भर करेगी ।

5.8 ई आर एन ई टी इण्डिया ने जानकारी दी है कि जब भी उन्हें आवश्यकता होगी वे स्थान की भागीदारी करेंगे ।

5.9 शून्य रिपोर्ट भेजने वाले 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं - नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और हडको लि०, चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई और हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियरी लि०, कोलकाता ।

5.10 एक अन्य श्रेणी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने शून्य रिपोर्ट भेजी है, वे हैं - नई दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, भारतीय कृषक उर्वरक निगम लि०, और राष्ट्रीय भवन संगठन, मद्रास गोदी श्रम बोर्ड, चेन्नई, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई, केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, साहिबाबाद, पुणे में इलैक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र और भारतीय ट्रॉपिकल मेट्रोलाजी संस्थान, तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि०, तुंगभद्रा बांध, राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी संस्थान, रुड़की, गंगा खाद्य नियंत्रण आयोग, पटना, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद और विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम ।

अर्ध प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखीकरण समीक्षा व विनष्टीकरण

अभिलेख प्रबंधन के क्षेत्र में, फाइलों को रिकार्ड किये जाने का काम सबसे मुख्य है क्योंकि इस स्तर पर ही फाइल का वर्गीकरण किया जाता है और जिसके कारण संबंधित फाइलों को संभालकर रखने की अवधि विनिर्दिष्ट होती है जिससे कि बाद में उसकी समीक्षा करने में आसानी होती है क्योंकि फाइल पर स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होता है कि एक निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस छँटाई के लिए काफी संख्या में रिकार्ड अलग कर दिये जाते हैं और नए आने वाले रिकार्डों के लिए स्थान मिल जाता है।

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(ख) तथा लोक अभिलेख नियम 1997 के नियम 9 के अधीन यह उपबंध है कि कोई भी लोक अभिलेख, सृजन करने वाली एजेंसी द्वारा बिना इसे दर्ज किए तथा समीक्षा किए नष्ट नहीं की जायेगी। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को इस अनुरोध का परिपत्र पत्र सं० 16-2/2000 आर एम, दिनांक 18 जुलाई 2000 भेजा गया कि वे लोक अभिलेखों को दर्ज करने, सूची बनाने, समीक्षा और छँटाई संबंधी नियमित कार्यक्रम बनाएं और इस संबंध में छमाही विवरण भेजें। रिपोर्ट की अवधि के दौरान भारत सरकार के केवल 84 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने छमाही विवरण भेजे हैं (विस्तार के लिए कृपया अनुबंध IV देखें)।

6.1 कम प्रयोग में आने वाले रिकार्डों का अभिलेखीकरण करने, सूची बनाने, समीक्षा करने और छँटाई के संबंध में अपनी छमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने वाले कार्यालय हैं:- रक्षा, विदेश, गृह मंत्रालय, विधि, जम्मू और कश्मीर संबंधी मामले और राजभाषा, श्रम, खान, संसदीय-कार्य, रेलवे, भूतल परिवहन, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन, जल संसाधन और वस्त्र विभाग, योजना आयोग, रसायन और पेट्रो-रसायन, दूरसंचार, आर्थिक-कार्य, संस्कृति, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान, औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन, रक्षा लेखा महानियंत्रक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का कार्यालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक, वेतन एवं लेखा डिवीजन, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान संस्थान, आंचलिक परिषद् सचिवालय (गृह मंत्रालय), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन और शहर और ग्रामीण योजना सभी नई दिल्ली में स्थित; बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, चेन्नई, पटसन आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) और औद्योगिक सांख्यिकी विंग (केन्द्रीय सांख्यिक संगठन) सभी कोलकाता में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औषध सहायक नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, वायदा बाजार आयोग और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, सभी मुम्बई में, अहमदाबाद में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय और अन्न बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, कल्याण आयुक्त कार्यालय, इलाहाबाद, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगाम, शाखा सचिवालय (विधि कार्य का विभाग) क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, दोनों बंगलोर में, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भुवनेश्वर, विपणन और निरीक्षण निदेशालय (उप-कार्यालय) बोवनायकनूर (तमिलनाडु), सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, काजू और

कोको विकास निदेशालय, कोचीन, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (के०), चण्डीगढ़, अन्न बचाओ अभियान का कार्यालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन दोनों गाजियाबाद में, विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक, गुवाहाटी, न्यूक्लीयर फ्यूल काम्पलेक्स, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस आकादमी और अन्न बचाओ अभियान (क्षेत्रीय कार्यालय) सभी हैदराबाद में ; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग -व-मार्गदर्शन केन्द्र, हिसार, विकलांगता व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र और अन्न बचाओ अभियान का कार्यालय सभी जयपुर में ; केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर; अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग-व-मार्ग दर्शन केन्द्र, जोवाई (मेघालय) ; कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, उत्तर प्रदेश कानपुर एवं केरल, इर्नाकुलम; क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय क्षेत्र) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मदुरई; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान अढ़ाई माइल, तुरा (मेघालय) ; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, विपणन और निरीक्षण निदेशालय (उप-कार्यालय), नासिक रोड; केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, नागपुर ; दीप स्तम्भ और दीपनौका विभाग नोएडा; पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय (गोवा क्षेत्र); पणजी, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हारबर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर, क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), शिमला; कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय, असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और विदेश व्यापार, उपनिदेशक का कार्यालय दोनों शिलॉंग ।

6.2 हमारे दिनांक 18 जुलाई 2000 के सामान्य परिपत्र सं 16-12/2000 आर एम के उत्तर में भारत सरकार के 99 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से उत्तर प्राप्त हुए हैं । इसमें से 70 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि वे कम प्रयोग में आने वाले रिकार्डों को रिकार्ड करने, समीक्षा करने और छँटाई का कार्य कर रहे हैं जबकि 18 ने सिर्फ शून्य रिपोर्ट भेजी है । 3 कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि यह प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होती । 2 कार्यालय अपनी नियमपुस्तकों के अनुसार कार्य कर रहे हैं जबकि 2 कार्यालयों ने रिपोर्ट भेजी है कि उनके पास पुराने रिकार्ड नहीं हैं । 1 कार्यालय ने सूचित किया है कि उनका कार्यालय नया है, 1 कार्यालय ने उल्लेख किया है कि स्टाफ की कमी के कारण वे यह कार्य नहीं कर सकते । 2 अन्य कार्यालयों ने इस संबंध में अस्पष्ट उत्तर दिया है । इस संबंध में प्राप्त जानकारी का विश्लेषण नीचे दिया गया है:-

6.3 70 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि वे कम प्रयोग में आने वाले रिकार्डों को रिकार्ड करने, समीक्षा करने और छँटाई का कार्य कर रहे हैं । ये हैं - कोयला, रक्षा, पर्यावरण एवं वन, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, संसदीय कार्य, भूतल परिवहन और जल संसाधन, रेलवे मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत, कम्पनी कार्य, रसायन एवं पेट्रो-रसायन, आर्थिक कार्य, उर्वरक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, विधि-कार्य, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा और योजना आयोग, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, गुणता आश्वासन महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशक, विमानपत्तन

स्वास्थ्य संगठन, आंचलिक परिषद् सचिवालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक का कार्यालय, सशस्त्र बल, फिल्म और फोटो प्रभाग, मुख्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और घन अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली में सभी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चेन्नई-1, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त का कार्यालय, पटसन आयुक्त का कार्यालय, नेशनल एटलस और थिमेटिक मैपिंग ऑरगेनाइजेशन और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, सभी कोलकाता में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, वायदा बाजार आयोग, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सभी मुम्बई में, कल्याण आयुक्त का कार्यालय, इलाहबाद; उप-मुख्यश्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय); इलेक्ट्रॉनिकी और रडार विकास स्थापना, केन्द्रीय मत्स्य तटीय इंजीनियरी संस्थान और क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सभी बंगलूर में; प्रमाण और प्रायोगिक स्थापना, चांदीपुर (जिला बालासोर); अन्न बचाओ अभियान (क्षेत्रीय कार्यालय) भुवनेश्वर; विदेश व्यापार, संयुक्त महानिदेशक कटक; सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त, बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री, चण्डीगढ़, पोस्टमास्टर जनरल, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र, धारवाड़, खान सुरक्षा महानिदेशक धनबाद; सर्वेक्षक जनरल का कार्यालय, देहरादून; आयकर मुख्य आयुक्त का कार्यालय, गोवा, भारतीय अन्न भण्डारण प्रबंध और अनुसंधान संस्थान, हापुड़; नाभिकीय इंधन काम्लेक्स, हैदराबाद; अन्न बचाओ अभियान कार्यालय, जयपुर; सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, काजू और नारियल विकास निदेशालय और आयकर मुख्य आयुक्त का कार्यालय केरल, दोनों कोचीन में, इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण और विकास केन्द्र, मोहाली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग-व-मार्गदर्शन केन्द्र और भारतीय खान ब्यूरो, सभी नागपुर; सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, राजकोट; विदेश व्यापार, उपमहानिदेशक का कार्यालय, शिलांग; क्षेत्रीय सैनिक उड्डयन योग्यता केन्द्र, एच ए एल कोर्वा (जिला सुल्तानपुर); विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली; नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला-आनन्द नगर (जिला थाणे) और नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम।

6.4 'शून्य' रिपोर्ट भेजने वाले 18 कार्यालय हैं:- तटीय गारद मुख्यालय और विदेशी भाषा विद्यालय सभी दिल्ली में; भारत के शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय, मुम्बई; प्रधान पोस्टमास्टर जनरल, गुजरात सर्कल, अहमदाबाद; पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिमी क्षेत्र, कोयम्बतूर, क्षेत्रीय सैनिक उड्डयन (हेलिकाप्टर) केन्द्र, बंगलूर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरपूर्वी क्षेत्र), चण्डीगढ़, उच्च प्रशिक्षण संस्थान (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय), लुधियाना, इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण और विकास केन्द्र और विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दोनों जयपुर; केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली; पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय क्षेत्र), लखनऊ; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैम्प; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अढ़ाईमाइल तुरा, (मेघालय); केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर; क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, अस्का (जिला गंजम) पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, गोवा क्षेत्र, पणजी।

6.5 जिन कार्यालयों ने यह सूचना भेजी है कि यह प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होती वे हैं:- रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली; अन्न बचाओ अभियान (क्षेत्रीय कार्यालय), अहमदाबाद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ।

6.6 रक्षा प्रबन्ध कालेज सिकन्दराबाद और पत्तन स्वास्थ्य संगठन, विशाखापत्तनम अपनी नियमपुस्तक के अनुसार कार्य करते हैं ।

6.7 आयकर महानिदेशक का कार्यालय (अन्वेषण), नई दिल्ली और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर ने सूचना दी है कि उनके कार्यालय में 25 साल पुराने रिकार्ड नहीं हैं ।

6.8 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर ने रिपोर्ट दी है कि उनका कार्यालय नया है इसलिए रिकार्ड/दस्तावेज एकत्र किए जाने हैं ।

6.9 अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई ने उल्लेख किया है कि स्टाफ कम होने के कारण वे यह कार्य नहीं कर सकते ।

6.10 सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय (केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क), नई दिल्ली और राजस्थान उच्च न्यायालय से संलग्न शासकीय समापक का कार्यालय, जयपुर ने इस संबंध में अस्पष्ट उत्तर दिया है ।

6.11 42 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने सूचना भेजी है जिनमें से 26 ने उत्तर दिया कि वे इस संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं और अन्य 6 अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं ; जबकि शेष 10 ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है । विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है -

26 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो इस संबंध में कार्य कर रहे हैं, वे हैं :- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, हिन्दुस्तान प्रिफेब लि०, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ; राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० और भारतीय उर्वरक निगम, सभी नई दिल्ली में, मद्रास गोदी श्रम बोर्ड, चैन्नई, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता; राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि०; मुम्बई पोत न्यास, जवाहर लाल पत्तन न्यास, तथा भारतीय कपास निगम, सभी मुम्बई में, सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, रमन अनुसंधान संस्थान और भारतीय विज्ञान अकादमी, सभी बंगलोर में, हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, कोट्टायम, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म विनिर्माण कम्पनी लि०, उटकमंड, भारतीय कृत्रिमांग विनिर्माण निगम, कानपुर, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा मंडल और खनिज खनन निगम लि०, दोनों नागपुर में, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम राष्ट्रीय हाईड्रोलोजी संस्थान, रुड़की, गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, पटना, भारत डायनेमिक्स लि०, हैदराबाद, भारतीय ट्रोपिकल में मेटेरोलोजी, पुणे, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, इलाहाबाद । जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलूर; उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०; गुवाहाटी, केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी लि०; साहिबाबाद और तुंगभद्रा इस्पात उत्पादन लि०; तुंगभद्रा बांध ।

6.12 वैसे संगठन जिन्होंने सूचना प्रेषित की है कि वे अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं, वे हैं कर्मचारी राज्य

बीमा निगम, हडको और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सभी नई दिल्ली में, चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई, हुगली गोदी व पत्तन अभियान्त्रिकी लि०, कोलकाता व भारत परियोजना व विकास लि०, नोयडा ।

6.13 इसके अलावा भारत सरकार के उपक्रमों में 10 वर्गों ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की है । ये हैं - केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, ई आर एन ई टी, भारत, राष्ट्रीय भवन संगठन, भारतीय किसान उर्वरक निगम लि० और भारतीय राष्ट्रीय अभियान्त्रिकी अकादमी, सभी नई दिल्ली में, अन्तराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई ।

6.14 कम प्रयोग में आने वाले रिकार्डों को रिकार्ड करने/समीक्षा करने ओर छँटाई करने के संबंध में छमाही विवरण भेजने का अनुरोध करते हुए अलग से जारी दिनांक 18 जुलाई 2000 के परिपत्र सं० 16-2/2000 आर एम, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी भेजा गया था, के उत्तर में 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने जानकारी भेजी है । इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा अनुबंध IV में दिया गया है ।

अभिलेखों का तालिकाकरण

किसी भी संगठन की अबाध कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि अभिलेखों से सूचना को कितने अच्छे तरीके से तथा कितनी त्वरित गति से निकाला जा सकता है। अभिलेख प्रबंधन का यह पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह प्रशासन को निर्णय लेने, खास तौर पर नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने तथा उनके कार्यान्वयन में मदद पहुँचाता है। सूचना की त्वरित प्राप्ति तभी संभव है जब अभिलेख सर्जक अभिकरण अभिलेखों के 'क' 'ख' तथा 'ग-10' श्रणियों की सूची तैयार करें। राष्ट्रीय अभिलेखागार मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वार्षिक तालिका तैयार करने के संबंध में दिशा निर्देश तथा सलाह देने का कार्य करता रहा है। तथापि, इस संबंध में प्राप्त सूचना के विश्लेषण से यह पता चलता है कि अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा अभिलेख प्रबंधन के इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है।

7.1 राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपने दिनांक 18 जुलाई, 2000 के परिपत्र सं० 16-12/2000-आर एम के तहत रिकार्ड तैयार करने वाली सभी एजेंसियों को इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। कुल 86 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने जानकारी भेजी है। जिनमें से 10 ने सूचित किया है कि वे अपनी फाइलों की सूची बना रहे हैं, 44 ने सूचना भेजी है कि वे सूचियाँ संकलित नहीं कर रहे जबकि 13 ने 'शून्य' सूचना भेजी है। 10 ने रिपोर्ट की है कि यह प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होती, एक ने रिपोर्ट की है कि स्टाफ की कमी के कारण सूची बनाने का कार्य नहीं कर सकते। 2 कार्यालयों ने उल्लेख किया है कि विभागीय अभिलेख कक्षा न होने के कारण सूचियों का संकलन नहीं किया गया, 2 कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि उनका कार्यालय नया है, 2 ने कहा है कि उनके पास 25 साल पुराने अभिलेख नहीं हैं, अन्य 2 ने अस्पष्ट रिपोर्ट भेजी है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी का विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है -

7.2 निम्नलिखित 10 विभागों/कार्यालयों ने उल्लेख किया है कि वे अपने अभिलेखों की सूचियों का संकलन कर रहे हैं :- आर्थिक कार्य विभाग, उर्वरक और मुख्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, सभी नई दिल्ली में; नेशनल एटलस और थिमेटिक मैपिंग संगठन, कोलकाता; वायदा बाजार आयोग, मुम्बई; पोस्टमास्टर जनरल, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र, धारवाड़; इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण और विकास केन्द्र, जयपुर; कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, कानपुर; केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, नागपुर और विदेश व्यापार, उपमहानिदेशक का कार्यालय, शिलांग।

7.3 44 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे सूचियों का संकलन नहीं कर रहे :- पर्यावरण एवं वन, विदेश, कोयला, संसदीय-कार्य, भूतल परिवहन मंत्रालय, योजना आयोग, रसायन एवं पेट्रो रसायन, परिवार कल्याण और आपूर्ति विभाग, तटीय रक्षा मुख्यालय, शहर और ग्रामीण योजना संगठन, नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक, गुणता आश्वासन महानिदेशक, सांख्यिकी और आसूचना (केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क), रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सभी नई दिल्ली में; घन अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला; दिल्ली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त और बी सी जी टीका प्रयोगशाला; चेन्नई; लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय और पटसन आयुक्त का कार्यालय दोनों कोलकाता में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पत्तन स्वास्थ्य संगठन और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सभी मुम्बई में; कल्याण आयुक्त का कार्यालय; इलाहाबाद; केन्द्रीय मत्स्य तटीय इंजीनियरी संस्थान; आयकर विभाग और महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सभी बंगलूर में; अन्न बचाओ अभियान कार्यालय, भुवनेश्वर; सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालिकट, काजू और नारियल विकास निदेशालय, कोचीन, खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद, सर्वेक्षक जनरल का कार्यालय देहरादून; भारतीय अन्न भण्डारण प्रबंध और अनुसंधान संस्थान, हापुड़, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद; पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय क्षेत्र) लखनऊ, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), का कार्यालय पुणे, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर ; क्षेत्रीय सैनिक उड्डन योग्यता केन्द्र, एच ए एल कोर्वा, (जिला सुल्तानपुर) और नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, आनंद-नगर (जिला थाणे) ।

7.4 13 कार्यालयों ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है :- शहरी विकास मंत्रालय और गरीबी उन्मूलन, विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन और राजभाषा विंग (विधायी विभाग) आंचलिक परिषद् सचिवालय, सभी नई दिल्ली में, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता, क्षेत्रीय कार्यालय (अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय) भुवनेश्वर; उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय और पोस्टमास्टर जनरल (पश्चिमी क्षेत्र) दोनों कोयम्बतूर में; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैम्प; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, मॉडल जन्म मृत्यु और स्वास्थ्य सांख्यिकी युनिट, नागपुर; पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, गोवा क्षेत्र, पणजी और सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट ।

7.5 10 संगठनों ने रिपोर्ट भेजी है कि यह प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होती :- प्रशासनिक सुधार विभाग और लोक शिकायत और खाद्य और सार्वजनिक वितरण दोनों नई दिल्ली में, अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना; मुम्बई; अन्न बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद; इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास स्थापना, बंगलूर ; प्रमाण और प्रायोगिक स्थापना, चांदीपुर (जिला बालासोर); ब्रांच सचिवालय (विधायी कार्य का विभाग), बंगलूर ; टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़; संयुक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर और क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), शिमला ।

7.6 रेलवे मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार से अधिकारियों की एक टीम भेजी जाए जो उन्हें वार्षिक सूचियाँ बनाने में सलाह दे और मार्गदर्शन करे ।

7.7 जल संसाधन मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि यह कार्य अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि हाल ही में रिकार्ड कक्ष बना है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्वी अंचल), शिलांग ने रिपोर्ट दी है कि अभिलेख कक्ष न होने के कारण कार्य नहीं हो पाया है ।

7.8 उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), बंगलूर और क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अढ़ाइमाइल, तुरा (मेघालय) ने रिपोर्ट दी है कि सूचियों का संकलन नहीं किया गया है क्योंकि उनके कार्यालय नए हैं ।

7.9 माध्यमिक शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि संगत अनुदेश जारी किये जा रहे हैं । आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके पास 25 साल से अधिक पुराने रिकार्ड हैं ।

7.10 आयकर मुख्य आयुक्त का कार्यालय, कोचीन ने उल्लेख किया है कि उनका विभाग कर वसूली विभाग है और नाभकीय ईंधन काम्प्लेक्स, हैदराबाद ने रिपोर्ट दी है कि उनके कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रिकार्डों की जाँच की जा रही है ।

7.11 45 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जिन्होंने परिपत्र सं० फ०स० 16-12/2000 आर एम दिनांक 18 जुलाई 2000 के उत्तर में सूचना भेजी है, 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/आयोग/सांविधिक निकायों ने उत्तर भेजा है कि यह उन पर लागू नहीं होता, 26 ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है, 7 अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं और 3 ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है ।

7.12 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो यह कार्य कर रहे हैं :- भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० दोनों नई दिल्ली के, हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस निर्माण कम्पनी लि०; उटकमंड; हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि० कोट्टायम और जवाहरलाल नेहरू उच्चस्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र ।

7.13 भारतीय कपास निगम, मुम्बई; इलैक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केन्द्र, पुणे; राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद और भारतीय विज्ञान अकादमी बंगलूर ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता ।

7.14 निम्नलिखित 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है:- हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०; केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, ई आर एन ई टी इण्डिया लि०; भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०; राष्ट्रीय भवन संगठन, भारतीय उर्वरक निगम लि० और भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी, सभी नई दिल्ली में,

भारतीय सायंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास और राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि०; सभी मुम्बई में; कामगार शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड और खनिज खोज निगम लि०; दोनों नागपुर में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०, गुवाहाटी; भारत डायनामाइट लि०, हैदराबाद; रमन अनुसंधान संस्थान और भारतीय साफ्टवेयर तकनीकी पार्क्स दोनों बंगलोर में । भारतीय ट्रॉपिकल मेट्रोलोजी संस्थान, पुणे; ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० और विशाखापत्तनम पत्तन न्यास दोनों विशाखापत्तनम; केन्द्रीय इलैक्ट्रानिकी लि; गाजियाबाद; भारतीय परियोजना उत्पाद लि; तुंगभद्रा; इस्पात उत्पाद लि; तुंगभद्रा; राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी संस्थान, रुड़की और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पुणे ।

7.15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक अन्य श्रेणी ऐसी भी है जो इन कार्यों के लिए अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं । ये हैं - कर्मचारी राज्य बीमा निगम और हडको दोनों नई दिल्ली में, मद्रास गोदी श्रम बोर्ड और चेन्नई पत्तन न्यास दोनों चेन्नई; हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियरी लि० कोलकाता, मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई और मोरमुगांव पत्तन न्यास, गोवा ।

7.16 निम्नलिखित तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है - भारतीय कृत्रिमांग निर्माण निगम, कानपुर ने उत्तर भेजा है कि उनके पास जो रिकार्ड हैं उसके लिए प्रत्येक विभाग अपनी-अपनी सूची रखता है । दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचना भेजी है कि संबंधित अनुभाग विषय सूचियां बनाते हैं जबकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वे पंजीकृत सोसायटी हैं ।

अभिलेख-प्रतिधाण समय-सूची का संकलन

एक गणतांत्रिक राज्य होने के नाते सरकार को समाज के विश्वास को हासिल करने के लिए कई कल्याण गतिविधियाँ चलानी पड़ती हैं। इस परिस्थिति में हाल के समय में सरकारी संगठनों की गतिविधियों में खासी बढ़ोत्तरी हुई है जिसके परिणामस्वरूप अभिलेख का बहुत बड़ा परिमाण तैयार हो रहा है अतः उन अभिलेखों के समय पर श्रेणीकरण, स्वल्पायु अभिलेखों की छँटाई तथा शाश्वत मूल्य के अभिलेखों के अभिनिर्धारण की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक संगठन में अभिलेखों के प्रतिधारण एवं उसके विनष्टीकरण के बीच उपयुक्त संतुलन कायम रखने के लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता है। इस बात के उल्लेख की यहाँ आवश्यकता नहीं है कि इसका जवाब एक अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची के निर्माण में निहित है जो अभिलेख सर्जक अभिकरण के पास एक ऐसा प्रशासनिक हथियार होगा जिससे वे श्रेणीकरण तथा प्राप्ति का कार्य एवं अभिलेखों के विनष्टीकरण का कार्य संचालित कर सकेंगे। इसके अलावा, लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के 6(1) (ड.) तथा उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये लोक अभिलेख नियम 1997 के अनुसार जैसी कि आवश्यकता है, प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद प्रतिधारण समय-सूची को संशोधित करने, नये विषय क्षेत्रों को उनके प्रतिधारण अवधि के साथ समय सूची के अंतर्गत समाहित किये जा सकने को सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिधारण समय सूची का संकलन उक्त अधिनियम की धारणा के मुताबिक राष्ट्रीय अभिलेखागार की सलाह से किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 18 जुलाई 2000 के परिपत्र सं० 16-12/2000 आर एम के उत्तर में रिकार्ड तैयार करने वाली 152 एजेसियाँ ने वर्ष 1999 के लिए विद्यमान रिपोर्ट संकलित करने के संबंध में रिकार्ड की अनुसूची तैयार करने के संबंध में जानकारी दी है। इनमें से 108 सरकारी संगठन और 44 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। प्राप्त उत्तर का विवरण नीचे दिया गया है :-

8.1 38 कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने रिकार्ड रखे जाने की अनुसूचियाँ संकलित कर ली हैं:- कोयला, रक्षा, पर्यावरण और वन, विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य, रेलवे, जल संसाधन मंत्रालय और रसायन एवं पेट्रो-रसायन, उर्वरक, आपूर्ति, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण; आर्थिक -कार्य, परिवार कल्याण, कम्पनी-कार्य, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नागर विमानन महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक, घन अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, आंचलिक परिषद् सचिवालय, योजना आयोग और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सभी नई दिल्ली में, नेशनल एटलस और थिमैटिक मैपिंग संगठन और पटसन आयुक्त का कार्यालय दोनों कोलकाता में; वायदा बाजार आयोग, पत्तन स्वास्थ्य संगठन और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सभी मुम्बई में, काजू और नारियल विकास निदेशालय, कोचिन, विदेश व्यापार, उपमहादिनेदशक और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्वी) दोनों शिलांग में; अन्न बचाओ अभियान का कार्यालय, भुवनेश्वर, प्रमाण और प्रायोगिक स्थापना, चांदीपुर

(जिला बालासोर); नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, आनन्द नगर (जिला थाणे); क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलूर, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट और नाभिकीय ईंधन काम्प्लेक्स, हैदराबाद ।

8.2 निम्नलिखित 6 कार्यालयों ने रिपोर्ट दी है कि वे अपनी विभागीय रिकार्ड प्रतिधारण अनुसूचियों का पालन करते हैं :- महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली, प्रधान पोस्टमास्टर जनरल, उड़ीसा सर्कल, भुवनेश्वर; नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम; उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, नागपुर; मुख्य श्रम आयुक्त बंगलूर और केरल आयकर मुख्य आयुक्त, कोचीन ।

8.3 5 जिन कार्यालयों ने लिखा है कि इस संबंध में उनके मुख्यालय से सम्पर्क करें वे हैं:- यंत्र अनुसंधान और विकास स्थापना, देहरादून; अन्न बचाओ अभियान का कार्यालय, जयपुर, इलैक्ट्रॉनिकी और रडार विकास स्थापना, बंगलूर; हिम और हिमस्खलन अध्ययन स्थापना, चण्डीगढ़ और शाखा सचिवालय (विधि कार्यो का विभाग), बंगलूर ।

8.4 रक्षा प्रबंध कालेज, सिकन्दराबाद ने उल्लेख किया है कि वे प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं और उनकी अभिरक्षा में रखे ये रिकार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप के हैं ।

8.5 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (मुख्यालय), नई दिल्ली और बी जी सी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई ने उल्लेख किया है कि वे इस संबंध में कार्यालय प्रक्रिया नियम पुस्तक और समान्य वित्त नियमों का पालन कर रहे हैं ।

8.6 पत्तन स्वास्थ्य संगठन, विशाखापत्तनम और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अपर महानिदेशक ने सूचित किया है कि चूंकि इस कार्य के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है अतः वे यह कार्य नहीं कर सकते ।

8.7 क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, अस्का (जिला गंजम), ने रिपोर्ट दी है कि उनका कार्यालय बहुत छोटा है और लोक अभिलेख अधिनियम पर कार्रवाई करना बहुत कठिन होगा ।

8.8 निम्नलिखित 3 कार्यालयों ने उल्लेख किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे :- इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण और विकास केन्द्र, मोहाली, क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त का कार्यालय, इलाहाबाद और खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद ।

8.9 इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण और विकास केन्द्र, बंगलूर क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरैमिले, तुड़ा (मेघालय) ने सूचित किया है कि अलग से रिकार्ड कक्ष स्थापित करने के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी ।

8.10 48 कार्यालयों ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है । वे हैं:- विधायी विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, सशस्त्र बल, फिल्म और फोटो प्रभाग, विदेशी भाषा विद्यालय, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक, आयकर महानिदेशक, आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय (केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क), विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, तटीय सुरक्षा मुख्यालय और शहर और ग्रामीण योजना संगठन सभी नई दिल्ली में, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला और विकास आयुक्त, लौह एवं इस्पात दोनों कोलकाता में; भारत के शत्रु की सम्पत्ति की अभिरक्षा का कार्यालय, उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुम्बई-1 और इलैक्ट्रॉनिक्स और क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम) सभी मुम्बई में; केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली; केन्द्रीय मत्स्य तटीय इंजीनियरी संस्थान, क्षेत्रीय सैनिक विमान उड़्डयन योग्यता (हेलिकाप्टर), केन्द्रीय आयकर मुख्य आयुक्त, कर्नाटक और गोवा, सभी बंगलूर में, विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक; कटक, पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, गोवा क्षेत्र, पंजिम मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, गुजरात सर्कल और अन्न बचाओ अभियान का कार्यालय, सभी अहमदाबाद में; भारतीय अन्न भण्डारण और प्रबंधन संस्थान, हापुड़; क्षेत्रीय सैनिक विमान उड़्डयन योग्यता केन्द्र; एच ए एल, कोर्वा (जिला सुल्तानपुर), टर्मिनल बालिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ ; पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय), लखनऊ, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरपूर्वी क्षेत्र); दोनों शिमला में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, कोयम्बतूर ; शासकीय समापक (राजस्थान उच्च न्यायालय), इलैक्ट्रॉनिक्स परीक्षण और विकास केन्द्र और विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र सभी जयपुर में; केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क आयुक्त, रामपुर; उत्पाद और सीमा शुल्क आयुक्तालय, राजकोट; संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर; विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन तिरुचिरापल्ली; मॉडल जन्म-मृत्यु और स्वास्थ्य सांख्यिकी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग-व-मार्गदर्शन केन्द्र; दोनों नागपुर में, पत्तन स्वास्थ्य संगठन,; मंडपम; वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), पुणे, बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर; कम्पनी रजिस्टार, उ०प्र० कानपुर; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग-व-मार्गदर्शन केन्द्र, जोवाई (मेघालय); उच्चस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक), लुधियाना; क्षेत्रीय कार्यालय (अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय), भुवनेश्वर और लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मैसूर।

8.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आयोगों/निगमों आदि द्वारा रिकार्ड रखे जाने की अनुसूचियाँ तैयार करने में संबंध में 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उत्तर दिया है कि उन्होंने रिकार्ड प्रतिधारण की अनुसूचियाँ तैयार कर ली हैं । ये हैं :- भारत हैवी इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली, मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई; विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम; केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, नागपुर; और हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिंट लि०, कोट्टयम।

वर्गीकृत अभिलेखों का अवश्रेणीकरण

वर्गीकृत अभिलेखों का अवश्रेणीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 6(1)(च) और लोक अभिलेख नियमावली 1997 के नियम में यह निर्धारित किया गया है कि उक्त अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत आने वाले सभी अभिलेखसर्जक अभिकरण हर पांच वर्ष में एक बार अपनी सभी वर्गीकृत फाइलों की समीक्षा करेंगे ताकि उन्हें डाउनग्रेड किया जा सके। इस प्रकार से अवश्रेणीकृत अभिलेखों को नियमित अवर्गीकृत अभिलेख श्रृंखला में मिला लिया जाए और उसके बाद अभिलेखों के अस्तित्व में आने से पच्चीसवें वर्ष के समाप्त होने पर राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके उनका मूल्यांकन किया जाए। इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को परिपत्र सं० 16-12/2000-आर एम तारीख 18 जुलाई 2000 भेजा गया। बहरहाल इस संबंध में प्राप्त उत्तर अत्यन्त विक्षुब्धकारी रहे क्योंकि अभिलेख सर्जक अभिकरणों ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। कुल मिलाकर 108 संगठनों ने इस निमित्त जारी किए गए परिपत्र का जवाब दिया। जहां तक वर्गीकृत अभिलेखों को विवर्गीकृत करने संबंधी छमाही विवरणियां भेजने का संबंध है, 83 सरकारी संगठनों और 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने विवरणियां भेजी हैं। इसके ब्यौरे अनुबंध V में देखे जा सकते हैं। उपरोक्त परिपत्र के प्राप्त जवाबों का ब्यौरा नीचे दिया गया है -

9.1 निम्नलिखित 22 अभिलेख सर्जन अभिकरणों ने सूचित किया है कि वे समय समय पर अभिलेखों को अवश्रेणीकृत किये जाने के संबंध में कार्य कर रहे हैं :- रक्षा मंत्रालय, भूतल परिवहन, रेल मंत्रालय, उर्वरक विभाग, पूर्ति, योजना आयोग, महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मुख्यालय, महानिदेशक, आयकर (अन्वेषण) और ठोस अवस्था भौतिक प्रयोगशाला सभी नई दिल्ली में हैं, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त और नेशनल एटलस एवं थिमैटिक मैपिंग ओरगेनाइजेशन दोनों कोलकाता में हैं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुम्बई, क्षेत्रीय इलैक्ट्रॉनिक परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम), केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सभी मुम्बई में हैं। केन्द्रीय मत्स्य एवं इलैक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी संस्थान एवं रडार विकास स्थापना दोनों बंगलूर में हैं, नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, आनंद नगर (जिला ठाणे) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय) भुवनेश्वर, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर और इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण विकास केन्द्र, मोहाली।

9.2 क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय क्षेत्र) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ ने यह बताया है कि उनका कार्यालय हाल ही में सृजित हुआ है अतः सभी रिकार्ड नए हैं और संबंधित सहायकों ने स्वयं ही उनका रखरखाव किया है।

9.3 निम्नलिखित 3 कार्यालयों ने कहा है कि आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए उनके मुख्यालयों से सम्पर्क किया जाए, वे ये हैं:- यंत्र अनुसंधान एवं विकास स्थापना, देहरादून, हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन स्थापना क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।

9.4 कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली ने बताया है कि वर्गीकृत फाइलों की घोषणा करने/पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सशस्त्र बल फिल्म एवं फोटो प्रभाग, नई दिल्ली ने बताया कि जब एक बार प्रभाग द्वारा कोई वर्गीकृत फिल्म बना दी जाती है तो उसे विवर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि विवर्गीकृत करने से इसके वर्गीकरण का महत्व समाप्त नहीं हो जाता। रक्षा प्रबंध कॉलेज सिकंदराबाद ने बताया कि उनका कॉलेज रक्षा सेवाओं के अधिकारियों के लिए प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रम चलाता है इसलिए उनके रिकार्ड संवेदनशील स्वरूप के होते हैं, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली ने बताया कि फाइलों का विवर्गीकरण/अवग्रेडीकरण फाइलें तैयार करने वाले व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। विभागीय रिकार्ड कक्ष द्वारा जो फाइलें समीक्षा के लिए भेजी जाती हैं उन्हें "समीक्षा की गई लेकिन अवग्रेडीकृत नहीं किया गया" अभ्युक्ति के साथ वापस भेज दिया जाता है। उच्च शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी अनुभागों को अनुदेश दे दिए गए हैं। भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून ने बताया कि उनके तकनीकी रिकार्ड स्थायी स्वरूप के हैं अतः उन्हें विवर्गीकृत करने की जरूरत नहीं है।

9.5 अतिरिक्त महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई और खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद ने बताया कि स्टाफ कम होने के कारण वह सूचना नहीं भेज सकते।

9.6 विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, इंदिरागांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली ने बताया कि उनका संगठन छोटा है अतः उसमें विवर्गीकरण की जरूरत नहीं है।

9.7 3 कार्यालयों ने बताया कि इस संबंध में उनकी रिपोर्ट अलग रिकार्ड कक्ष की स्थापना होने के बाद ही भेजी जाएगी। ये कार्यालय हैं:- प्रटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता, इलैक्ट्रॉनिक्स परीक्षण एवं विकास केन्द्र, बंगलूर और क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरैमाइल, तुरा (मेघालय)।

9.8 70 कार्यालयों ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है वे ये हैं:- संसदीय कार्यालयों का मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन, एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, महानिदेशक, नागर विमानन, महानिदेशक, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, विदेशी भाषा विद्यालय, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक, सांख्यिकी एवं आसूचना (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क) निदेशालय, आंचलिक परिषद् सचिवालय, तटरक्षक मुख्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, शहरी एवं ग्रामीण योजना संगठन, और राष्ट्रीय निर्माण संगठन सभी नई दिल्ली में हैं, बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त, चैन्नई-1, दोनों चैन्नई में हैं, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता, भारत में शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय, वायदा बाजार आयोग, एवं पत्तन स्वास्थ्य संगठन सभी मुम्बई में हैं, सुपारी एवं मसाला विभाग निदेशालय, कालीकट, केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, कसौली, काजू एवं नारियल विकास निदेशालय, एवं मुख्य आयकर आयुक्त, केरल, दोनों कोचीन में हैं, विदेशी व्यापार, उपमहानिदेशक, और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय दोनों शिलांग में हैं, संयुक्त विदेशी व्यापार महानिदेशक, कटक, पोस्ट मास्टर जनरल, गुजरात सर्किल,

और अन्न बचाओ अभियान कार्यालय दोनों अहमदाबाद में है, पोस्ट मास्टर जनरल, पश्चिमी क्षेत्र और मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों कोयम्बटूर में हैं, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, उड़ीसा सर्किल और अन्न बचाओ अभियान कार्यालय, दोनों भुवनेश्वर में हैं, क्षेत्रीय सैनिक उड्डयन योग्यता केन्द्र, एच ए एल, कोरवा, जिला सुल्तानपुर, भारतीय अनाज भंडारण एवं प्रबंध संस्थान, हापुड़, साक्ष्य एवं प्रायोगिक स्थापना, चांदीपुर (जिला बालासौर), क्षेत्रीय सैनिक उड्डयन योग्यता, केन्द्र (हेलिकॉप्टर्स), मुख्य आयकर आयुक्त, कर्नाटक और गोआ, उपमुख्य भ्रम आयुक्त(सी), क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान एवं शाखा सचिवालय (विधिक कार्य विभाग) सभी बंगलूर में हैं, टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, चंडीगढ़, सरकारी परिमापक (राजस्थान हाई कोर्ट), इलैक्ट्रॉनिक्स परीक्षण एवं विकास केन्द्र एवं विकलांग व्यक्ति व्यावसायिक केन्द्र सभी जयपुर में हैं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त, मॉडल जन्म-मृत्यु एवं स्वास्थ्य सांख्यिकी युनिट और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन केन्द्र सभी नागपुर में हैं, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय राजकोट, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन त्रिचुरापल्ली, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग एवं प्रशिक्षण संस्थान, अस्का (जिला गंजम), वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) पुणे, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैम्प, बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और नाभिकीय ईंधन कम्पलैक्स दोनों हैदराबाद में हैं, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन केन्द्र, जोवाई (मेघालय), क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद, उच्च प्रशिक्षण संस्थान (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक) लुधियाना, कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश कानपुर और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी ।

9.9 इस संबंध में 55 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त सूचना का विश्लेषण इस प्रकार है:- कुल 7 संगठनों ने सूचित किया है कि वे फाइलों का विवर्गीकरण कर रहे हैं, 6 संगठनों ने जबाब दिया है कि वे अपने स्वयं के मार्गनिर्देश अपनाते हैं, 5 संगठनों ने बताया कि ये उन पर लागू नहीं होता । एक संगठन ने अस्पष्ट सूचना भेजी है । 5 ने बताया कि वे यथासमय सूचना भेज देंगे जबकि 31 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा शून्य सूचना भेजी गई है ।

9.10 7 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने सूचित किया है कि वे फाइलों के विवर्गीकरण का काम कर रहे हैं । भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और भारतीय प्रसारण निगम सभी नई दिल्ली में हैं । विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे और मुरमुगांव पत्तन न्यास, गोवा ।

9.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो स्वयं अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं:- कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हडको और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सभी नई दिल्ली में हैं, चैन्नई पत्तन न्यास, चैन्नई, हुगली गोदी एवं पत्तन इंजीनियर्स लि० कोलकाता और प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि०, नोएडा ।

9.12 एक अन्य वर्ग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनका यह मानना है कि यह बात उन पर लागू नहीं होती, वे हैं:- भारतीय किसान उर्वरक निगम लि० और भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी दोनों

नई दिल्ली में हैं, भारतीय कपास निगम, मुम्बई रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलूर और ट्रेनिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, विशाखापत्तनम ।

9.13 सॉफ्टवेयर टेक्नीकल पार्क्स ऑफ इंडिया, बंगलूर ने बताया है कि उनके पास जो वर्गीकृत रिकार्ड हैं उन्हें विवर्गीकृत नहीं किया जा सकता ।

9.14 हिन्दुस्तान पी आर पी एफ ए बी, लिमिटेड, नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास एवं राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लि० दोनों मुम्बई में हैं, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कंपनी लि० उटकमंड और जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र बंगलूर ने कहा है कि वे यथा समय सूचना भेज देंगे ।

9.15 31 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने शून्य सूचना भेजी है, वे इस प्रकार हैं:- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, दिल्ली विश्वविद्यालय, ई आर एन इ टी इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सभी नई दिल्ली में हैं । भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन और फाल्ता निर्यात संसाधन क्षेत्र दोनों कोलकाता में हैं, मुम्बई पत्तन न्यास, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी एवं अनुसंधान सोसाइटी और अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई, खनिज खोज निगम लिमिटेड और, केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा दोनों नागपुर में हैं, काष्ठ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, भारतीय विज्ञान अकादमी सभी दिल्ली में हैं, अन्तर्राष्ट्रीय उच्च पाऊंडर धातु विज्ञान नई सामग्री केन्द्र, भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड दोनों हैदराबाद में हैं, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (संचरण प्रणाली) चंडीगढ़, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान एवं विकास केन्द्र तिरुअनंतपुरम, पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड बर्दमान, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, कोट्टायम, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर, केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद, तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद ।

निष्क्रिय आयोग/समितियां

लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 6(1)(1) के साथ पठित धारा 3(2) (ठ) के अनुसरण में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों को स्थानांतरित करने के संबंध में सूचना एकत्र करने के प्रयास जारी रखे ताकि उन्हें वैज्ञानिक तरीके से संभालकर रखा जा सके तथा अनुसंधानकर्ताओं को परामर्श के लिए उपलब्ध करवाया जा सके। यह कहना असंगत नहीं होगा कि ऐसे निष्क्रिय निकायों के अभिलेख अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं इनमें दी गई सूचना उन परिस्थितियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है जिनके अन्तर्गत इनकी स्थापना की गई थी और उनके द्वारा कार्य पूर्ण किया गया था। इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को परिपत्र सं० 16-12/2000 आर एम दिनांक 18.7.2000 को प्रेषित किया। कुल 158 मंत्रालयों/विभागों ने सूचना भेजी। उनमें से 42 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

10.1 जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सलाहकार समिति की केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अभिलेखों को उन्होंने अपनी अभिरक्षा में रखा है। रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि दो समितियां अर्थात् वर्गीकरण विशेषज्ञ समिति और विशेष अधिशेष निपटान समितियां उनके द्वारा गठित की गई थीं जो अब निष्क्रिय हो गई हैं। उपमहानिदेशक, विदेश व्यापार, शिलांग ने बताया कि आयात एवं निर्यात सहायक मुख्य नियंत्रक, अगरतला के कार्यालय के रिकार्ड बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इन रिकार्डों को आंचलिक प्रधान कार्यालय, कोलकाता को अंतरित करने की अनुमति नहीं दी गई।

10.2 निम्नलिखित 108 कार्यालयों ने शून्य रिपोर्ट भेजी है - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, खान मंत्रालय, भूतल परिवहन मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कंपनी कार्य विभाग, उच्च शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, विधिक कार्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवार कल्याण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, खाद्य एवं पेट्रो रसायन विभाग, विधायी विभाग, उर्वरक, नागर विमानन महानिदेशक, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, ठोस अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, विदेशी भाषा विद्यालय, गुणता आश्वासन निदेशक, महानिदेशक, आयकर (अन्वेषण), सांख्यिकी एवं आसूचना निदेशालय, (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क), नगर एवं ग्रामीण योजना संगठन, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, इंदिरागांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, आंचलिक परिषद सचिवालय, मुख्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, महानिदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्रीय कार्य प्रभाग) सशस्त्र बल फिल्म एवं फोटो प्रभाग और योजना आयोग, सभी नई दिल्ली में हैं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त चैन्नई और बी सी जी टीका प्रयोगशाला दोनों चैन्नई में हैं, केन्द्रीय लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त, नेशनल एटलस एंड थिमेटिक मैपिंग आरगेनाइजेशन और पटसन आयुक्त का कार्यालय सभी कोलकाता में हैं, भारत के शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय, वायदा बाजार आयोग,

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई । पत्तन स्वास्थ्य संगठन, अतिरिक्त निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलैक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम), केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सभी मुम्बई में हैं, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली मसाला विभाग, केन्द्रीय मत्स्य तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं राडार विकास स्थापना, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, उप मुख्य श्रमायुक्त (सी) का कार्यालय और शाखा

सचिवालय (विधिक मामलों का विभाग) सभी बंगलूर में है । काजू एवं नारियल विकास निदेशालय और मुख्य आयकर आयुक्त, केरल दोनों कोचीन में हैं, संयुक्त महानिदेशक, विदेशी व्यापार कटक, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, गुजरात सर्किल और अन्न बचाओ अभियान क्षेत्रीय कार्यालय दोनों अहमदाबाद में हैं, पोस्ट मास्टर जनरल, पश्चिमी क्षेत्र, कोयम्बटूर मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, उडीसा सर्किल, अन्न बचाओ अभियान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय) सभी भुवनेश्वर में हैं, भारतीय अनाज भंडारण एवं प्रबंध संस्थान, हापुड, क्षेत्रीय सैनिक उड्डयन योग्यता केन्द्र एच ए एल कोरवा (जिला) सुल्तानपुर, प्रमाण एवं प्रायोगिक स्थापना, चांदीपुर (जिला बालासोर) नौसेना विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम, टर्मिनल बैलेस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़, नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, आनंद नगर (जिला ठाणे) क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय क्षेत्र) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्वोत्तर अंचल) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय शिलांग, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, अधिशासी समापक (राजस्थान उच्च न्यायालय), विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, इलैक्ट्रॉनिक्स परीक्षण और विकास केन्द्र सभी जयपुर में हैं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय रायपुर, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय राजकोट, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जबलपुर, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, त्रिचुरापल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) शिमला, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, अस्का (जिला गंजम) पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मंडपम, वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का मंत्रालय) पुणे, बल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और न्यूक्लियर फ्यूल कम्पलैक्स दोनों हैदराबाद में हैं, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, इलैक्ट्रॉनिक्स परीक्षण एवं विकास केन्द्र (मोहाली), क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन केन्द्र, जोवई (मेघालय), महानिदेशक, खान सुरक्षा धनबाद, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, अरइमाइल तुरा (मेघालय), उच्च प्रशिक्षण केन्द्र (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक) लुधियाना, कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश कानपुर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून और रेलवे सुरक्षा आयुक्त, लखनऊ ।

10.3 अन्न बचाओ अभियान कार्यालय, जयपुर, यंत्र उपकरण एवं विकास स्थापना एवं हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन स्थापना, चंडीगढ़ ने बताया कि इसके लिए उनके मुख्यालय कार्यालय से संपर्क किया जाए चूंकि उनके नीतिगत मामलों पर मुख्यालय द्वारा ही कार्रवाई की जाती है ।

10.4 रक्षा प्रबंध कॉलेज, सिकंदराबाद ने बताया कि उनके संगठन द्वारा रखे गए रिकार्ड संवेदनशील

स्वरूप के हैं और वे आम जानकारी के लिए नहीं होते, जबकि इलैक्ट्रॉनिक्स परीक्षण और विकास केन्द्र, बंगलूर ने बताया कि एक अलग रिकार्ड रूम बनने के बाद ही सूचना भेजी जा सकेगी ।

10.5 जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सवाल है 42 संगठनों ने सूचना भेजी है जिनमें से 38 संगठनों ने 'शून्य' सूचना भेजी है, ये हैं:- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, हिन्दुस्तान पी आर ई एफ ए बी लि०, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, दिल्ली विश्वविद्यालय ई आर एन ई टी इंडिया, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, भारतीय किसान उर्वरक निगम लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी, सभी नई दिल्ली में हैं, मद्रास गोदी श्रम बोर्ड, चैन्नई । भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन कोलकाता, भारतीय कपास निगम, अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुंबई पत्तन न्यास और राष्ट्रीय विज्ञान और उर्वरक लिमिटेड सभी मुंबई में हैं, केन्द्रीय कर्मकार शिक्षण बोर्ड और खनिज खोज निगम लिमिटेड दोनों नागपुर में हैं । भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, भारतीय विज्ञान अकादमी और रमन अनुसंधान संस्थान, सभी बंगलूर में हैं । तुंगभद्रा स्टील उत्पाद, तुंगभद्रा बांध, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम, गुवाहाटी, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म विनिर्माण लिमिटेड उटकमंड, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड कुट्टायन, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर, केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, भारतीय ड्रेजिंग निगम दोनों विशाखापत्तनम में हैं, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद और भारत डाइनॉमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद ।

10.6 कर्मचारी राज्य बीमा निगम और हडको दोनों नई दिल्ली में, चैन्नई पत्तन न्यास और हुगली गोदी एवं पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने बताया कि वे अपनी स्वयं की प्रक्रिया अपना रहे हैं ।

अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई

जैसा कि लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) में विहित है, मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया जाना एक संवैधानिक आवश्यकता है। क्योंकि इससे अस्थायी महत्व के अभिलेखों को नष्ट करके महत्वपूर्ण शिल्प स्पेस की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त एक ओर जहाँ प्राप्त स्थान का इस्तेमाल अभिलेखों के नवीन आगत के लिए किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर स्थाई प्रकृति के अभिलेखों को अभिलेखीय भण्डारण में स्थायी परिरक्षण के लिए भेजा जा सकता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार इस सम्बन्ध में अभिलेख सर्जक अभिकरणों को मार्गदर्शन व परामर्श देने का प्रयास कर रहा है तथा उसने इस विषय पर सूचना प्राप्त करने के लिए सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को परिपत्र सं० 16-12/2000 आर एम दिनांक 18.7.2000 जारी किया। प्राप्त सूचना से राष्ट्रीय अभिलेखागार को ऐसे अभिकरणों का मूल्यांकन करने के लिए अपना कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलेगी। उक्त परिपत्र के प्रत्युत्तर में 99 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना प्रेषित की है। इनमें से 28 कार्यालयों ने बताया कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके अपने पच्चीस वर्ष पुराने रिकार्डों का मूल्यांकन कर रहे हैं और 49 कार्यालयों ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है। 18 कार्यालयों ने बताया कि उक्त प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होती और 4 कार्यालयों ने अस्पष्ट उत्तर दिए हैं। प्राप्त सूचना का विश्लेषण नीचे दिया गया है:-

11.1 28 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने बताया कि उनके पास ऐसे अप्रचलित रिकार्ड हैं जिनका मूल्यांकन राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से किया जा चुका है। ये कार्यालय हैं:- कोयला मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य विभाग, रेल मंत्रालय, भू-तल परिवहन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उर्वरक विभाग, उच्च शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, योजना आयोग, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय का कार्यालय सभी नई दिल्ली में हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय चैन्नई-1, चैन्नई, नेशनल एटलस एंड थिमैटिक मैपिंग आरगेनाइजेशन, कोलकाता; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और पत्तन स्वास्थ्य संगठन सभी मुम्बई में हैं, अन्न बचाओ अभियान कार्यालय, अहमदाबाद; शाखा सचिवालय (विधिक कार्य विभाग) बंगलूर; सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, कोयम्बटूर; महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून; खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद; पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र, धाड़वाड़, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, नागपुर; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी; और विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, त्रिचुरापल्ली।

11.2 जिन 49 कार्यालयों ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है वे इस प्रकार हैं:- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, गुणता आश्वासन महानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय, सांख्यिकीय और आसूचना निदेशालय (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा शुल्क) मुख्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा

गार्ड, राजभाषा विंग (विधायी विभाग), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सशस्त्र बल फिल्म एवं फोटो प्रभाग और विदेशी भाषा कार्यालय सभी नई दिल्ली में हैं और ठोस अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, दिल्ली; लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त का कार्यालय, पटसन आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, सभी कलकत्ता में हैं, भारत के शत्रु की संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय, वायदा बाजार आयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के आयुक्त का कार्यालय, और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सभी मुम्बई में हैं, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, गुजरात सर्किल अहमदाबाद, कल्याण आयुक्त का कार्यालय, इलाहाबाद, उप श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), क्षेत्रीय सैनिक उड्डयन योग्यता केन्द्र (हैलीकॉप्टर्स), क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और केन्द्रीय मत्स्य तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, सभी बंगलूर में हैं, साक्ष्य एवं प्रायोगिक स्थापना, चांदीपुर (जिला बालासोर), अन्न बचाओ अभियान कार्यालय, भुवनेश्वर पोस्ट मास्टर जनरल (पश्चिमी क्षेत्र) कोयम्बटूर, संयुक्त महानिदेशक, विदेशी व्यापार का कार्यालय, कटक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्वोत्तर अंचल), टर्मिनल बैलेस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला दोनों चंडीगढ़ में हैं, मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, कर्नाटक और गोआ, बंगलूर, न्यूक्लियर ईंधन कम्प्लेक्स, हैदराबाद विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, उच्च प्रशिक्षण संस्थान (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय), लुधियाना, इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण और विकास केन्द्र, मोहाली; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, अरडमाइल, तुरा (मेघालय), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क आयुक्त का कार्यालय और भारतीय खान ब्यूरो, दोनों नागपुर में हैं, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मंदापम कैम्प, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अस्का (जिला गंजम), पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय गोआ क्षेत्र, पणजी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहरणालय, राजकोट; क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय) शिमला, क्षेत्रीय सैनिक उड्डयन योग्यता केन्द्र, एच ए एल कोरवा (जिला सुल्तानपुर) नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, आनंद नगर (जिला ठाणे) और नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला विशाखपत्तनम ।

11.3 जिन 18 कार्यालयों ने बताया कि यह प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होती है वे इस प्रकार हैं:- प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, रक्षा लेखा के महानियंत्रक का कार्यालय, शहर एवं ग्रामीण योजना संगठन, और आंचलिक परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय) सभी नई दिल्ली में हैं, बी सी जी टीका प्रयोगशाला, चैन्नई, अतिरिक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कार्यालय, मुंबई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं राडार विकास स्थापना, बंगलूर, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, काजू एवं नारियल विकास निदेशालय कोचीन, भारतीय अनाज भण्डारण प्रबंध और अनुसंधान संस्थान, हापुड़, इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण और विकास केन्द्र, जयपुर, संयुक्त निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना, जबलपुर; क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय क्षेत्र) पर्यावरण और वन मंत्रालय लखनऊ, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन केन्द्र, नागपुर;

वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) पुणे और उपमहानिदेशक, विदेशी व्यापार का कार्यालय, शिलांग ।

11.4 जिन चार कार्यालयों ने अस्पष्ट सूचना दी है वे हैं, नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय और विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन दोनों नई दिल्ली में हैं, कंपनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, कानपुर और मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, केरल, कोचीन ।

11.5 कुल मिलाकर 45 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने सूचना भेजी जिनमें 8 ने वांछित सूचना भेजी है जबकि 6 उपक्रमों ने बताया कि वे स्वयं की प्रक्रिया अपना रहे हैं ।

11.6 जिन 8 संगठनों ने वांछित सूचना भेजी है वे इस प्रकार हैं:- हिन्दुस्तान पी आर ई एफ ए बी, और भारतीय उर्वरक निगम, नई दिल्ली, भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुंबई, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कंपनी लिमिटेड, उटकमंड, खनिज खोज कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर, राष्ट्रीय जल विज्ञान अकादमी, बंगलूर और भारतीय ड्रेजिंग निगम, विशाखपत्तनम ।

11.7 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 'शून्य' सूचना भेजी है ये हैं:- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद, दिल्ली विश्वविद्यालय, ई आर एन ई टी इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारतीय किसान उर्वरक निगम लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी सभी नई दिल्ली में हैं । भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास एवं मुंबई पत्तन न्यास सभी मुंबई में हैं, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, रमन अनुसंधान संस्थान और जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, सभी बंगलूर में हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, कुट्टायम; भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर, केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र और उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान दोनों पुणे में हैं, केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड, नागपुर, तुंगभद्रा स्टील उत्पाद लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम; गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना, परियोजना और विकास इंडिया लिमिटेड, नोएडा; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद और मुड़मुगांव पत्तन न्यास, गोआ ।

11.8 छः अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने बताया कि वे स्वयं की व्यवस्था अपनाए हुए हैं वे इस प्रकार हैं:- कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और हडको सभी नई दिल्ली में हैं; चैन्नई पत्तन न्यास और मद्रास गोदी श्रम बोर्ड दोनों चैन्नई में हैं और हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता ।

संगठनात्मक इतिहास

लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 6(1)(झ), में यह विहित है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण अपना संगठनात्मक इतिहास संकलित करेगा क्योंकि वह उनके द्वारा वर्षों में तैयार किये गये अभिलेखों की प्रकृति के समुचित मूल्यांकन के लिए एक जरूरी अस्त्र है। इस विवरण में उस अभिकरण की स्थापना, उसके विभिन्न स्कंधों, प्रभाग इत्यादि के विकास से संबंधित सूचना शामिल होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपने दिनांक 15 नवम्बर 2000 के परिपत्र सं० 16-13/2000-आर.एम. के तहत अनुरोध करते हुए उनसे संगठनात्मक इतिहास के संकलन के बारे में वर्ष 1999 के दौरान उनके द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया। निसंदेह ऐसे विवरण से किसी विशेष अभिलेख सर्जक अभिकरण के विकास, उनके कामों में परिवर्तन तथा उनके द्वारा सृजित अभिलेखों का पता लगाने में आसानी होगी। इससे राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों को मूल्यांकन में सहायता मिलती है क्योंकि किसी मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की गतिविधियों की बेहतर समझदारी होने से अभिलेखों के विभिन्न समूहों के लिए प्रतिधारण समय सूची निर्धारित करने में मदद मिलती है।

उक्त परिपत्र के प्रत्युत्तर में 164 मंत्रालयों आदि ने जवाब दिया इनमें से 100 संगठनों ने अपने अपने संगठन के विवरण भेजे हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है ताकि समय समय पर हुए उन संगठनों के विकास को समझा जा सके। 46 रिकार्ड तैयार करने वाली एजेंसियों ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है जबकि अन्य 18 संगठनों ने अलग अलग जवाब दिये हैं। 83 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस संबंध में सूचना भेजी है। उनकी सूचना का विश्लेषण निम्नलिखित है:-

12.1 इस संबंध में जिन 100 संगठनों ने संगठन विवरण भेजे हैं ये हैं:- नागर विमानन, कोयला, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य विभाग, रेल मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग, नागर विमानन महानिदेशक, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, सशस्त्र बल फिल्म एवं फोटो प्रभाग, आंचलिक परिषद सचिवालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय पशुपालक पंजीकरण युनिट, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) का कार्यालय और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रक्षा मंत्रालय), केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, योजना आयोग, प्रकाशन प्रभाग, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल सभी नई दिल्ली में हैं। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई। चैन्नई; केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, नेशनल एटलस थिमैटिक मैपिंग ऑरगेनाइजेशन, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, पटसन आयुक्त का कार्यालय, भारत का मानवविज्ञानीय सर्वेक्षण और लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त सभी कोलकाता में हैं। वायदा बाजार आयोग, पत्तन संगठन, क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, सक्षम प्राधिकारी, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समयहरण) अधिनियम 1976, विमानपत्तन

स्वास्थ्य संगठन, विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, केन्द्रीय कर्मकार शिक्षण बोर्ड, सीमा शुल्क एवं एयर कार्गो आयुक्त का कार्यालय, सभी मुम्बई में हैं। केन्द्रीय तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, शाखा सचिवालय, (विधिक कार्य विभाग) मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणता प्रमाणन, क्षेत्रीय कार्यालय, (दक्षिणी क्षेत्र) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, राष्ट्रीय यक्ष्मा संस्थान, सभी बंगलूर में हैं, सुपारी एवं मसाला विकास का निदेशालय, कालीकट, काजू एवं नारियल विकास का निदेशालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन दोनों कोचीन में हैं, भारतीय अनाज भण्डारण और प्रबंध संस्थान, हापुड़; टर्मिनल बैलेस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, श्रम ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय। सभी चंडीगढ़ में हैं। क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय क्षेत्र) (पर्यावरण और वन मंत्रालय) और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला दोनों लखनऊ में हैं; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो, राष्ट्रीय सिविल रक्षा कॉलेज, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, वन संसाधन पूर्वनिवेश सर्वेक्षण, विस्फोटक सामग्री विभाग और अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन केन्द्र सभी नागपुर में हैं; इलैक्ट्रॉनिक्स परीक्षण एवं विकास केन्द्र, मोहाली, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद, भारतीय सर्वेक्षण और उच्च इलैक्ट्रॉनिक्स एवं प्रक्रिया यंत्रीकरण प्रशिक्षण संस्थान और दोनों देहरादून में हैं, आयकर निदेशक (अन्वेषण) का कार्यालय, केन्द्रीय मुर्गीपालन प्रजनन फार्म, प्रधान पोस्ट मास्टर जनरल, उड़ीसा सभी भुवनेश्वर में हैं, शासकीय समापक (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय) इंदौर; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरैमाइले, तुरा (मेघालय) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर, क्षेत्रीय खाद्य सामग्री उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र, गांधी नगर, सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और परमाणु नाभिकीय कम्पलैक्स दोनों हैदराबाद में हैं, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे। और वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) का कार्यालय सभी पुणे में हैं; राष्ट्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, अस्का (जिला गंजम); केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी अंचल) गाजियाबाद; केन्द्रीय पशुपालन प्रजनन फार्म, चिपलीमा, (जिला संबलपुर) दलहन विकास निदेशालय, भोपाल; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मिलेट विकास निदेशालय, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन केन्द्र सभी जयपुर में हैं; केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र दोनों पटना में हैं; सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय और पौध संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय, दोनों फरीदाबाद में हैं; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, बडोदरा; पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, औरंगाबाद प्रभाग, औरंगाबाद; क्षेत्रीय खाद्य सामग्री उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग; अनुसूचित जाति/जन जपति के व्यक्तियों के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन केन्द्र, जोवई (मेघालय); पत्तन स्वास्थ्य संगठन, कांडला, कांडला पत्तन (कच्छ) एवं क्षेत्रीय खाद्य सामग्री उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, पालज (गांधी नगर)।

12.2 46 रिकार्ड तैयार करने वाली एजेंसियां निम्न हैं जिन्होंने 'शून्य' सूचना प्रस्तुत की हैं:- विधायी

विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, विदेशी भाषा विद्यालय, महानिदेशक, आयकर (अन्वेषण), सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय (केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क), नगर और ग्राम आयोजना संगठन, विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, तट गार्ड मुख्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक और गुणता आश्वासन महानिदेशक का कार्यालय (सभी के कार्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं); केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चैन्नई-1 का कार्यालय और बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला दोनों चैन्नई में हैं, पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता; भारत के शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई-1 का कार्यालय और इलैक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम) सभी मुंबई में हैं; केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, महापोस्टमास्टर, गोवा क्षेत्र, पणजी; प्रधान महापोस्टमास्टर, गुजरात सर्किल अहमदाबाद; महापोस्टमास्टर (पश्चिमी क्षेत्र), सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त, दोनों कोयम्बटूर में, क्षेत्रीय उड्डयन योग्यता केन्द्र, एच.ए.एल. कोरवा (जिला सुल्तानपुर), क्षेत्रीय सैनिक उड्डयन योग्यता (हेलीकॉप्टर) केन्द्र और आयकर मुख्य आयुक्त का कार्यालय, कर्नाटक और गोवा, इलैक्ट्रॉनिक्स और राडार विकास स्थापना सभी बंगलूर में क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्व जोन) (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्व जोन) (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) और उप महानिदेशक, विदेश व्यापार सभी शिलांग में हैं; सरकारी परिसमापक (राजस्थान उच्च न्यायालय) का कार्यालय, इलैक्ट्रॉनिक्स परीक्षण और विकास केन्द्र और विकलांग पुनर्वास व्यावसायिक केन्द्र सभी जयपुर में हैं; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, राजकोट; संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, एयरपोर्ट स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली; मॉडल जन्म मृत्यु और स्वास्थ्य सांख्यिकी युनिट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोचिंग व मार्गदर्शन केन्द्र दोनों नागपुर में हैं; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोचिंग-व-मार्गदर्शन केन्द्र, जोवाई (मेघालय); उच्च प्रशिक्षण संस्थान (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक), लुधियाना; क्षेत्रीय कार्यालय (अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय), भुवनेश्वर; राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी; वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), पुणे; पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मन्दपम; राष्ट्रीय बल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी, हैदराबाद और केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ।

12.3 पूर्ति विभाग और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण दोनों विभाग नई दिल्ली में हैं, अन्न बचाओ अभियान कार्यालय भुवनेश्वर ने सूचना दी है कि संगठन के विवरण का इनकी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है । राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम ने सूचना दी है कि संगठन के विवरण का उल्लेख इनके स्मारक में किया गया है । संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, कटक का कार्यालय; अन्न बचाओ अभियान क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद और क्षेत्रीय कुष्ठ और प्रशिक्षण संस्थान, अस्का (जिला गंजम); उप मुख्य श्रम आयुक्त, बंगलूर ने सूचना दी है कि इनके कार्यालय, फील्ड और जोनल कार्यालय छोटे हैं, अतः संगठन के विवरण को संकलित करके भेजना आवश्यक नहीं है । अन्न बचाओ अभियान कार्यालय, जयपुर ने सूचित किया है कि ऐसे सभी नीति संबंधी मामले और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रालय द्वारा लिये जाते हैं । साक्ष्य और प्रयोगात्मक स्थापना, चांदीपुर (जिला बालासोर) ने बताया

कि सूचना इकट्ठी की जा रही है और संगठन का विवरण तैयार किया जाएगा । नौ सेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला आनन्द नगर (जिला थाणे) ने जानकारी दी है कि सूचना इनके मुख्यालय से मंगाई जा सकती है । घन अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने बताया है कि वे संगठन का विवरण तैयार नहीं कर सके क्योंकि उनका संगठन 1964 में ही अस्तित्व में आया था । मुख्य आयुक्त, आयकर, केरल, कोचीन ने सूचना दी कि वे स्टॉफ के कम होने के कारण संगठन का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके । अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मुख्यालय, नई दिल्ली ने बताया कि गोपनीय सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता । महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरेमाइल, तुरा (मेघालय) ने सूचना दी है कि स्टॉफ के कम होने के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका । इलैक्ट्रॉनिक परीक्षण और विकास केन्द्र, बंगलूर ने बताया है कि अलग रिकार्ड रूम स्थापित किए जाने के उपरान्त ही यह कार्य शुरू किया जाएगा ।

12.4 59 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अपने-अपने संगठनों के विवरण की प्रतियां प्रस्तुत की हैं । ये निम्नलिखित हैं:- केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, भारत का उर्वरक निगम, हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन संगठन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भारतीय निर्यात-संगठन-परिसंघ, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, खेल कूद सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान सभी नई दिल्ली में हैं; राष्ट्रीय पत्तन प्रबंधन संस्थान, चैन्नई; भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोशिएसन, बर्न स्टैण्डर्ड कं० लिमिटेड और कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड, सभी कोलकाता में हैं; राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, दि बोम्बे टैक्सटाइल रिसर्च एसोशिएसन, हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, पर्यटक कार्यालय, भारत सरकार, भारतीय कपड़ा निगम लिमिटेड और लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन सभी मुंबई में हैं; रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, भारतीय विज्ञान अकादमी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मसाला व्यापार निगम, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया, केन्द्रीय मुर्गीपालन प्रशिक्षण संस्थान और फोरमेन प्रशिक्षण संस्थान सभी बंगलूर में हैं; हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट, कोट्टायम; राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद; राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नोएडा, मेन मेड टैक्सटाइल रिसर्च एसोशिएसन, सूरत; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम, पत्तन न्यास, ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, सभी विशाखापत्तनम में हैं; भारतीय कृत्रिमांग विनिर्माण निगम, कानपुर; केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश; सेंटर फार मेटिरियल्स फार इलैक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी और भारतीय उष्णकटिबन्धी मौसम विज्ञान संस्थान दोनों पुणे में हैं; राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान, रुड़की; गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना, भारतीय औषध भेषज्य निगम लिमिटेड, रामनगर; भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा, तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ और भोपाल; क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, कुरुक्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्रीय फार्म प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, शॉणितपुर (असम), सेंटर फॉर मेटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी, त्रिचूर, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून; हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमंड; महाप्रबंधक टेलीकॉम कार्यालय, कालीकट और हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन लिमिटेड, रांची

12.5 7 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने उत्तर दिया कि वे संकलित करके इन्हें यथा समय भेज देंगे । वे निम्नलिखित हैं:- दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी और राष्ट्रीय वस्त्र निगम सभी नई दिल्ली में हैं; मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई, उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जवाहर लाल नेहरू केन्द्र, बेंगलूर; खनिज खोज निगम लिमिटेड, नागपुर और मुरमुगाओ पत्तन न्यास, गोवा ।

12.6 दूसरे एक श्रेणी के 12 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अभी तक 'शून्य' सूचना भेजी है । वे उपक्रम निम्नलिखित हैं:- राष्ट्रीय सहकारिता निर्माण-परिसंघ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इ.आर.एन.इ.टी. इण्डिया, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये सभी नई दिल्ली में हैं, प्रोजेक्ट एण्ड डिवेलपमेंट इण्डिया लिमिटेड, नोएडा; मद्रास गोदी श्रम बोर्ड, चैन्नई; हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता; जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास और अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान ये दोनों मुंबई में हैं; तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद ।

12.7 कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हडको, भारतीय कृषक निगम लिमिटेड और वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद सभी नई दिल्ली में हैं और चैन्नई पत्तन न्यास, चैन्नई ने सूचना दी है कि वे अपनी अपनी नियम पुस्तक के अनुसार काम कर रहे हैं ।

'क' श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण

मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में पहले जो कुछ बताया है उसके अलावा मैं यहाँ यह बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान रिकार्ड तैयार करने वाली एजेंसियों के यहाँ उपलब्ध 'क' श्रेणी के रिकार्डों का माइक्रोफिल्म बनाने के संबंध में अपनी कार्रवाई जारी रखी है। इस विषय की महत्ता का ध्यान में रखकर, सचिव संस्कृति विभाग, भारत सरकार ने मंत्रालयों/विभागों के 25 सचिवों को दिनांक 16 जून 1999 को अर्धशासकीय पत्र सं० 16-6/99-आर.एम. के माध्यम से लिखा जिनसे अभी भी उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके बाद, 25 मंत्रालयों/विभागों में से 18 मंत्रालयों/विभागों ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। इनमें से 4 संगठनों ने सूचना दी है कि उनके पास 'क' श्रेणी के अभिलेख नहीं हैं, 6 ने बताया है कि वैसे अभिलेखों का पता लगाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है, 4 संगठनों ने सूचित किया है कि उनके 'क' श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण का कार्य राष्ट्रीय अभिलेखागार की सहायता से पहले ही पूरा किया जा चुका है। एक संगठन ने इस पहलू पर स्पष्टीकरण मांगा है, एक संगठन ने उत्तर दिया है कि स्थायी स्वरूप के सभी अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेज दिए गये हैं जबकि 2 संगठनों ने सूचित किया है कि इसके लिए उनके मुख्यालय से सूचना मांगी जाये। सूचना का ब्यौरेवार विश्लेषण नीचे दिया गया है:-

13.1 खाद्य संसाधन उद्योग और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मंत्रालयों तथा महिला और बाल विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (ये सभी मंत्रालय और विभाग दिल्ली में हैं) ने बताया कि इनके पास क श्रेणी के रिकार्ड नहीं हैं।

13.2 6 संगठनों ने बताया कि उन रिकार्डों का पता लगाए जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है जिनकी माइक्रोफिल्म बनाई जानी है। ये निम्नलिखित हैं:- कोयला, खान, वस्त्र, शहरी विकास और सामाजिक न्याय मंत्रालय तथा डाक विभाग। ये सभी नई दिल्ली में हैं।

13.3 4 मंत्रालयों/विभागों आदि ने सूचना दी है कि 'क' श्रेणी के रिकार्डों की माइक्रोफिल्म बनाने का कार्य राष्ट्रीय अभिलेखागार की सहायता से पहले ही पूरा किया जा चुका है। वे 4 मंत्रालय और विभाग निम्नलिखित हैं:- पर्यावरण और वन तथा विद्युत मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और योजना आयोग। ये सभी नई दिल्ली में हैं।

13.4 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली ने वेतन बिल रजिस्ट्रारों की माइक्रोफिल्म बनाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उन रजिस्ट्रारों की प्रतिधारण अवधि 35 वर्ष है।

13.5 सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह बताते हुए उत्तर दिया कि सभी स्थायी रिकार्ड राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेज दिए गए हैं ।

13.6 चीनी और खाद्य तेल विभाग तथा भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी विभाग (दोनों विभाग नई दिल्ली में हैं) ने बताया कि उनका मुख्यालय अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर देगा ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा (3)(ख) को लोक अभिलेख नियम, 1997 के साथ पढ़े जाने पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक को मूल्यांकन करने तथा साथ ही स्थाई प्रकृति के अभिलेखों की प्राप्ति को स्वीकार करने के लिये शक्ति-प्रदत्त किया गया है। इसी तरह लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा (1)(ग) में भी विभागीय अभिलेख अधिकारी को ऐसे सार्वजनिक अभिलेख, जो पच्चीस साल से अधिक पुराने हैं तथा जो स्थाई मूल्य वाले हैं, को राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकित कर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कार्य जहाँ एक ओर अस्थायी प्रकृति के अभिलेखों की छँटाई में मदद पहुँचाता है, जिससे कि मूल्यवान शैल्फ स्थान एवं भारत सरकार के अभिलेख-कक्षों में जमा अभिलेखों के रख-रखाव पर होने वाले लागत में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर वैसे स्थाई प्रकृति वाले अभिलेख जिन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार में परिरक्षण के लिये रखा जाना है, के आगमन को भी सुनिश्चित करता है।

14.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार और सभी रिकार्ड केन्द्रों में 52,229 फाईलों का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 14,371 फाईलों को रखने और 37,858 फाईलों को नष्ट करने का सुझाव दिया गया। अतः इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप रिकार्डों को रखने पर 37,858 रु० की प्रति वर्ष की बचत हुई। ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

14.2 24 संगठनों के 45,949 रिकार्डों का राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने मूल्यांकन किया। इनमें से 13,116 फाइलों को रखने के लिए और 32,833 फाइलों को नष्ट करने की सिफारिश की गई। वे निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं - प्रधानमंत्री का कार्यालय (1949-1965), सिविल नागर विमानन मंत्रालय (1952-1974), रसायन और उर्वरक मंत्रालय (1950-1975), संचार मंत्रालय (1964-1975), रक्षा मंत्रालय (1945-1974), पर्यावरण और वन मंत्रालय (1959-1975), गृह मंत्रालय (1953-1974), सूचना और प्रसारण मंत्रालय (1973-1974), भूतल परिवहन मंत्रालय (1949-1975), रेल मंत्रालय (1934-1974), जल संसाधन मंत्रालय (1956-1975), व्यय विभाग (1968-1974), कम्पनी कार्य विभाग (1937-1975), खाद्य और सिविल आपूर्ति विभाग (1956-1975), भारी उद्योग विभाग (1964-1974), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (1951-1975), राजभाषा विभाग (1958-1974), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (1948-1971), आपूर्ति विभाग (1959-1975), वायु सेना मुख्यालय (1953-1974), और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (1929-1974), ये सभी नई दिल्ली में हैं, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुम्बई (1951-1974), यंत्र अनुसंधान विकास स्थापना (रक्षा मंत्रालय), देहरादून (1955-1975), और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, चंडीगढ़ (1947-1974),

14.3 एक संयुक्त दल, जिसमें मुख्यालय के साथ-साथ राष्ट्रीय अभिलेखागार के रिकार्ड केन्द्र, पांडिचेरी के अधिकारी भी थे, ने सीमा शुल्क आयुक्त, का कार्यालय, चेन्नई की 5213 फाइलों (1910-1974), का मूल्यांकन किया इसमें से 1172 फाइलों को रखने और 4041 फाइलों को नष्ट करने की सिफारिश की गई गई ।

14.4 इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अभिलेखागार, रिकार्ड केन्द्र (पूर्वी जोन), भुवनेश्वर ने प्रधान पोस्टमास्टर जनरल, उड़ीसा सर्किल, भुवनेश्वर के कार्यालय की 1067 फाइलों (1900-1974), का भी मूल्यांकन किया इसने इसमें से 83 फाइलों को रखने तथा 984 फाइलों को नष्ट करने की सिफारिश की ।

संदर्भ माध्यम

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ड.) के अनुसार अभिलेखागार के महानिदेशक को सूची, सूचकांक, कैटलॉग तथा सार्वजनिक अभिलेखों के अन्य संदर्भ माध्यम की तैयारी का कार्यभार सौंपा गया है। यहाँ यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि संदर्भ माध्यम अभिलेखों को तत्काल प्राप्त करने का साधन है। चूंकि अभिलेख सरकार की स्मृति स्वरूप होते हैं जिसमें अतीत में उठाए गए कदम एकत्रित रहते हैं और जो निर्णय लेने में तथा भविष्य की नीतियों को तैयार करने में मदद करते हैं। अतएव सूचना के तत्काल संदर्भ के लिए प्रत्येक संगठन द्वारा पर्याप्त संदर्भ माध्यम की तैयारी नितांत आवश्यक है। तदनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेखों हेतु उपयुक्त संदर्भ माध्यम तैयार करने के प्रयास जारी रखे। इस सम्बन्ध में किए गये कार्यों का विवरण नीचे उल्लिखित है -

15.1 एशिया के इतिहास स्रोतों की गाइड, प्रोजेक्ट में खण्ड 3.4 पूरा करके मुद्रण के लिए प्रेस में भेज दिया गया है।

15.2 जहाँ तक खण्ड 3.5 का सम्बन्ध है, इस खण्ड में शामिल करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और पंजाब राज्य अभिलेखागार से प्राप्त परियोजना से सम्बन्धित सामग्री की जांच की गई और सम्बन्धित राज्य अभिलेखागार से इस सम्बन्ध में कुछ और ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, सिक्किम, मेघालय, चंडीगढ़ और पांडिचेरी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अभिलेखागार के अभिलेखों से सम्बन्धित विवरण को भी उक्त खण्ड के लिए संकलित किया गया।

15.3 इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केंद्र, भुवनेश्वर ने श्री मनमोहन चौधरी (1961-65) के निजी अभिलेखों की 114 फाइलों और श्री एस एन द्विवेदी (1971-77) के 45 लीज दस्तावेजों की एक विषय सूची तैयार की।

15.4 राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेखों के संदर्भ माध्यम के कम्प्यूटरीकरण की स्कीम से सम्बन्धित अपनी पहली रिपोर्ट में मैंने जैसा उल्लेख किया है कि होम पोलिटिकल 1907-1947(21,369 रिकार्ड) और होम पब्लिक 1747-1800 (1,12,188 अभिलेख) की डाटा प्रविष्टि पूरी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, होम पब्लिक 1801-1859 की डाटा एंट्री आरंभ की गई थी और यह काम अभी भी जारी है।

15.5 जहाँ तक अभिलेखों के विधि मान्यकरण का संबंध है वहाँ होम पालिटिकल अभिलेखों के संबंध में कार्य चल रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 4552 अभिलेख विधिमान्य थे।

अवाप्ति/अधिग्रहण

राष्ट्रीय अभिलेखागार में महानिदेशक को लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 3(2)(ख) के तहत अधिकृत किया गया है कि वे समस्त अभिलेख सर्जक अभिकरणों से स्थायी प्रकृति वाले सार्वजनिक अभिलेखों को संग्रह के लिए स्वीकार करें। इसी प्रकार कथित अधिनियम की धारा 11(1) के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार को उपहार स्वरूप, खरीद अथवा किसी माध्यम से अथवा निजी स्रोतों से ऐतिहासिक अथवा राष्ट्रीय महत्व के अभिलेखों को ग्रहण करने का भी अधिकार है। उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित अभिलेख श्रृंखलाएँ व निजी लेख प्राप्त किये हैं -

16.1 जहाँ तक लोक अभिलेखों की प्राप्ति का संबंध है, प्रधानमंत्री के कार्यालय की 788 फाइलें (1948-72), रसायन और उर्वरक मंत्रालय की 246 फाइलें (1953-72), वित्त मंत्रालय की 507 फाइलें (1927-69), सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 452 फाइलें (1933-71), गृह मंत्रालय की 30 फाइलें (1972), भूतल परिवहन मंत्रालय की 718 फाइलें (1938-70), वाणिज्य मंत्रालय की 664 फाइलें (1953-74), संसदीय कार्य मंत्रालय की 2 फाइलें (1966) प्राप्त की गईं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा सम्मत प्राप्त जम्मू और कश्मीर (28वां संशोधन) संविधान विधेयक, 1999 भी प्राप्त किया गया।

16.2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केन्द्र, पांडिचेरी ने सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई (1910-74) के कार्यालय से 1172 फाइलें और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त (1943-74), गुंटूर से 836 फाइलें प्राप्त कीं। इसी प्रकार राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (पश्चिमी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने भी प्रधान पोस्टमास्टर जनरल, उड़ीसा सर्किल भुवनेश्वर (1900-74) के कार्यालय से 231 फाइलें प्राप्त कीं।

16.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रमुख भारतीयों के निजी अभिलेख और विदेश से भारतीयों के संबंध के अभिलेख प्राप्त करने का अपना प्रयास भी जारी रखा। इस सम्बन्ध में सुश्री मीरा बेन को राजनैतिक पेंशन देने से सम्बन्धित और अन्य सहायक विषयों से सम्बन्धित वर्ष 1970 की 43 पृष्ठों की रिपोर्ट, 1900-1947 की अवधि में स्वर्गीय पी सी जैन द्वारा हाथ से लिखे गए सूची कार्डों तथा जेल, सेना, क्रांति, भारत के राज्यों, भारत छोड़ो आन्दोलन, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों आदि से सम्बन्धित विषयों पर समय-समय पर हाथ से लिखे गए सूची कार्डों के दस बक्से प्राप्त किए गए।

16.4 इसके अतिरिक्त विदेश से भारतीयों से सम्बन्धित अभिलेख माइक्रोफिल्म रोल प्राप्ति के कार्यक्रम के अन्तर्गत 1943-47 तक की अवधि वाले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इण्डिया के साथ वेवेल के पत्राचार से सम्बन्धित लार्ड वेवेल के पेपरों, राजनीतिक स्थिति पर हुई चर्चा, एम के गांधी से वॉयसराय को तथा

वायसराय द्वारा एम ए जिन्ना को भेजे गए तार, लार्ड वेवेल के साथ हुए महत्वपूर्ण साक्षात्कारों की टिप्पणियों, पंजाब समस्या से सम्बन्धित टिप्पणियों, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन के 9 माइक्रोफिल्म रोल ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन से प्राप्त किए गये । इसी प्रकार, 1947-52 की अवधि वाले भारतीय विदेश नीति से सम्बन्धित डोमिनियम आफिस सीरीज 35, राष्ट्रमंडल संबंधी कार्यालय से प्राप्त तार, भारत की संविधान सभा, प्रिवी काउंसिल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अली के बीच हुए पत्राचार आदि के अन्य 14 माइक्रोफिल्म रोल पब्लिक रिकार्ड आफिस, लंदन से भी खरीदे गए।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्रतिधारण समय सूची की जाँच

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा (6)(1)(ड.) के तहत अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से प्रतिधारण समयसूची के संकलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों में पाँच वर्षों में एक बार संशोधन की आवश्यकता पड़ती है ताकि उन नए विषयों को शामिल किया जा सके जो पूर्ववर्ती पाँच वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित रिकार्ड तैयार करने वाली एजेंसियों की परिवर्तित और विस्तृत गतिविधियों के कारण शामिल किए गए हों। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 25 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के मूल कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों की जांच की है। विस्तृत सूचना नीचे की गई है -

17.1 उन संगठनों के अध्ययन रिपोर्टों को अंतिम रूप देकर उन्हें उनके सम्बन्धित संगठनों में भेज दिया था जिनका अध्ययन 1998 में पूरा हो गया था। वे निम्नलिखित हैं - महासागर विकास विभाग, क्वार्टर मास्टर जनरल की थल सेना मुख्यालय की शाखा के ग्यारह निदेशालय और एडजुटेंट जनरल की थल सेना मुख्यालय की शाखा के आठ निदेशालय, ये सभी नई दिल्ली में स्थित हैं।

उपर्युक्त के साथ-साथ, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वर्ष 1999 के दौरान 20 मंत्रालयों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों की जांच की और उनकी अध्ययन रिपोर्ट तथा जांच की गई अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियाँ कार्यान्वयन के लिए उनके पास भेजीं। वे निम्नलिखित हैं - अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय, भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र, भारतीय खेल प्राधिकरण का अकादमिक विंग, नगर और ग्राम योजना संगठन, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि०, ये सभी नई दिल्ली में हैं, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, विपणन और निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय, फरीदाबाद, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, शाखा कार्यालय, विपणन और निरीक्षण (सेंट्रल एगमार्क प्रयोगशाला) का निदेशालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय, (फील्ड ऑपरेशन डिवीजन), राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा केन्द्र, राष्ट्रीय सिविल सेवा रक्षा कॉलेज, विस्फोटक सामग्री विभाग, केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड मुख्यालय, केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय निदेशालय और भारतीय खनन ब्यूरो, ये सभी नागपुर में हैं।

17.2 निम्नलिखित 6 विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का स्थल पर जाकर अध्ययन किया गया और उनकी रिपोर्टों पर अन्तिम रूप दिए जाने का कार्य विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहा है - भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मुम्बई, राष्ट्रीय बचत संगठन और राष्ट्रीय बचत संगठन का क्षेत्रीय निदेशालय दोनों नागपुर में हैं, गोवा शिपयार्ड लि०, वास्कोडिगामा, गोवा और यंत्र अनुसंधान और विकास स्थापना, देहरादून।

परामर्श कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 3(2)(झ) के अधीन, महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार से अपेक्षा की जाती है कि वे अभिलेख तैयार करने, इनका निपटान करने तथा अभिलेखों के अर्ध प्रचलित अवस्था में उनके प्रबंध और वैज्ञानिक तरीके से इनके परिरक्षण के मानक तकनीकों को लागू करने के सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों/विभागों अभिलेखागारों में अभिलेखों की व्यवस्था संबंधी गतिविधियों से सम्बन्धित मामलों पर अभिलेख तैयार करने वाली विभिन्न एजेंसियों को सलाह देने के अपने प्रयास जारी रखें।

18.1 अर्ध प्रचलित अभिलेखों के अनुरक्षण और परिरक्षण को अभिलेख प्रबन्ध के प्रमुख विषयों में से एक विषय के रूप में अर्ध प्रचलित हुए, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने मंत्रालयों आदि के विभागीय अभिलेख कक्ष का निरीक्षण करके वर्तमान परिस्थितियों में सुधार की बाबत स्थल पर जाकर सलाह दी और मार्ग दर्शन किया।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 25 संगठनों के विभागीय अभिलेख कक्ष का राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। वे निम्नलिखित हैं - विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश, रक्षा, श्रम, गृह, विद्युत, पर्यावरण और वन, भूतल परिवहन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इस्पात और जल संसाधन मंत्रालय, राजस्व विभाग, युवा कार्य और खेलकूद, सांख्यिकी, व्यय, औद्योगिक नीति और संवर्धन, शिक्षा, कृषि और सहयोग, दूरसंचार आपूर्ति, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, प्रधानमंत्री का कार्यालय, योजना आयोग, महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और राष्ट्रपति सचिवालय सभी दिल्ली में हैं।

18.2 इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अभिलेखागार को जब भी अनुरोध प्राप्त हुआ वह रिकार्ड तैयार करने वाली एजेंसियों को अभिलेख प्रबंधन के मामलों पर सलाह देता रहा। तदनुसार, अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने निम्नलिखित कार्यालयों को सलाह दी - खाद्य संसाधन, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय), चंडीगढ़, गोवा शिपयार्ड, गोवा, एयर इण्डिया और राष्ट्रीय उद्योग इंजीनियरी संस्थान दोनों मुम्बई में हैं।

18.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद गए और वहाँ उन्होंने अकादमी को अधिकारियों से क श्रेणी के रिकार्डों की माइक्रोफिल्म निर्माण के संबंध में परामर्श दिया।

18.4 राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों का एक दल प्रधानमंत्री के कार्यालय भी गया और वहाँ उन्होंने वर्गीकृत अभिलेखों के अवर्गीकरण पर उनसे परामर्श किया।

18.5 त्रिपुरा सरकार के अनुरोध पर 13 से 17 दिसम्बर 1999 तक अभिलेख प्रबंध पर पाँच दिन की कार्यशाला राज्य के निम्न मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए अगरतला में अभिलेख प्रबंधन अनुभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई। कार्यशाला का समापन 18 दिसम्बर 1999 को

राज्य सरकार के उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ परस्पर बातचीत करके एक विशेष सत्र के साथ किया गया ।

इस सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री, त्रिपुरा राज्य ने की और इसमें उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी भाग लिया । राज्य अभिलेखागार के गठन तथा अभिलेखों के प्रबंधन को सरल और कारगर बनाने के लिए कार्यशाला की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेखीय अध्ययन पीठ ने अभिलेखीय अध्ययन में अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को जारी रखा, इसमें शामिल हैं - अभिलेखीय अध्ययन में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेख प्रशासन और पुस्तकों, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों के संरक्षण तथा मरम्मत पर अल्पकालीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और विभागीय अभिलेख कक्ष में कार्य करने वाले अपने स्टाफ को प्रशिक्षित करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सचिव-समिति के निदेशों के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रतिनियुक्त विभागीय अभिलेखाधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में पांच दिन का अभिविन्यास पाठ्यक्रम चलाया ताकि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(झ) के अधीन यथा अनुबंधित विभिन्न कार्य कर सकें। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सितम्बर 1998 में अपनी स्थापना के बाद से अभी तक 11 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और अभी तक 193 विभागीय अभिलेख अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची रिपोर्ट के अनुबन्ध-VI पर देखी जा सकती है जिन्होंने सितम्बर, 1998 से नवम्बर 1999 तक अभिलेख प्रबंधन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया।

19.1 अकादमिक वर्ष 1999-2000 में अभिलेखों की देखभाल पर एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 6 छात्रों के एक बैच ने भाग लिया। इनमें से एक उम्मीदवार पंजाब राज्य अभिलेखागार चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित था और शेष प्राइवेट उम्मीदवार थे।

19.2 अभिलेखीय अध्ययन पीठ ने पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखों की देखभाल तथा संरक्षण, अभिलेखों की मरम्मत, रिप्रोग्राफी के लिए दो पाठ्यक्रम आयोजित किये तथा निम्नलिखित पर एक एक पाठ्यक्रम चलाया - माइक्रोफिल्म बनाने के सम्बन्ध में सेवाकालीन गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अभिलेखों की मरम्मत के सम्बन्ध में सेवाकालीन प्रशिक्षण, अभिलेख प्रशासन के संबंध में सेवाकालीन पाठ्यक्रम अभिलेखों की मरम्मत के सम्बन्ध में सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा प्राइवेट प्रशिक्षणार्थियों के लिए अभिलेख प्रशासन प्रबंध में एक पाठ्यक्रम।

19.3 प्राइवेट उम्मीदवारों सहित केन्द्र सरकार और अन्य संगठनों के 20 नामितियों ने अभिलेख प्रबंधन के दो सत्रों में भाग लिया। इनमें से एक उम्मीदवार का नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मुख्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, विधायी विभाग और रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग, सभी नई दिल्ली में हैं, बामर और लारी, कोलकाता, अभिलेख और ऐतिहासिक अनुसंधान आयुक्त, चेन्नई, इण्डियन रेयर अर्थ लि०, मुम्बई, रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान प्रयोगशाला

और रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला दोनों हैदराबाद में हैं, केरल अभिलेखागार तिरुवनन्तपुरम, एच एन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (उत्तरांचल) ने भेजा था और दो उम्मीदवार यंत्र अनुसंधान और विकास स्थापना, देहरादून से थे तथा शेष छः उम्मीदवार प्राइवेट उम्मीदवार थे ।

19.4 अभिलेखागार प्रशासन के एक सत्र में 4 उम्मीदवारों ने भाग लिया । एक उम्मीदवार का नाम राज्य अभिलेखागार हिमाचल प्रदेश, शिमला ने भेजा था, दो उम्मीदवारों का नाम राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भेजा था तथा शेष एक प्राइवेट उम्मीदवार था ।

19.5 13 प्रशिक्षणार्थियों ने पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखों की देखभाल और संरक्षण पर चलाए गए अल्पकालीन पाठ्यक्रमों में भाग लिया । इनमें से प्रत्येक का नाम निम्नलिखित द्वारा भेजा गया था - अल-हिकमत बुक बैंक, अखिल भारतभाषीय दिगम्बर जैन परिषद और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र सभी नई दिल्ली में हैं, केन्द्रीय अपराध विश्लेषण विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता, स्टेट सेन्द्रल लाइब्रेरी, मुम्बई, विज्ञान और समाज सोसाइटी एसोसिएशन मणिपुर इम्फाल, जिला भाषा कार्यालय, भाषा और संस्कृति विभाग (जिला - चम्बा) तथा शेष छः प्राइवेट उम्मीदवार थे ।

19.6 अभिलेखों के मरम्मत संबंधी पाठ्यक्रम के दो सत्रों में 25 उम्मीदवारों ने भाग लिया । प्रत्येक उम्मीदवार का नाम निम्नलिखित द्वारा भेजा गया था - गवर्नमेंट ब्आयज सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, ककरोला, राष्ट्रीय अभिलेखागार, युनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, विद्युत मंत्रालय, जल और विद्युत परामर्शी सेवा (इण्डिया) लि०, सभी नई दिल्ली में हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई, अभिलेखागार, पुरातत्व विज्ञान और संग्रहालय निदेशालय, जम्मू, खुदा बख्श लाइब्रेरी, पटना, राज्य अभिलेखागार विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला, महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन, दरभंगा, श्री महासरस्वतीजी विद्यापीठ, इटावा, आर डी मार्केटिंग, अहमदाबाद, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान क्षेत्रीय केन्द्र, कोचीन। 2 उम्मीदवारों के नाम राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता से भेजे गए थे तथा शेष दस उम्मीदवार प्राइवेट प्रशिक्षणार्थी थे ।

19.7 इसी प्रकार दो रिप्रोग्राफी पाठ्यक्रमों में 13 उम्मीदवारों ने भाग लिया था । प्रत्येक का नाम निम्नलिखित ने भेजा था - इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली, अभिलेखागार और ऐतिहासिक अनुसंधान आयुक्त, तमिलनाडु अभिलेखागार, चेन्नई , टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई, खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेपाल, काठमांडू और शेष आठ उम्मीदवार प्राइवेट प्रशिक्षणार्थी थे ।

19.8 अभिलेखों को ठीक रखने संबंधी सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सिर्फ राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली के स्टॉफ के दस उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया ।

19.9 इसी प्रकार, अभिलेखीय प्रबंधन में सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अभिलेखागार के नौ कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया ।

19.10 माइक्रोफिल्म बनाने में गहन सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दो सत्रों में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रायोजित 14 उम्मीदवारों ने भाग लिया । प्रत्येक का नाम निम्नलिखित ने प्रायोजित किया था- नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय इंदिरा गाँधी कला केन्द्र और राष्ट्रीय संग्रहालय से दो उम्मीदवार ये सभी केन्द्र नई दिल्ली में हैं । एक-एक उम्मीदवार भारतीय संग्रहालय और भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता, रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल, नव नालन्दा महावीर, नालन्दा और केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह (लद्दाख) द्वारा भेजे गए थे ।

19.11 इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पदनामित विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबन्धन में पाँच दिन का अभिविन्यास पाठ्यक्रम भी चलाया । कुल मिलाकर 141 विभागीय अभिलेख अधिकारियों ने इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया ।

19.12 64 मंत्रालयों/विभागों /कार्यालयों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा चलाए गए विभिन्न सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अपने यहाँ के अधिकारियों को भेजने की इच्छा जाहिर की । वे मंत्रालय निम्नलिखित हैं - रक्षा, पर्यावरण और वन, विदेश, सूचना और प्रसारण, कोयला, संसदीय कार्य, भूतल परिवहन, रेल, जल संसाधन, परिवार कल्याण, आर्थिक कार्य, आपूर्ति, कम्पनी कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और महानिदेशक नागर विमानन, पूर्ति तथा निपटान, महानिदेशालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, घन अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय (केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क), आई जी आई एयरपोर्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय, तट गार्ड मुख्यालय, नगर और ग्राम योजना संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (फील्ड आपरेशन डिवीजन), योजना आयोग, सभी नई दिल्ली में हैं, केन्द्रीय शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चेन्नई - 1, बी सी जी टीका प्रयोगशाला दोनों चेन्नई में हैं, राष्ट्रीय नक्शा और थिमैटिक मानचित्र संगठन, पटसन आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला सभी कोलकाता में हैं, वायदा बाजार आयोग, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम) सभी मुम्बई में हैं, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केन्द्रीय मत्स्य इंजीनियरी संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक और रडार विकास स्थापना, मुख्य आयुक्त आयकर, कर्नाटक और गोवा, उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, शाखा सचिवालय (विधिक मामलों का विभाग) सभी बंगलूर में हैं, विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक का कार्यालय, कटक, अन्न बचाओ अभियान कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद, अन्न बचाओ अभियान कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय (गैर - पारम्परिक ऊर्जा स्रोत का मंत्रालय) दोनों भुवनेश्वर में हैं, क्षेत्रीय सैनिक उड्डयन योग्यता केन्द्र, एच ए एल कोरवा (जिला सुल्तानपुर), साक्ष्य और प्रयोगात्मक स्थापना, डाकघर - चांदीपुर (जिला - बालासोर), नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च प्रयोगशाला, चंडीगढ़, नौसेना सामग्री अनुसंधान लैब आनन्द नगर (जिला - थाणे), क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय क्षेत्र) पर्यावरण और वन मंत्रालय,

शिलॉंग , मुख्य आयुक्त आयकर का कार्यालय केरल, कोचीन , केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, नागपुर, संयुक्त महानिदेशक का कार्यालय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, एयरपोर्ट स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरपल्ली, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और न्यूक्लियर फ्यूल काम्पलेक्स दोनों हैदराबाद में हैं, इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण और विकास केन्द्र, जयपुर, मोहाली, महानिदेशक, खनन सुरक्षा धनबाद, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान , अरेमाइल तुरा (मेघालय), उच्च प्रशिक्षण संस्थान (रोजगार और प्रशिक्षण) महानिदेशालय, लुधियाना, भारतीय खनन ब्यूरो, नागपुर, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मंसूरी और महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून ।

19.13 इसके अतिरिक्त उन 13 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का उल्लेख नीचे किया गया है जिन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेखीय अध्ययन स्कूल द्वारा अभिलेख प्रबंधन और अभिलेख प्रशासन में चलाये जा रहे सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए अपने अधिकारियों को भेजने में अपनी रुचि दिखाई - हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०, दिल्ली विश्वविद्यालय और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, सभी नई दिल्ली में हैं, भारतीय कपास निगम, मुम्बई, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि० कोट्टायम, भारत डायनामिक्स लि०, हैदराबाद, केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, नागपुर, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की , गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना, प्रोजेक्ट एण्ड डिवलपमेंट लि०, नोयडा, रमन अनुसंधान संस्थान बंगलूर, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिट्टालाजी पुणे, और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद ।

अभिलेखीय जागरूकता

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ग) के तहत, केन्द्र सरकार ने महानिदेशक अभिलेखागार को लोक अभिलेखों की प्रदर्शनी लगाने के लिए प्राधिकृत किया है ताकि आम जनता को पुराने अभिलेखों की जानकारी मिल सके। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित प्रदर्शनियाँ लगाई और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अन्य कार्य भी किए।

21.1 जनवरी के पहले सप्ताह में, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 'श्री अरविन्द' नाम से एक प्रदर्शनी लगाई। उस प्रदर्शनी में भारत के अग्रणी समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी के जीवन-यात्रा और उनके संदेश को विस्तार पूर्वक दिखाया गया।

20.2 इसी प्रकार, 30 जनवरी, 1999 को अभिलेखागार ने "बापू : अमर ज्योति" नाम से एक दूसरी प्रदर्शनी लगाई। इसका उद्घाटन डॉ० आर वी वैद्यनाथ अय्यर, सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार ने किया था। इसमें महात्मा गांधी की बहुविध गतिविधियों को दर्शाया गया था। इसकी बहुत प्रशंसा हुई।

20.3 'भारत रत्न गुलजारीलाल नन्दा' नाम से गुलजारीलाल नन्दा के जीवन, कैरियर और गतिविधियों पर भी प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का 8 अगस्त, 1999 को डॉ० मुरली मनोहर जोशी, माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में नन्दाजी से सम्बन्धित साहित्य और पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया तथा आदर्श व्यक्ति के रूप में उनके कार्य पर प्रकाश डाला गया था ताकि सभी भारतीय उनका अनुकरण कर सकें और वर्तमान पीढ़ी को नन्दाजी की प्रासंगिकता बताई जा सके।

20.4 इस सबके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने लोक अभिलेखों और निजी पुरालेखों से उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई ताकि वे अपने गठन की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन कर सकें। इन अभिलेखों में न्याय प्रणाली के विकसित होने, साधारण विधि शास्त्र तथा सार्वजनिक जीवन में न्यायिक कार्य के विकास के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के कार्यों पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता था।

20.5 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन में अभिलेखीय भंडारणों के मद्देनजर, डॉ० एस सरकार, अभिलेख महानिदेशक, 24 सितम्बर, 1999 को अगरतला गए थे और वहाँ उन्होंने राज्य अभिलेखागार के गठन के लिए मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार से बातचीत की।

20.6 सत्रों में रखी गई पांडुलिपियों की जांच करने के लिए उन्होंने 21 से 25 जून 1999 तक गुवाहाटी, जोरहाट और माजुली द्वीप का भी दौरा किया और उन पांडुलिपियों के उचित संरक्षण के सम्बन्ध में उन्हें सलाह दी ।

20.7 'राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन' पर डा० आर वी वी अय्यर, सचिव संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अभिलेखागार में 8 जून 1999 को बैठक आयोजित की गई । उस बैठक में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत निजी अभिलेखों का पता लगाकर उनकी सूची बनाने पर चर्चा हुई । बैठक में निदेशक, राज्य अभिलेखागार, अभिरक्षणात्मक संस्थाओं, आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र, इतिहासकार तथा कई विद्वान उपस्थित थे ।

20.8 अभिलेख महानिदेशक ने वी वी गिरि नेशनल श्रम संस्थान, नोयडा में अभिलेखागार और भारतीय श्रम की संयुक्त परामर्शी समिति की 26 अक्तूबर, 1999 को हुई बैठक में भाग लिया जिसमें उन्होंने सदस्यों को सलाह दी कि भारत में श्रमिकों से सम्बन्धित रिकार्डों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और संस्थान में उनका उचित रूप से परिरक्षण कैसे किया जा सकता है ।

20.9 त्रिपुरा सरकार के अनुरोध पर श्री एच० डी० सिंह, उपनिदेशक अभिलेखागार के साथ दो वरिष्ठ अधिकारियों ने रिकार्ड प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की । यह कार्यशाला 13 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 1999 तक अगरतला में आयोजित की गई थी ।

20.10 राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख सप्ताह समारोह के संबंध में, डा० एस० सरकार, अभिलेख महानिदेशक की "पुरालेख सम्पत्ति के परिरक्षण" पर 14 दिसम्बर, 1999 को आकाशवाणी पर अंग्रेजी और हिन्दी में एक वार्ता प्रसारित हुई । उन्होंने 11 दिसम्बर 1999 को इंफाल में हुए समारोह में भी भाग लिया । यह समारोह अभिलेख सप्ताह मनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया था ।

प्राथमिकताएं

मुझे तब प्रसन्नता हुई थी जब मैंने लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर अपनी पहली रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के लागू होने से अभिलेखीय तथा अभिलेख प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों को वैधानिक उपबंधों द्वारा नियंत्रित करने की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है, किंतु इस रिपोर्ट के अध्याय - 2 में दिए गए विश्लेषणात्मक आंकड़ों को देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुँची है क्योंकि 1916 संगठनों में से केवल 157 संगठनों ने ही इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए जानकारी भेजी है। दूसरे शब्दों में अभिलेख तैयार करने वाली एजेंसियों का प्रत्युत्तर केवल 8 % ही रहा जो मेरी कल्पना से परे है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभिलेख तैयार करने वाली एजेंसियों को इस सांविधिक आवश्यकता पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों का प्रारूप नए सिरे से तैयार करना चाहिए। मैं अपने इस दृढ़ विश्वास को दोहराना नहीं चाहता कि अभिलेख तैयार करने वाली एजेंसियाँ जब तक इस बात को समझ नहीं लेती कि अभिलेख प्रबंधन कार्यकलाप भी संगठन की अन्य शाखाओं में निरंतर चलने वाले कार्यकलाप की ही भांति हैं तब तक शायद इच्छित परिणाम हासिल नहीं होंगे। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन में एक ऐसा अध्याय होना चाहिए जिससे अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं यथा - रिकॉर्डिंग, फाइलों की समीक्षा तथा सूचकांकन, अभिलेख प्रतिधारण सूची तैयार करना, विभागीय अभिलेख कक्षाओं तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेखों के अंतरण, अभिलेखों के अवश्रेणीकरण आदि के संबंध में किए गए प्रयत्नों तथा प्रगति की जानकारी प्राप्त हो। ऐसा करने से संगठन द्वारा किए गए अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों पर नजर रखने में सहायता मिलेगी।

21.1 विभागीय अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जिस पर अभिलेख तैयार करने वाली एजेंसियों को तुरंत ध्यान देना चाहिए क्योंकि केवल उन्हें ही अधिनियम को कार्यान्वित करना होता है। जहाँ तक मंत्रालयों और विभागों की बात है मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सभी ने विभागीय अभिलेख अधिकारियों की नियुक्ति कर ली है और नतीजतन स्थिति काफी उत्साहजनक है हालाँकि नए बनाए गए मंत्रालयों / विभागों में अभी विभागीय अभिलेख अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मामले में शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस संबंध में पत्र लिखा जाना चाहिए और उन्हें इस विभाग को समय पर जानकारी भेजने के लिए कहना चाहिए।

21.2 अभिलेख प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है - विभिन्न संगठनों द्वारा विभागीय अभिलेख कक्षा की स्थापना करना और इस मामले में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुझे यह भी पता चला है कि विभागीय अभिलेख कक्षाओं में सहायक स्टाफ, यथा - अभिलेख लिपिक, दफ्तरी, चपरासी आदि की तैनाती नहीं की गई है जिससे विभागीय अभिलेख कक्षाओं के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अतः सभी संगठनों

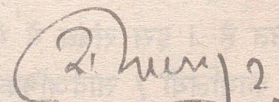
से मेरा अनुरोध है कि वे अभिलेख कक्षों में पर्याप्त स्टाफ तैनात करें ताकि सुचारु रूप से कार्य संपन्न किया जा सके । मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि एक आदर्श अभिलेख कक्ष की रूपरेखा तैयार की जा रही है और उम्मीद है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इसे जल्दी ही अंतिम रूप दे देगा । उक्त के प्राप्त होते ही उसकी एक-एक प्रति मैं अभिलेख तैयार करने वाली एजेंसियों को भेज दूँगा ताकि वे उसका अनुसरण और उस पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें ।

21.3 मैं पुनः कहूँगा कि इस संगठन द्वारा अभिलेख प्रबंधन के विषय पर अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम के तहत चलाए जा रहे प्रशिक्षण के लिए विभागीय अभिलेख अधिकारियों को नामित किया जाए क्योंकि इससे अपना कार्य ठीक प्रकार से करने में उन्हें मदद मिलेगी । आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभिमुखीकरण पाठ्यक्रमों में विभागीय अभिलेख अधिकारियों की भागीदारी को और सुविधाजनक बनाने के लिए अब नई दिल्ली के अलावा जयपुर, भोपाल, कोलकाता तथा पाण्डिचेरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों में भी ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इसके मद्देनजर मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप अपने विभागीय अभिलेख अधिकारियों को उक्त स्थानों पर चलाए जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए अवश्य भेजें ।

21.4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जिसमें कोई कमी नहीं है और वह है विभिन्न मंत्रालयों में स्थित वर्गीकृत अभिलेखों का अवश्रेणीकरण । राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा किए गए भरपूर प्रयासों के बावजूद कोई सकारात्मक समाधान नहीं हुआ है । इस संबंध में सभी संबंधित विभागों/मंत्रालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ईमानदारी पूर्वक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ।

21.5 इसी प्रकार अभिलेख प्रबंधन के दूसरे पहलुओं, यथा - अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन और राष्ट्रीय अभिलेखागार में उनका अंतरण, अनुषंगी कार्यों के लिए अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची तैयार करने, संगठनात्मक इतिहास के संकलन जैसे कार्यों पर भी अभिलेख तैयार करने वाली एजेंसियों को समुचित ध्यान देने की जरूरत है ।

मुझे उम्मीद है कि मैंने ऊपर जो कुछ कहा है उस पर अभिलेख तैयार करने वाली एजेंसियाँ उचित ध्यान देंगी जिससे उन्हें अपने संबंधित संगठनों में सुनियोजित अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी ।



(डॉ० सुकुमार सरकार)

अभिलेख महानिदेशक

भारत सरकार

अभिलेख महानिदेशक की लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन पर द्वितीय रिपोर्ट में शामिल किये जाने के लिए सूचना प्रेषित करने वाले मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की सूची

कृषि मंत्रालय

1. केन्द्रीय मत्स्य एवं इलैक्ट्रानिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलोर ।
2. सुपारी तथा मसाला विकास निदेशालय, कालीकट ।
3. काजू तथा नारियल विकास निदेशालय, कोचीन ।
3. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

5. उर्वरक विभाग, नई दिल्ली ।
6. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, नई दिल्ली ।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

7. नागरिक उड्डयन महानिदेशक का कार्यालय, नई दिल्ली ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

8. आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली ।
9. आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली ।
10. ऑफिस आफ द कस्टोडियन ऑफ इनीमी प्रॉपर्टी फार इण्डिया, मुंबई ।
11. विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक का कार्यालय, कटक ।
12. विदेश व्यापार के उप महानिदेशक का कार्यालय, शिलांग ।

संचार मंत्रालय

13. प्रधान, पोस्ट-मास्टर जनरल, गुजरात सर्कल, अहमदाबाद ।
14. पोस्ट-मास्टर जनरल, पश्चिमी क्षेत्र, कोयम्बटूर ।
15. पोस्ट-मास्टर जनरल, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र, धारवाड़ ।
16. पोस्ट-मास्टर का कार्यालय, गोवा क्षेत्र, पणजी ।

कोयला मंत्रालय

- 17 कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली ।
- 19 वायदा बाज़ार आयोग, मुंबई ।
- 20 अन्न बचाओ अभियान क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद ।
- 21 अन्न बचाओ अभियान क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर ।
- 22 अन्न बचाओ अभियान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ।
- 23 भारतीय अन्न भंडारण, प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़ ।

रक्षा मंत्रालय

- 24 रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
- 25 गुणता आश्वासन महानिदेशक, नई दिल्ली
- 26 रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली
- 27 सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, नई दिल्ली
- 28 विदेशी भाषा विद्यालय, नई दिल्ली
- 29 घन अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, दिल्ली ।
- 30 क्षेत्रीय सैनिक उड्डयन योग्यता (हेलिकाप्टर)केन्द्र, बंगलौर।
- 31 क्षेत्रीय सैनिक उड्डयन योग्यता केन्द्र, डाकघर एच ए एल कोर्वा, जिला सुल्तानपुर।
- 32 इलैक्ट्रानिक्स और रडार विकास स्थापना, बंगलौर ।
- 33 प्रमाण एवं प्रायोगिक स्थापना पोस्ट चाँदीपुर, जिला बालासोर¹
- 34 टार्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़
- 35 हिम और हिमस्खलन अध्ययन स्थापना, चण्डीगढ़।
- 36 यंत्र अनुसंधान एवं विकास स्थापना, देहरादून ।
- 37 रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय, सिकन्दराबाद ।
- 38 नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, आनन्दनगर डाकघर, जिला थाणे ।
- 39 नौ सेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

- 40 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 41 क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ ।
- 42 क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्वोत्तर जोन), शिलांग ।

विदेश मंत्रालय

43 विदेश मंत्रालय

वित्त मंत्रालय

- 44 आर्थिक-कार्य विभाग नई दिल्ली
45 सांख्यिकी एवं आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, नई दिल्ली ।
46 आयकर महानिदेशक (पर्यवेक्षण) का कार्यालय, नई दिल्ली ।
47 आयकर मुख्य आयुक्त का कार्यालय, कर्नाटक, गोवा और बंगलोर ।
48 केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चेन्नई-।
49 केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय मुम्बई ।
50 केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, कोयम्बटूर ।
51 केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, नागपुर ।
52 केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर ।
53 केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कमीशनरेट, राजकोट
54 शासकीय समापक का कार्यालय (राजस्थान उच्च न्यायालय), जयपुर ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- 55 परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली ।
56 विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली ।
57 विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, मुंबई ।
58 पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मुंबई ।
59 पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैप ।
60 पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, विशाखापत्तनम ।
61 तपेदिक निरोधक प्रयोगशाला, चेन्नई ।
62 केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता ।
63 अतिरिक्त निदेशक का कार्यालय, केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना, मुंबई ।
64 निदेशक का कार्यालय, केंद्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, जबलपुर ।
65 वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पुणे ।
66 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ।
67 मॉडल वाइटल एण्ड हैल्थ स्टैटिस्टिक्स यूनिट, नागपुर ।
68 क्षेत्रीय नसबन्दी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, अस्का, जिला- गंजम ।

गृह मंत्रालय

- 69 प्रभागीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली ।
70 के०रि०पु०बल महानिदेशक का कार्यालय नई दिल्ली ।
71 मुख्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, नई दिल्ली ।
72 तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली ।
73 सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- 74 माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ।
75 केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

- 76 केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई ।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- 77 इलैक्ट्रानिकी क्षेत्रीय जांच प्रयोगशाला (पश्चिम), मुंबई ।
78 इलैक्ट्रानिकी परीक्षण एवं विकास केंद्र, जयपुर ।
79 इलैक्ट्रानिकी परीक्षण एवं विकास केंद्र, मोहाली ।

श्रम मंत्रालय

- 80 खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद ।
81 क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद ।
82 उप मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय (केंद्रीय), बंगलोर ।
83 क्षेत्रीय वोकेशनल महिला प्रशिक्षण संस्थान, बंगलोर ।
84 क्षेत्रीय वोकेशनल महिला प्रशिक्षण संस्थान अरेमिले, (तुरा) मेघालय ।
85 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर ।
86 एस सी/एस टी कोचिंग सह निर्देशन केंद्र जोवई (मेघालय) ।
87 एस सी/एस टी कोचिंग सह निर्देशन केंद्र नागपुर ।
88 अग्रिम प्रशिक्षण संस्थान लुधियाना ।

विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

- 89 कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली ।
- 90 राजभाषा प्रभाग (विधायी विभाग) नई दिल्ली ।
- 91 ब्रांच सचिवालय (विधि कार्य विभाग), बंगलोर ।
- 92 कंपनी रजिस्ट्रार, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।

आपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय

- 93 क्षेत्रीय कार्यालय, आपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भुवनेश्वर ।

संसदीय कार्य मंत्रालय

- 94 संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

- 95 प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली ।
- 96 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी ।

योजना मंत्रालय

- 97 योजना आयोग, नई दिल्ली ।
- 98 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग) ।

रेल मंत्रालय

- 99 रेल मंत्रालय, नई दिल्ली ।

इस्पात एवं खान मंत्रालय

- 100 विकास आयुक्त (लौह एवं इस्पात) का कार्यालय, कोलकाता ।
- 101 भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर ।

भूतल परिवहन मंत्रालय

- 102 भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- 103 नेशनल एटलस एण्ड थिमैटिक ऑर्गनाइजेशन, कोलकाता ।
104 महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून ।

वस्त्र मंत्रालय

- 105 जूट आयुक्त का कार्यालय, देहरादून

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

- 106 शहरी एवं ग्रामीण योजना संगठन, नई दिल्ली

जल संसाधन मंत्रालय

- 107 जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली

परमाणु उर्जा विभाग

- 108 न्यूक्लीयर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद

अनुबंध - II

अभिलेख महानिदेशक की लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन पर द्वितीय रिपोर्ट में शामिल किये जाने के लिए सूचना प्रेषित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सांविधिक निकायों की सूची

कृषि मंत्रालय

1. भारतीय सूत निगम लिमिटेड, मुंबई ।
2. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि बाजार निगम लिमिटेड, गुवाहाटी ।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

3. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
4. भारतीय किसान उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड, मुंबई ।
6. भारतीय परियोजना एवं विकास लिमिटेड नोएडा ।

नागर विमानन मंत्रालय

7. भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

8. हिन्दुस्तान पी आर ई एफ ए बी लिमिटेड, नई दिल्ली ।
9. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कंपनी (लि०) उटकमंड ।
10. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, कोट्टायम ।
11. मेकॉन लिमिटेड, रांची ।

रक्षा मंत्रालय

12. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद ।
13. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम ।

वित्त मंत्रालय

- 14 राज्य कर्मचारी बीमा निगम, नई दिल्ली ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- 15 केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली ।
16 जनसंख्या विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई ।
17 आर्टिफिशियल लिंब मैनुफैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, कानपुर ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- 18 दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
19 भारतीय तकनीकी संस्थान, मुंबई ।
20 तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल ।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- 21 ई आर एन ई टी इण्डिया, नई दिल्ली ।
22 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात प्रोन्नयन परिषद्, नई दिल्ली ।
23 इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एवं तकनीकी विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता ।
24 केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड, गाजियाबाद ।
25 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, बंगलोर ।
26 सेंटर फॉर मटीरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे ।

श्रम मंत्रालय

- 27 केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, नागपुर ।

विद्युत मंत्रालय

- 28 भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली ।

इस्पात एवं खान मंत्रालय

- 29 तुंगभद्रा इस्पात लिमिटेड, नई दिल्ली ।
30 खनिज खोज निगम लिमिटेड, नागपुर ।

भूतल परिवहन मंत्रालय

- 31 चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई ।
- 32 मद्रास गोदी श्रम बोर्ड, चेन्नई ।
- 33 मुंबई पत्तनन्यास बोर्ड, चेन्नई ।
- 34 जवाहर लार लेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई ।
- 35 हुगली गोदी एव पत्तन इंजीनियरी, कोलकाता ।
- 36 विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम ।
- 37 पत्तन न्यास, गोवा ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- 38 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।
- 39 भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी, नई दिल्ली ।
- 40 भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोशिएशन, कोलकाता ।
- 41 रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलोर ।
- 42 जवाहरलाल नेहरू उच्चस्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र ।
- 43 भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलोर ।
- 44 भारतीय ट्रापिकल मेट्रोलोजी संस्थान, पुणे ।
- 45 राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद ।

वस्त्र मंत्रालय

- 46 राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

- 47 आवास एवं शहरी विकास निगम, नई दिल्ली ।

जल संसाधन मंत्रालय ।

- 48 राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी संस्थान, रुड़की ।
- 49 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना ।

विभागीय अभिलेख कक्ष में स्टाफ के सदस्यों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य एवं अभिलेख कक्ष हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं पर नोट

1. प्राक्कथन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का न० 69) की धारा 5, उपधारा (2) के अंतर्गत, सभी अभिलेख सृजक अभिकरणों द्वारा अभिलेख कक्ष स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है। विभिन्न संगठनों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा संरक्षण की स्थिति के संबंध में किये गये सर्वेक्षणों ने प्रदर्शित किया है कि अभिलेखों के उचित रख-रखाव तथा दीर्घायु सुनिश्चित करने वाले यथावश्यक उपायों का अभाव है।

1.1 अतएव प्रस्तुत नोट विभागीय अभिलेख कक्षों में अर्द्ध-प्रचलित तथा अप्रचलित अभिलेखों के सुरक्षित रख रखाव के लिये मूलभूत आवश्यकताओं को चिन्हित करता है।

1.2 अधोलिखित मुख्य विशेषतायें मूलतः उन अभिलेख कक्षों के लिये हैं जिनकी व्यवस्था उपलब्ध भवनों में की जानी है। एक सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष से युक्त नये कार्यालय भवन की निर्माण योजना बनाते समय भारतीय मानक संस्थान द्वारा "आई एस: 2663 - 1988, कोड आफ प्रेक्टिस फार द बेसिक ऐलिमेंट्स इन द डिजाइन आफ बिल्डिंग्स फार आर्काइव्स" में स्थापित मानकों का अनुसरण करें।

2. अभिलेख कक्ष

2.1 सभी अभिलेख सृजक अभिकरणों के लिये एक पृथक अभिलेख कक्ष/स्टैक एरिया का होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जहाँ तक संभव हो अभिलेख कक्ष भवन के भूतल में स्थित होना चाहिये। यदि उसकी खिड़कियां बाहर खुली जगह में या अंदर के प्रांगण में खुलती हों, तो उनमें लोहे की जाली तथा तार का जाल लगा होना चाहिये। बारिश के पानी के छींटे अंदर न आये इसके लिये सभी खिड़की, रौशनदान, दरवाजे आदि पर शैड होने चाहिये। अभिलेखों की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कक्षों में सीमित प्रवेश संस्तुत है।

2.2 अभिलेख कक्ष का फर्श ऐसा होना चाहिये कि अभिलेखों को ले जाने वाली ट्राली आदि आसानी से आ जा सके।

2.3 यदि जगह की उपलब्धता तथा उसके डिजाइन द्वारा संभव हो, तो स्टैक एरिया, संदर्भ तथा स्वागत कक्ष के हिस्से पृथक होने चाहिये।

3. जल निकास

3.1 अभिलेख कक्ष हेतु किसी स्थान को चुनते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभिलेख कक्ष के समीप, ऊपर अथवा नीचे पानी का कोई पाईप न हो। साथ ही, नालियों के बंद होने या भवन में स्थित पानी के पाईपों के दुर्घटनावश फट जाने के कारण स्टैक में पानी का आना रोकने के लिये अभिलेख कक्ष के फर्श की सतह को भवन के फर्श की सामान्य सतह से कुछ सेंटीमीटर ऊँचा बनाया जाना चाहिए।

3.2 ट्रॉली के बेरोकटोक आवागमन के लिए प्रवेश द्वार का फर्श ढलान वाला बनाया जाना चाहिए ।

4. वातानुकूलन

4.1 वातानुकूलित वातावरण में अभिलेखों का भंडारण किया जाना उनकी लम्बी जीवनावधि के लिए सहायक होता है। अतः अभिलेख कक्षों का वातानुकूलित होना आवश्यक है । विद्यमान भवनों में जहाँ केन्द्रीकृत वातानुकूलन (सेंट्रल एयर कंडीशनिंग) की सुविधा नहीं है वहाँ पैकेज टाईप अथवा विंडो टाईप एयर कंडीशनर की सिफारिश की जाती है ।

4.2 प्रभावी वातानुकूलन के लिए वायु के प्रवाह की ऐसी योजना हो जिससे कि नियंत्रित वायु परिक्षेत्र का कम से कम अपव्यय हो । वातानुकूलन का परिमाण (लोड) क्या हो इसकी गणना करते समय शेल्फ के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों/उपस्करों, अभिलेखीय सामग्रियों, अभिलेख कक्ष में उपस्थित रहने वाले व्यक्तियों, अंदर लाने तथा बाहर ले जाने वाले अभिलेख के परिमाण तथा कक्ष को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त वाटेंज आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

4.3 वातानुकूलित किये गये अभिलेख कक्ष की आर्द्रता व तापमान को समय-समय पर मापते रहना चाहिए। अभिलेखों के भंडारण के लिए निम्नलिखित दशा रखी जानी चाहिए: (i) तापमान 22°C से 25°C तथा (ii) सापेक्ष आर्द्रता $55 \pm 5 \%$ ।

4.4 वातानुकूलित क्षेत्र में उपर्युक्त आर्द्रता के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि दीवारों अथवा फर्श के माध्यम से सीलन को न आने दिया जाये । अतः फर्श को जलरोधी (वाटरप्रूफ) बनाया जाना चाहिए तथा दीवारों पर जलरोधी (वाटरप्रूफ) ऑयलपेंट किया जाना चाहिये ।

4.5 अभिलेख कक्षों के वातानुकूलन की योजना बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वातानुकूलन संयंत्र वर्ष भर चौबीसों घंटे वातानुकूलन कर सके । संयंत्र के इस प्रकार से चलाये जाने के कारण संभव है कि कभी तकनीकी खराबी के कारण सेवा में रूकावट पड़ जाए । अतः आपातकालीन संयंत्र का प्रावधान रहना चाहिए अन्यथा इस प्रकार की रूकावटों से ऐसी दशाएँ तैयार हो सकती हैं जिससे अभिलेखों के क्षतिग्रस्त होने की गति को बढ़ावा मिल सकता है ।

5. गैर वातानुकूलित क्षेत्र

5.1 संसाधनों की कमी के कारण सभी अभिलेख कक्षों को वातानुकूलित करना संभव नहीं हो सकता है । ऐसी स्थिति में भंडारण कक्ष में उच्च आर्द्रता के प्रभाव तथा अवरूद्ध वायु के पॉकेट के निर्माण को रोकने के लिए वायु-प्रचालक (एअर सर्कुलेटर) तथा वायु-निकास (एक्ज़ास्ट) पंखों को लगाये जाने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए । कई रसायनों यथा - सिलिका जेल या एनहायड्रस कैल्शियम क्लोराइड को एनामेल अथवा ग्लेज्ड मिट्टी के बर्तनों रखने से कक्ष में आर्द्रता को कम करने में मदद मिलती है । यांत्रिक डिह्यूमिडिफायर अब उपलब्ध हैं तथा बरसात के दिनों में उनका इस्तेमाल अत्यधिक आर्द्र वातावरण के क्षतिकर प्रभाव पर अंकुश लगाने में मदद पहुँचाता है ।

5.2 अभिलेख कक्ष के रूप में ऐसे कक्ष का चयन करके, जो भवन के अंदरूनी हिस्से में स्थित हो, अथवा जिसके चारों ओर बरामदा हो, अभिलेख कक्ष के तापमान को ठीक-ठाक सीमा के भीतर रखा जा सकता है । ग्रीष्म काल के दौरान अभिलेख कक्ष में वायु के सही संचालन के लिए वायु-प्रचालक पंखे, वायु-निकास पंखे आदि लगे हुए होने चाहिये ताकि उच्च तापमान को कम किया जा सके । अभिलेखों पर सीधी धूप न पड़ने पाए, इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए । इसके लिये खिड़कियों में अपारदर्शी (ग्राउंड ग्लास) अथवा तापरोधी काँच तथा पर्दे आदि लगाये जा सकते हैं ।

6. शेल्फ व्यवस्था

6.1 अभिलेख कक्ष में शेल्फ की व्यवस्था इस प्रकार की हो जिसका डिजाइन सरल हो, शेल्फ टिकाऊ, आसानी से साफ किये जाने वाले, एवं अभिलेखों को आग से अधिकतम सुरक्षा देने वाले तथा इस्तेमाल में अधिकतम सुविधा व सहूलियत देने वाले हों।

6.2 समूचे भंडारण में शेल्फों को दीवार से हटा कर बराबर दूरी पर सीधा लगाया जाना चाहिए। दो शेल्फ पंक्तियों के बीच की दूरी "आई एस : 2663-1989 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द बेसिक एलिमेंट्स इन डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स फॉर आर्काइव्स" में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 0.7 मी० की हो, जिसके मध्य में 1.40 मी० का आने - जाने का रास्ता हो। दो शेल्फ पंक्तियों के बीच की दूरी इस बात पर निर्भर कर सकती है कि अभिलेखों/फाइलों का क्या आयाम है तथा अभिलेख श्रृंखला को उस पर कैसे रखा जाता है। ऊपर उल्लिखित भारतीय मानकों का अवलोकन इस संदर्भ में सहायक होगा।

6.3 यदि अभिलेख कक्ष में स्टील का शेल्फ उपलब्ध कराया गया है तो इस पर जंगरोधी पेंट किया जाना चाहिए। पेंट टिकाऊ हो तथा उससे दस्तावेजों को नुकसान न पहुँचे। स्टील शेल्फ यदि सुराखयुक्त हों तो बेहतर रहेगा क्योंकि इससे वायु के उन्मुक्त दुर्ध्व संचरण में मदद मिलती है। जहाँ पर लकड़ी के शेल्फ प्रयुक्त हो रहे हैं वहाँ उसे दीमक प्रतिरोधी होना चाहिए। शेल्फ तथा अभिलेखों को सहाय देने के लिए लगाई गई युक्तियों के तीक्ष्ण किनारों एवं कोनों, जिनसे दस्तावेजों को क्षति पहुँच सकती है, को गोल बना दिया जाना चाहिए।

7. भंडारण

7.1 अभिलेख कक्षों का संग्रह परिमाण, आकार व स्वरूप में विभिन्न किस्मों का होता है। साधारणतया इसमें जिल्द वाले खंड, अलग-अलग कागज, फाइल, पांडुलिपियाँ, मानचित्र, तालिकाएँ, योजना तथा रेखाचित्र आदि रहते हैं। संगृहीत वस्तु की प्रकृति, रूप, परिमाण आदि के अनुसार शेल्फ की डिजाइनिंग की आवश्यकता पड़ती है। जब इन शेल्फों की डिजाइनिंग की जा रही हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न तो शेल्फों का और न ही उन पर रखी जाने वाली सामग्री का स्पर्श, दीवारों, छत अथवा फर्श आदि से हो। दीवार, छत तथा फर्श से इनकी दूरी 31 से० मी० होनी चाहिए।

7.2 शेल्फों पर अभिलेखों को पर्याप्त दूरी पर रखना चाहिए ताकि उनके बीच से हवा प्रचालित होती रहे तथा उच्च आर्द्रता उनके बीच न जमा हो। जिल्द रहित अभिलेखों को 5 प्लाई बोर्ड के दो टुकड़ों के बीच बाँधकर अथवा अच्छी किस्म की सामग्री से बने गत्ते के बक्सों में सुरक्षित रखा जा सकता है।

7.3 उचित अभिलेख सेवा के लिए स्टेप लैडर अथवा प्लेटफार्म टाइप के लैडर तथा गतिशीलता के लिए घूमने वाले पहियों (स्वाइवल कैस्टर्स) से युक्त ट्रालियों का प्रयोग किया जा सकता है।

7.4 कीड़ों से अभिलेखों को होने वाली क्षति से बचने के लिए शेल्फ के नीचे, कैबिनेट के पीछे, कोने इत्यादि में कीटनाशक घोलों का छिड़काव किया जाना चाहिए। फर्श तथा दीवार के सभी छिद्रों को भरा जाना चाहिए ताकि कीटों को उसमें छिपने का अवसर न मिले। स्प्रेगन, प्रेशर गन या इसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ उन्हीं रसायनों का छिड़काव किया जाना चाहिए जिनकी कागज तथा अन्य अभिलेख उपकरणों की दीर्घजीविता एवं स्थायित्व के उचित अध्ययन किया गया हो।

7.5 गैर वातानुकूलित क्षेत्र में अभिलेखों को कीड़ों से बचाने के लिए जालीदार कपड़े में नेथलीन गोलिएँ अथवा बट्टी को बाँध कर रखा जा सकता है। कुछ कीटनाशक यथा - फ्लिट, शेल टॉक्स तथा अन्य संबंधित कीटनाशक प्रभावशाली होते हैं।

7.6 सामान्यतया चूहों द्वारा अभिलेख को खासी क्षति पहुँचती है। हांलांकि उचित किस्म की जालियाँ लगा कर अभिलेख कक्ष में उनके प्रवेश को रोका जा सकता है, तथापि कुछ चूहेदानियों उपलब्ध रहनी चाहिये ताकि अभिलेख कक्ष में उनके प्रवेश की समस्या का निराकरण किया जा सके। भण्डारण क्षेत्र में खाद्य पदार्थों, धूम्रपान तथा खुली आग इत्यादि लाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

7.7 जैसे ही, पता चले कि अभिलेख कक्ष में आर्द्रता बढ़नी शुरू हो गई है, तत्काल उसके रोकथाम का उपाय किया जाना चाहिए। यदि किसी किस्म के कीट का प्रकोप अथवा फफुंदी आदि का बढ़ना नजर आये तो तो राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली जैसी संस्थाओं की भी सलाह ली जानी चाहिए।

7.8 धूलकण रोधी तथा वातानुकूलित भवन होने के बावजूद भंडारित सामग्री के ऊपर धूलकण जमा होती है। अतएवं भंडारण क्षेत्र में धूल हटाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जाना वांछनीय है। अभिलेख कक्षों को पूर्णतया साफ रखा जाना चाहिए। धूल हटाने के काम में सलमन कर्मचारियों को धूलकण रक्षक श्वास यंत्र (डस्ट रेस्पिरैटर) उपलब्ध कराये जाने चाहिए। कपड़े का टुकड़ा, जिसके अस्तर में बदला जा सकने वाला सर्जिकल कपड़ा लगा हो का प्रयोग धूलकण रक्षक श्वास यंत्र के रूप में किया जा सकता है।

8. प्रकाश व्यवस्था

8.1 प्रत्येक अभिलेख कक्ष के लिए अच्छे नैसर्गिक अथवा कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। आधुनिक प्रकाश-व्यवस्था के मुताबिक अलग-अलग कक्षों के लिए भिन्न-भिन्न तीव्रता वाला धीमा प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे पेंटों का प्रयोग कर, जिनसे प्रकाश परावर्तित होता हो, के द्वारा प्रकाश-व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है।

9. अग्नि रोधी व्यवस्था

9.1 अभिलेखों को अचानक आग लगने से बचाने के लिए बिजली के सभी तारों को वाहक-नली (कन्ड्यूट पाइप) के अंदर से लगाया जाना चाहिए तथा भंडारण क्षेत्र के लाइट आदि का मुख्य स्विच अभिलेख कक्ष से बाहर होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अभिलेख कक्ष को अग्निरोधी बनाया जाना चाहिए। विशाल अभिलेख कक्षों में भंडारण क्षेत्र को अलग-अलग अग्निरोधी कक्षों में बाँटा जाना चाहिए तथा केन्द्रीकृत वातानुकूलन के डक्ट (पाइपों में) में अतिरिक्त स्वचालित डैम्पर्स लगाये जाने चाहिए जिन्हें तत्काल बंद किया जा सके तथा आग के अन्य कक्षों में फैलने को रोका जा सके। अभिलेख कक्ष में मुख्य दरवाजे के अलावा आपातकालीन दरवाजे बनाये जायें ताकि आवश्यकता पड़ने पर मूल्यवान अभिलेखीय सामग्री को सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जा सके। प्रत्येक अभिलेख कक्ष में फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम लगाया जाना चाहिए जिससे भंडारण क्षेत्र में लगी किसी प्रकार की आग का पता लगाया जा सके। असुरक्षित प्रकाश, हीटर का प्रयोग तथा धूम्रपान आदि का उस कक्ष में पूर्णतया निषेध होना चाहिए। आकस्मिक रूप से लगी आग से सुरक्षा के उपाय के तौर पर कार्यालय समय के पश्चात् सभी लाइटों तथा पावर सर्किट को बंद कर दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र की निगरानी करने वाला स्टाफ रोशनी के लिए टार्च का प्रयोग कर सकता है। भंडारण में अस्थायी रोशनी, पखों, वायु प्रचालक तथा अन्य उपकरणों के लिए आमतौर पर प्रयोग में आने वाला खुला हुआ लचीला-तार (फ्लेक्जिबल वायर) लगाने से परहेज करना चाहिए तथा इसकी जगह "वर्कशॉप बांडेड तथा आर्मर्ड" फ्लेक्जिबल वायर का

प्रयोग करना चाहिए। भंडारण कक्ष में विद्युत उपकरणों तथा फिटिंग्स की समय-समय पर जाँच की जानी चाहिए तथा ढीले पड़े कनेक्शन व खामियों को सुधारा जाना चाहिए। इस संबंध में "आई एस: 1642 - 1989 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फॉयर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स (जनरल) - मैटीरियल्स एण्ड डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन" तथा "आई एस: 11460 - 1985 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फॉयर सेफ्टी ऑफ लायब्रेरीज एण्ड आर्काइव्स बिल्डिंग्स (रीएफर्मड 1991)" का अनुसरण किया जाना चाहिए।

9.2 आग बुझाने के लिए सही किस्म के कार्बन डाई आक्साइड (CO₂) वाले संयंत्रों को अभिलेख कक्ष की ऐसी उपयुक्त जगहों पर लगाया जाना चाहिए जहाँ से जरूरत पड़ने पर ये आसानी के साथ उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा बड़ी आग से जूझने के लिए सुविधाजनक स्थानों पर पानी के पाइपों को लगाया जाना चाहिए।

9.3 आग का पता लगाने वाले अथवा आग बुझाने वाले सभी संयंत्रों की समय-समय पर जाँच करते रहना चाहिए ताकि वे हमेशा कार्य कर सकने की अवस्था में रहें। इसी तरह, अभिलेख के भंडारण में संलग्न स्टाफ को अग्निशमन के कार्य में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षित स्टाफ को हमेशा सतर्क स्थिति में रखने के लिए दो महीने में कम से कम एक बार अग्निशमन अभ्यास (फायर ड्रिल) कराया जाना चाहिए।

9.4 अभिलेख कक्ष में आम लोगों के लिए आग की रोकथाम तथा आग लगने की स्थिति में उसे बुझाये जाने के बारे में अनुदेशों को प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार आपीत स्थिति में अग्निशमन केन्द्र के संपर्क दूरभाष नम्बर अभिलेख कक्ष के केन्द्रीय स्थल पर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किये जाने चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन विशेषज्ञ एजेंसियों की त्वरित सहायता उपलब्ध हो सकती है।

10. देखभाल एवं सतर्कता

10.1 सारतः कहा जा सकता है कि स्टाफ की निरंतर सतर्कता के साथ-साथ अच्छी देखभाल, स्वास्थ्यकर दशाओं के निर्माण, उपयुक्त वायु प्रचालन आदि की व्यवस्था द्वारा ही अभिलेखों को स्वस्थ एवं दीर्घ काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

अनुबंध- IV

अर्धप्रचालित अभिलेख के अभिलेखीकरण, समीक्षा तथा तालिकाकरण की प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने वाले

क्रम सं.	संगठनों का नाम	प्राप्त हुई अर्ध वार्षिक विवरणियों की संख्या
कृषि मंत्रालय		
1.	जूट आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता	1
2.	सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट	1
3.	काजू और नारियल विकास निदेशालय, कोचीन	2
4.	विपणन और निरीक्षण निदेशालय, उप कार्यालय, नासिक रोड	2
5.	विपणन और निरीक्षक निदेशालय, उप कार्यालय, बोडिनायकनूर	1
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
6.	रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, नई दिल्ली	1
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
7.	मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली	1
8.	वायदा बाजार आयोग, मुंबई	2
9.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता	1
10.	अनाज बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	1
11.	अनाज बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद	1
12.	अनाज बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	2
13.	अनाज बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	1
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
14.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली	1
15.	विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक का कार्यालय, गुवाहाटी	1
16.	विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक का कार्यालय, शिलांग	1

संचार मंत्रालय		
17.	दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली	1
18.	पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, गोवा रीजन, पणजी	1
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय		
19.	संस्कृति विभाग, नई दिल्ली	1
रक्षा मंत्रालय		
20.	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	2
21.	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक का कार्यालय, नई दिल्ली	1
पर्यावरण और वन मंत्रालय		
22.	क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय क्षेत्र), पर्यावरण और वन मंत्रालय, लखनऊ	2
23.	भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून	1
24.	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र), पर्यावरण और वन मंत्रालय, शिलांग	1
विदेश मंत्रालय		
25.	विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	1
26.	प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली	1
वित्त मंत्रालय		
27.	आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली	1
28.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली	1
29.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, अहमदाबाद	1
30.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, बेलगांव	1
31.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, मदुरै	1
32.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, नागपुर	2
33.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, मुंबई	1
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
34.	बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चैन्नई	2

35.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई	2
36.	केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, गाजियाबाद	1
37.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर	2
38.	विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मुंबई	1
39.	सहायक औषध नियंत्रक (भारत), मुंबई	1
40.	क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), शिमला	1

गृह मंत्रालय

41.	गृह मंत्रालय, इसमें न्याय विभाग, जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग नई दिल्ली शामिल हैं ।	2
42.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय, नई दिल्ली	1
43.	महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली	1
44.	राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	2
45.	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मुख्यालय, नई दिल्ली	2
46.	आंचलिक परिषद सचिवालय, नई दिल्ली	1
47.	सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद	1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

48.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली	1
49.	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली	1
50.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

51.	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड, मुंबई	1
52.	राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे	1

श्रम मंत्रालय

53.	श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली	1
54.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), कोलकाता	1
55.	कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद	1
56.	महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर	1
57.	महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अराईमील तुरा (मेघालय)	1

58.	विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर	2
59.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, चंडीगढ़	2
60.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग व निर्देशन केन्द्र हिसार	2
61.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग व निर्देशन केन्द्र, जोवाई (मेघालय)	1
62.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग व निर्देशन केन्द्र, जयपुर	2
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	
63.	राजभाषा स्कंध (विंग), विधायी विभाग, नई दिल्ली	1
64.	कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम (शिलांग)	2
65.	कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	1
66.	कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, एर्णाकुलम	1
67.	शाखा सचिवालय (कानूनी कार्य विभाग), बंगलौर	1
	खान मंत्रालय	
68.	खान मंत्रालय, नई दिल्ली	1
	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	
69.	क्षेत्रीय कार्यालय, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भुवनेश्वर	1
	संसदीय कार्य मंत्रालय	
70.	संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	2
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
71.	योजना आयोग, नई दिल्ली	2
72.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, क्षेत्रीय कार्य प्रभाग (फील्ड ऑपरेशन डिवीजन), नई दिल्ली	2
73.	औद्योगिक सांख्यिकीय विंग (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन), कोलकाता	2

भूतल परिवहन मंत्रालय

- | | | |
|-----|---|---|
| 74. | भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली | 2 |
| 75. | प्रकाश स्तंभ तथा प्रकाशपोत विभाग, नोयडा | 1 |
| 76. | मुख्य अभियन्ता और प्रशासक का कार्यालय, अण्डमान लक्षद्वीप
बन्दरगाह हार्बर वर्क्स, पोर्टब्लेयर | 2 |

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- | | | |
|-----|---|---|
| 77. | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली | 1 |
|-----|---|---|

इस्पात मंत्रालय

- | | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| 78. | लोह और इस्पात विकास आयोग, कोलकाता | 1 |
|-----|-----------------------------------|---|

वस्त्र मंत्रालय

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| 79. | वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली | 1 |
|-----|----------------------------|---|

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

- | | | |
|-----|---|---|
| 80. | शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली | 1 |
| 81. | केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली | 1 |
| 82. | नगर और ग्राम योजना संगठन, नई दिल्ली | 1 |

जल संसाधन मंत्रालय

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 83. | जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली | 1 |
|-----|-------------------------------|---|

परमाणु ऊर्जा विभाग

- | | | |
|-----|--|---|
| 84. | न्यूक्लीयर ईंधन (फ्यूल) काम्पलैक्स, हैदराबाद | 2 |
|-----|--|---|

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

परमाणु ऊर्जा विभाग

1. उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर 1

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

2. हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता 1

पर्यावरण और वन मंत्रालय

3. काष्ठ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर 1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

4. राष्ट्रीय मुक्त स्कूल, नई दिल्ली 1

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

5. अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी और अनुसंधान
संबंधी सोसाइटी, मुंबई 1

6. इलेक्ट्रॉनिक प्रादेशिक परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई 1

7. भारतीय इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान और विकास केन्द्र, तिरुवनंतपुरम 1

8. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी केन्द्र, पुणे 1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

9. भारतीय प्रसारण निगम, नई दिल्ली 1

विद्युत मंत्रालय

10. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर 2

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

11. पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उच्च
अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद 1

भूतल परिवहन मंत्रालय

12. मरमूगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा 1

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

13. श्रवण अक्षम के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई 1

जल संसाधन मंत्रालय

14. भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़ 2

अनुबंध- v

वर्गीकृत अभिलेखों में अवश्रेणीकरण करने पर अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

(क) सरकारी संगठन

क्रम सं	संगठनों का नाम	प्राप्त हुई अर्द्ध वार्षिक विवरणियों की संख्या
कृषि मंत्रालय		
1.	अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण, नई दिल्ली	1
2.	सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट	1
3.	काजू और नारियल विकास निदेशालय, कोचीन	1
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
4.	पूर्ति विभाग, नई दिल्ली	2
5.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली	1
6.	पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली	2
7.	मुख्य लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली	2
8.	राष्ट्रीय परीक्षण हाऊस, कोलकाता	1
9.	विदेश व्यापार उप महानिदेशक का कार्यालय, शिलांग	1
10.	विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक का कार्यालय, गुवाहाटी	2
संचार मंत्रालय		
11.	पोस्टमास्टर जनरल (वीडी और एफएम), मुंबई	1
12.	पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय गोवा क्षेत्र, पणजी	1
13.	सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन), संचार जिला मंगलौर	2
14.	मुख्य महाप्रबंधक संचार का कार्यालय, हरियाणा सर्किल, अम्बाला	2
15.	महाप्रबंधक संचार का कार्यालय, अमृतसर	1
रक्षा मंत्रालय		
16.	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	2
17.	महानिदेशक पुनर्वास, नई दिल्ली	1

18.	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक का कार्यालय, नई दिल्ली	1
19.	सेना क्रय संगठन, नई दिल्ली	1
20.	प्रूफ और प्रयोगात्मक स्थापना, चांदीपुर (जिला - बालासोर)	1
21.	संपदा प्रबंध इकाई (यूनिट), आयुध एस्टेट, पुणे	1

पर्यावरण और वन मंत्रालय

22.	क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय क्षेत्र), लखनऊ	1
23.	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी पूर्वी जोन), शिलांग	2
24.	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र), चंडीगढ़	2

विदेश मंत्रालय

25.	प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली	1
-----	--	---

वित्त मंत्रालय

26.	आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली	1
27.	आयकर आयुक्त का कार्यालय, कोचीन	1
28.	सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, कोयम्बटूर	1
29.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, औरंगाबाद	1
30.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, नागपुर	2
31.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़	2
32.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय बेलगांव	2

खाद्य, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

33.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता	2
34.	अनाज बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	1
35.	अनाज बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	2

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

36.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली	1
37.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, मुंबई	1
38.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली	1
39.	अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई	2

40.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर	1
41.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई	1
42.	लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली	1
43.	बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चैन्नई	2
44.	सहायक औषध नियंत्रक (भारत), नई मुंबई	1
45.	प्रादेशिक कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), शिमला	2

गृह मंत्रालय

46.	गृह मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग), नई दिल्ली	1
47.	मुख्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नई दिल्ली	2
48.	आंचलिक परिषद् सचिवालय, नई दिल्ली	1
49.	महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली	2
50.	महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली	1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

51.	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली	2
52.	माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली	2
53.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

54.	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड, मुंबई	1
55.	राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे	1
56.	भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे	1

श्रम मंत्रालय

57.	श्रम कल्याण आयुक्त का कार्यालय, इलाहाबाद	1
58.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग एवं निर्देशन केन्द्र, नागपुर	1
59.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग व निर्देशन केन्द्र, हिसार	2
60.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग व निर्देशन केन्द्र, जयपुर	2
61.	उप-मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, बंगलौर	2

62.	श्रम कल्याण संगठन, बंगलौर	1
63.	महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर	1
64.	महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अराईभी तुरा (मेघालय)	1

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

65.	कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली	1
66.	राजभाषा स्कंध (विधायी विभाग), नई दिल्ली	1
67.	आयकर अपील अधिकरण, कोचीन	1

खान मंत्रालय

68.	भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर	1
-----	---------------------------	---

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

69.	क्षेत्रीय कार्यालय, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भुवनेश्वर	1
-----	---	---

संसदीय कार्य मंत्रालय

70.	संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	2
-----	----------------------------------	---

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

71.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली	1
-----	--	---

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

72.	योजना आयोग, नई दिल्ली	1
73.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली	1
74.	औद्योगिक सांख्यिकीय विंग (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन), कोलकाता	2

रेल मंत्रालय

75.	रेल मंत्रालय, नई दिल्ली	2
76.	मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अण्डामान लक्षद्वीप श्रम निर्माण कार्य, पोर्ट ब्लेयर	2

विज्ञान और औद्योगिकी मंत्रालय

77. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली

2

इस्पात मंत्रालय

78. इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली

1

वस्त्र मंत्रालय

79. वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली

1

80. जूट आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता

1

पर्यटन मंत्रालय

81. भारत सरकार का क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, कोलकाता

1

परमाणु ऊर्जा विभाग

82. न्यूक्लीयर ईंधन काम्प्लेक्स, हैदराबाद

2

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

कोयला मंत्रालय

1. ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, बर्दवान

1

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

2. फाल्टा निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र, कोलकाता

2

पर्यावरण और वन मंत्रालय

3. काष्ठ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर

1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

5. भारतीय प्रसारण निगम, नई दिल्ली 1
6. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे 1

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

7. अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी और अनुसंधान संबंधी सोसाइटी, मुंबई 1
8. भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, बंगलौर 2
9. भारतीय इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान और विकास केन्द्र, तिरुवनंतपुरम 1
10. इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे 1

श्रम मंत्रालय

11. मद्रास गोदी श्रम बोर्ड, चैन्नई 1
12. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर 1

खान मंत्रालय

13. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर 2

विद्युत मंत्रालय

14. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर 1

भूतल परिवहन मंत्रालय

15. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई 1
16. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई 1
17. मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा 2
18. भारतीय निकर्षण निगम, विशाखापटनम 1

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- | | | |
|-----|---|---|
| 19. | भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे | 1 |
| 20. | उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जवाहर लाल नेहरू केन्द्र, बंगलौर
पर्यटन मंत्रालय | 1 |
| 21. | भारतीय होटल निगम लिमिटेड, मुंबई
ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय | 1 |
| 22. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड, नई दिल्ली | 1 |
| 23. | राष्ट्रीय भवन संगठन, नई दिल्ली | 1 |

जल संसाधन मंत्रालय

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 24. | माखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़ | 1 |
| 25. | केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, फरीदाबाद | 2 |

अनुबंध VI

ऐसे विभागीय अभिलेखाधिकारियों के नाम जिन्होंने सितम्बर 1998 से अभिलेख प्रबंधन पर पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया

क्रम सं०	विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम	प्रायोजक प्राधिकरण का नाम
1.	श्री वी. बक्शी	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली
2.	श्री भोज राज	संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली
3.	श्री के.एम. बर्ड	मार्मुगोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा
4.	श्री धन्नल लाल	पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली
5.	श्री गौतम चक्रवर्ती	इलैक्ट्रॉनिक परीक्षण इंजीनियरी संबंधी सोसाइटी, नई दिल्ली
6.	श्री घोष दस्तीदार	महासागर विकास विभाग, नई दिल्ली
7.	श्री एल. गिंखोमांजी	इस्पात विभाग, नई दिल्ली
8.	श्री गिरीश भरिहोक	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, नई दिल्ली
9.	श्री बी.सी. गुप्ता	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विभाग, नई दिल्ली
10.	श्री वी.के. गुप्ता	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली
11.	श्री ए.के. मिश्रा	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली
12.	सुश्री नलिनी नीलकांता	भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली
13.	श्री वाई.पी. ओबराय	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
14.	श्री आर.पी. राम	दिल्ली परिवहन निगम प्रशिक्षण स्कूल, नई दिल्ली
15.	श्री रतन लाल	अपवेचन निरोध महानिदेशालय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), नई दिल्ली
16.	श्री बी.एम. सोलंकी	भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली
17.	श्री एस.एन. श्रीवास्तव	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली
18.	श्री ए. मुनुस्वामी	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली
19.	श्री वी.पी. तनेजा	विपणन और निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद
20.	श्री तेजा सिंह	प्रादेशिक प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, फरीदाबाद
21.	श्री विनोद कुमार	महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून
22.	श्री अबनाश लाल	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली
23.	श्री रघुनाथ	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली
24.	श्री अशोक कुमार शर्मा	नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली
25.	श्री बिनीत भांजा	फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड, भिलाई
26.	श्री बाबू चेरियन	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
27.	श्री दीवान सहोत्रा	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, फरीदाबाद
28.	श्री एच.सी. हल्दार	जूट विकास निदेशालय, कोलकाता
29.	श्री जी.एच. कोटनीज	भारत गोल्ड माइन्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स
30.	श्री जी. मुखोपाध्याय	आइ.एस.टी.एम., नई दिल्ली

31.	श्री एस. बनर्जी	हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली
32.	सुश्री के.राधाम्मा	समेकित मछली उद्योग परियोजना, कोचीन
33.	श्री राजेश कुमार जे	नेहरु युवक केन्द्र संगठन, नई दिल्ली
34.	श्री रणवीर सिंह	क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, कम्पनी कार्य विभाग, कानपुर
35.	श्री आर.एस.साहनी	भारतीय सीमेंट निगम, नई दिल्ली
36.	श्री एम. शाहबुद्दीन	आर.एम.एल. हॉस्पिटल, नई दिल्ली
37.	सुश्री शशि परिहार	श्रमिक विद्यापीठ, नई दिल्ली
38.	श्री बी.एस. सत्यनारायण	ऑरोविल फाउण्डेशन, विल्लुपुरम
39.	श्री पी.के. सिंह	सांख्यिकीय विभाग, नई दिल्ली
40.	श्री कृष्ण कुमार	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली
41.	श्री पी.पी. नागराथ	पूर्ति विभाग, नई दिल्ली
42.	श्री राजिन्द्र लाल	अण्डमान और निकोबार भारतीय वन रोपण विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर
43.	श्री बी.सी. बोरो	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार का कार्यालय, गुवाहाटी
44.	श्री वी.के. माथुर	नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली
45.	श्री के.के. व्यास	रेल मंत्रालय, नई दिल्ली
46.	श्री एस. प्रसाद	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली
47.	श्री दिलदेव सिंह	एन.टी.सी., नई दिल्ली
48.	श्री एस.के. भाटिया	एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
49.	श्री यू.के. शर्मा	महानिदेशक खान सुरक्षा, धनबाद
50.	श्री त्रिलोचन सिंह झानी	टी.टी.टी.आई., चंडीगढ़
51.	श्री सैयद शौफुद्दीन	एल.एच.एम.सी. एण्ड हॉस्पिटल, नई दिल्ली
52.	श्री पी.के. जॉन	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, कोट्टयम
53.	श्री डी.एन. चक्रवर्ती	दामोदर घाटी निगम, कोलकाता
54.	डॉ० सरोजित दत्ता	दामोदर घाटी निगम, कोलकाता
55.	सुश्री रीना मंडल	एन.एस.एफ.डी.सी., नई दिल्ली
56.	डॉ० डी. कुमार	एन.बी.डी.सी., गाजियाबाद
57.	श्री के.वी. जय प्रकाश	मृगफली विकास बोर्ड, रांची
58.	श्री उत्तम प्रकाश	विधि कार्य विभाग, और विधायी विभाग, नई दिल्ली
59.	श्री एन.आर.नैयर	रक्षा जीव इंजीनियरी और विद्युत चिकित्सा प्रयोगशाला, बंगलौर
60.	श्री प्रदीप कुमार	भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली
61.	सुश्री टी. जानकी	सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई
62.	शफी मोहम्मद	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़
63.	श्री सी.बी. बर्कुल	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस)
64.	श्री आर.एफ. महेन्द्रा	भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
65.	श्री बी. सुब्बारायडु	भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
66.	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	हिन्दुस्तान पूर्वनिर्माण (प्रीफैब) लिमिटेड, नई दिल्ली
67.	श्री अविनाश चन्द्र भट्टाचार्यजी	राज्य वन सेवा कालेज, देहरादून
68.	श्री के.वी. शर्मा	एन.आर.एस.ए. (अंतरिक्ष विभाग), हैदराबाद
69.	श्री सी. नारायण राव	मद्रास गोदी श्रम बोर्ड, चैन्नई

70. श्री आर.चंद्रा
 71. सुश्री वी.जयलक्ष्मी
 72. सुश्री एम. कन्नामल
 73. श्री एम.एस. पथरीकर
 74. श्री प्रवीण कुमार दास
 75. श्री के.के.भक्तवत्सलम
 76. श्री एम.ए. गफूर
 77. डॉ० एन.एल.एन.एस. प्रसाद
 78. श्री वैद्यनाथन
 79. श्री डी. किरुबागरन
 80. श्री आर.ज्ञान प्रकाशम
 81. श्री एस.के. वर्मा
 82. श्री अमर सिंह
 83. श्री सी.एम. सिंघाड्या
 84. श्री के.एच. त्रिपाठी
 85. श्री पी. मणि
 86. श्री एस.के. रतन
 87. सुश्री एम.एस. केलकर
 88. श्री हरि चरण
 89. श्री वेद प्रकाश कोठियाल
 90. श्री ए.के. मजूमदार
 91. श्री रणजीत सिंह
 92. श्री के.के. सिंघल
 93. श्री प्रदीप कुमार बंदोपाध्याय
 94. श्री अशोक कुमार चंद
 95. डॉ० शीलता चौधरी
 96. श्री पृथ्वीराज
 97. श्री वाई.मलेश्वरराव
 98. श्री आर.वी. यादगिरी
 99. श्री एस.पी. बक्शी
 100. श्री बी. कुजूर
 101. श्री श्यामल कांति रा
 102. श्री एम.सुकुमार
 103. श्री एन.सी. श्रीनिवासन
 104. श्री एन. गणेशन
 105. श्री वी. मणि
 106. श्री आर.सूर्यनारायण मूर्ति
 107. श्री गुरुदयाल सिंह
 108. श्री के.एम.सी. नाबियार
 109. श्री विजय कुमार नागपुरी
- सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई I, चैन्नई
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई III, चैन्नई
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई I, चैन्नई
उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई
भारत टायर निगम लिमिटेड, कोलकाता
उच्च प्रशिक्षण संस्थान, चैन्नई
समाकलित मछली उद्योग परियोजना, कोचीन
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, (पर्यावरण और वन मंत्रालय), भुवनेश्वर
श्रवण विकलांग के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर
डी.जी.क्यू.ए., नई दिल्ली
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
भाखडा व्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़
न्यूक्लीय ईंधन काम्पलैक्स, हैदराबाद
डी.जी.ए. (आर्मांमेंट), नई दिल्ली
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली
सी.बी.एफ.सी., मुंबई
औद्योगिकी मौलाना आजाद कॉलेज, भोपाल
राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी, नई दिल्ली
राष्ट्रीय मलेरिया निरोध कार्यक्रम, दिल्ली
इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली
आई.आर.आई.ई.ई.एन., नासिक रोड
एन.जे.एम.सी लिमिटेड, कोलकाता
विपणन और निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली
डबल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली
विपणन और निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली
भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी और दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद
राष्ट्रीय ढलाई और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
लौह और इस्पात विकास आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता
लौह और इस्पात विकास आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता
नीवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड, नीवेली
सक्षम प्राधिकारी एस और एफ.ई.एम., चैन्नई
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आर और वी) आयुक्त, चैन्नई
उपआयुक्त (पी और वी) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क III, चैन्नई
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
सीमान्त प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़
भारतीय विश्वविद्यालय संगठन, नई दिल्ली
सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बड़ोदरा

110.	श्री संदीप धनोटे	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर
111.	श्री राजकुमार	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नोएडा
112.	सुश्री राजलक्ष्मी	सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, मदुरै
113.	सुश्री भूमा एस. कुमार	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली
114.	सुश्री प्रमिला ठाकुर	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास वित्तीय निगम संस्थान, नई दिल्ली
115.	श्री पी.एम. मेनन	राष्ट्रीय परीक्षण हाउस, गाजियाबाद
116.	श्री जे.के. होकेप	गाना और ड्रामा प्रभाग, गुवाहाटी
117.	श्री वी.एस. पाल	गुणता आश्वासन निदेशालय (वारशिप प्रोजेक्ट), नई दिल्ली
118.	श्री एम.एम.एल. विज	केन्द्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली
119.	श्री जगदीश सिंह	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
120.	श्री प्रेमसागर	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय, चंडीगढ़
121.	श्री के.के.थॉमस	भारत सरकार टकसाल, मुंबई
122.	श्री कर्मवीर सिंह	फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का
123.	श्री वी. राममोहन राव	मानसिक रूप से विगलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकंदराबाद
124.	श्री एम. बाबू	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चैन्नई
125.	श्री अनिल कुमार सिंह	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना
126.	श्री विनय कुमार वर्मन	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी, कोलकाता
127.	श्री राम कुमार शर्मा	केन्द्रीय फर्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण युनिट, बुदनी
128.	श्री खुर्शीद अहमद एस.के.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्निटिज्म, मुंबई
129.	श्री आर.बी. गुप्ता	नगर और ग्राम योजना संगठन, नई दिल्ली
130.	श्री बी.पी.निर्मल	केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, फरीदाबाद
131.	श्री ओमप्रकाश	ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
132.	श्री एस.एन. आश्वथनारायण	भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन, बंगलौर
133.	श्री एस.पी. रावत	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली
134.	सुश्री के.सी.जानकी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चैन्नई II
135.	सुश्री एम. इद्रानी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चैन्नई I आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई
136.	सुश्री सुलोचना जयसीलान	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चैन्नई I, आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई
137.	सुश्री एस. सरस्वती	सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, कोयम्बटूर III डिवीजन, कोयम्बटूर
138.	सुश्री एन. राजामल	सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, कोयम्बटूर I डिवीजन, कोयम्बटूर
139.	सुश्री एस. कामलेवेनी	सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई III आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई
140.	सुश्री रति रानी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई III, आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई
141.	सुश्री सी. वी. जयाजाटची	उप-केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई III, आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई
142.	श्री एस.सी. दास	पाउडर धातुकर्म के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद
143.	श्री एस.पी. मिश्र	भारतीय रेल सम्मेलन (कान्फ्रेंस) संगठन, नई दिल्ली

144. श्री के. मुनीमुथु राज्य वन सेवा कॉलेज, कोयम्बटूर
145. श्री आर.एन. सिंह कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
146. श्री ए.के. सहगल उर्वरक उद्योग समन्वय समिति, नई दिल्ली
147. श्री वी.के. गौबा कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली
148. श्री एम.के.कृष्ण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन
149. श्री संजय सिन्हा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, नई दिल्ली
150. श्री एल. सन्तराम खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग, नई दिल्ली
151. श्री अशोक कुमार क्षेत्रीय वन्यजीव परिरक्षण कार्यालय, नई दिल्ली
152. श्री कंचन शर्मा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, नई दिल्ली
153. श्री आर. गणेशन वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई
154. श्री एम. मनोहरन वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई
155. श्री के.एन. पांडेय मुख्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नई दिल्ली
156. श्री वी.गोपाल चारियुल भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून
157. श्री वी.सी. रखेजा जी.एस. ब्रांच/ए.डी.जी., जी.पी. सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
158. श्री वी.के. शर्मा एस.एफ.एस. कालेज, देहरादून
159. श्री रोशनलाल वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून
160. श्री एस.एम. वारियर डाक सेवा विभाग, त्रिवेन्द्रम
161. श्री पी.के. सरकार भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून
162. श्री एन.सी. दास राय इंडियन असोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साईस, कोलकाता
163. श्री एम.एस. परमार रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
164. श्री एन. भट्टाचार्य पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली
165. श्री वी.के. असरानी भारतीय उष्णकटिबन्धी मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे
166. श्री आर.के. कुरील महिला और बाल विकास विभाग, नई दिल्ली
167. श्री विनायक गोपाल यादव भारतीय कपास निगम, न्यू मुंबई
168. डॉ० सी. स्वामीदास विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कोचीन
169. श्री एम.सी. मित्तल क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी पूर्वी जोन) पर्यावरण और वन मंत्रालय, शिलांग
170. श्री वी.के. श्रीवास्तव आई.आई.टी. कैंपस, खडगपुर
171. श्री एम.पी. नाथनील मुख्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नई दिल्ली
172. श्री आर.के. शर्मा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, नई दिल्ली
173. डॉ० एम. आर. साकलनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून
174. श्री के.के. गर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, (पश्चिमी क्षेत्र) पर्यावरण और वन मंत्रालय, चंडीगढ़
175. सुश्री सेल्वापाक्कियम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई III आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई
176. सुश्री के. ज्योति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई III आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई
177. श्री सी. जयशंकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई II, आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई
178. सुश्री एस. सुभलक्ष्मी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई I, आयुक्त का कार्यालय, चैन्नई

**SECOND REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993**

1999



सत्यमेव जयते

**GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI
2002**

CONTENTS

1.	INTRODUCTORY	1
2.	ANALYSIS OF THE DATA: GENERAL OBSERVATIONS	2
3.	DEPARTMENTAL RECORDS ROOMS	3
4.	DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS	6
5.	SHARING OF SPACE	9
6.	RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OF SEMI-CURRENT RECORDS	11
7.	INDEXING OF RECORDS	16
8.	COMPILATION OF RETENTION SCHEDULE FOR RECORDS	20
9.	DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS	24
10.	DEFUNCT COMMISSIONS/COMMITTEES	28
11.	ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS	31
12.	ORGANISATIONAL HISTORY	34
13.	MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS	39
14.	APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS	41
15.	REFERENCE MEDIA	43
16.	ACCESSIONS/ACQUISITIONS	44
17.	VETTING OF RETENTION SCHEDULE FOR RECORDS	45
18.	ADVISORY WORK	46
19.	TRAINING	48
20.	ARCHIVAL AWARENESS	52
21.	PRIORITIES	54

ANNEXURES

ANNEXURE-I

List of Ministries/Departments/Offices who have furnished information on Implementation of the Public Records Act, 1993	56
---	----

ANNEXURE-II

List of Public Sector Undertakings /Statutory Bodies who have furnished information on Implementation of the Public Records Act, 1993	61
---	----

ANNEXURE-III

"Note on the minimum requirements for a Records Rooms" alongwith the jobs to be performed by the staff in the Departmental Records Rooms"	64
---	----

ANNEXURE-IV

List of Organisations who have furnished half yearly returns on the progress made by them in Recording, Reviewing and Indexing of Semi-Current Records	71
--	----

ANNEXURE-V

List of Organisations who have furnished Half-Yearly Returns on De-classification of Classified Records	77
---	----

ANNEXURE-VI

List of the Departmental Records Officers who have attended Orientation Course on Records Management	83
--	----

INTRODUCTORY

1.1 Rule 8(2) of the Public Records Rules, 1997 stipulates about the submission of Annual Report by the Director General of Archives, Government of India, Ministry of Human Resource Development (now Ministry of Tourism and Culture) every year on the action taken by the Records Officers in pursuance of clauses (a) to (e) of sub-section 1 of Section 6 of the Public Records Act, 1993. Accordingly, Circular letter no.16-12/2000-RM dated 18th July, 2000 was issued to 1916 records creating agencies i.e. Ministries/Departments, Attached and Subordinate offices of the Government of India, Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc, requesting them to furnish the report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997 in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 1999 so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of Public Records Act.

1.2 The present report is compiled on the basis of the data received from the records creating agencies falling within the scope of the Act on the action taken by them during the year 1999 on the following aspects:-

- i) Setting up organised Departmental Record Rooms; Nomination of Records Officers;
- ii) Training of Records Officers and Staff;
- iii) Sharing of space for housing semi-current records; periodical recording, reviewing and weeding out of semi-current records;
- iv) Appraisal of non-current records;
- v) Compilation/revision of Retention Schedule of Records; Periodical review of classified records;
- vi) Compilation of Annual indices to records; Compilation of Organisational history and
- vii) Transfer of Records of Defunct Bodies etc to National Archives of India.

1.3 Details of information on the aforesaid points have been delineated in the following chapters of the report.

ANALYSIS OF THE DATA

GENERAL INFORMATION

Information on the implementation of the Public Records Act for the year 1999 was sought from 1916 Ministries/ Departments/ Attached/ Subordinate Offices, Public Sector Undertakings, etc of the Government of India. Replies were received from 157 Organisations only. Information received in response to Circular No.16-12/2000-RM dated 18 July 2000 is indicated below in tabulated form: -

Records Creating Agencies	Total no. of organisations	Total response Received
Ministries/Departments	79	19
Attached/Subordinate Offices	1337	89
Public Sector Undertakings etc	500	49
Total	1916	157

2.1 It is evident from the above analytical table that the response is very discouraging and to a great extent it is indicative that the records creating agencies still give the lowest priority to a statutory provision which calls for seriousness and proper and timely reporting. Only 157 Organisations have furnished information as against 1916 Organisations. Thus, the total response comes to 8% only, whereas 92% Organisations have not responded at all. Indeed, it depicts a very grim picture and requires a thoughtful consideration on the part of the record creators as to how they should gear up their records management activities in accordance with the provisions of the said law and ensure supply of information to the National Archives of India on time as and when required.

2.2 The Ministries/Departments/Offices which have furnished information for incorporation in this report may be seen in **Annexure I** and the Public Sector Undertakings in **Annexure II**.

DEPARTMENTAL RECORD ROOMS

3.1 An organised Record Room is a vital aspect of records management which not only ensures scientific preservation of records but also helps in quick retrieval of information as they are properly taken care of in Departmental Record Rooms. Sub-Section (2) of Section 5 of the Public Records Act, 1993 stipulates that all records creating agencies should set-up their Record Rooms and place them under the charge of a Record Officer. Needless to mention here that the main object of setting-up the Departmental Records Room is to preserve the records scientifically and also initiate necessary action for their timely reviewing, indexing and weeding out of those records which are no longer required to be retained. In pursuance of the said provision, National Archives of India requested the records creating agencies to set up Record Rooms in their respective Organisations but the replies received in this behalf reveal that little attention has been paid towards this essential aspect of records management. Therefore, on behalf of the records creating agencies, more efforts are required to be made in this regard. A note on the minimum requirements for a Record Room alongwith the jobs to be performed by the staff posted therein may please be seen in **Annexure III**.

3.2 In all, 152 Organisations have furnished information out of which 107 are the Ministries/Departments/Offices and 45 are the Public Sector Undertakings. Detailed analysis of information received in this behalf is given below:-54 Ministries/Departments/Offices have stated that they have well organised Departmental Record Rooms. These are:- Ministries of Defence, External Affairs, Coal, Railways, Surface Transport and Water Resources, Departments of Atomic Energy, Fertilizers, Supply, Economic Affairs, Food and Consumer Affairs, Secondary Education and Higher Education, Company Affairs, Administrative Reforms and Public Grievances, Planning Commission, Office of the Director General of Income Tax (Investigation), Office of the Directorate General of Civil Aviation, Directorate General of Supplies and Disposals, Office of the Directorate General of Central Reserve Police Force, Solid State Physics Laboratory, Directorate of Statistics and Intelligence, Central Excise & Customs, National Security Guard, Coast Guard Headquarters, Town and Country Planning Organisation all in New Delhi; Forward Markets Commission, Port Heath Organisation and Electronics Regional Test Laboratory (West) all in Mumbai; Office of the Commissioner of Central Excise and B.C.G. Vaccine Laboratory both in Chennai; Office of the Development Commissioner for Iron and Steel and National Atlas and Thematic Mapping Organisation both in Kolkata; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development Cochin; Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong; Regional Centre for Military Airworthiness, H.A.L. Korwa (District Sultanpur); Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Naval Material Research Laboratory, Anand Nagar, P.O. Ambarnath (Dist Thane); Branch Secretariat, Department of Legal Affairs, Central Institute of Coastal Engineering, Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka & Goa and Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) all in Bangalore; Offices of the Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore; Indian Bureau of Mines and Commissioner of Customs & Central

Excise both in Nagpur; Airport Health Organization, Tiruchirapalli; Sardar Vallabhabhai Patel National Police Academy and Nuclear Fuel Complex both in Hyderabad; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Electronics Test & Development Centres, Jaipur and Mohali; Coaching-cum-guidance centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Jowai; National Academy of Administration, Mussoorie; Survey of India, Dehradun and Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur (M.P.).

3.3 27 Ministries/Departments/Offices have mentioned that their Record Rooms are not fully organised. These are:- Ministries of Environment and Forests, Parliamentary Affairs, Department of Chemicals and Petrochemicals, Family Welfare, Zonal Councils Secretariat, Controller General of Defence Accounts, Armed Forces, Films & Photo Division, National Building Organization and Directorate General of Quality Assurance all in New Delhi; Central Food Laboratory and Office of the Jute Commissioner both in Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India and Central Board of Film Certification both in Mumbai; Proof and Experimental Establishments, Chandipur (Dist Balasore); Office of the Joint Director General of Foreign trade, Cuttack; Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam; The Postmaster General, North Karnataka Region, Dharwad; Regional Office of Ministry of Non-conventional Energy Sources and Save Grain Campaign Office both in Bhubaneswar; Regional Offices of Ministry of Environment and Forests, Lucknow and Shillong, Model Vital and Health Statistics Unit, Nagpur; Regional Offices of Ministry of Health and Family Welfare, Shimla and Pune; Directorate General of Mines Safety, Dhanbad; Regional Vocational Training Institute for Women, Aramile Tura and Electronics and Radar Division, Bangalore.

3.4 6 Ministries/Departments/Offices which have informed that they do not have separate Record Room are:- Airport Health Organisation, New Delhi; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme and Office of the Commissioner of Central Excise both in Mumbai; Customs and Central Excise Commissionerate, Rajkot; Electronics Test and Development Centre, Bangalore and Office of the Welfare Commissioner, Allahabad.

3.5 Save Grain Campaign Office, Ahmedabad, Indian Grain Storage Management and Research Institute, Hapur ; Office of the Official Liquidator Attached to Rajasthan High Court, Jaipur and Coaching-cum-guidance Centre for SC/ST, Nagpur have stated that they do not feel it necessary to have separate Departmental Record Rooms.

3.6 The offices which have furnished information either 'NIL' or vague are as under :- Official Languages Wing of Legislative Department and School of Foreign Languages both in New Delhi; Office of the Postmaster General, Goa Region, Panaji; Postmaster General, Western Region, Coimbatore; Save Grain Campaign Office, Jaipur; Snow and Avalanche Study Establishment, Chandigarh; Regional Centre for Military Airworthiness (Helicopters) Bangalore; Office of the Chief Commissioner, Income Tax, Cochin; Port Health Organization, Visakhapatnam; Central Government Health Scheme, Jabalpur; Port Health Organization, Madapam Camp; Vocational Rehabilitation Centre

for Handicapped, Jaipur; Advanced Training Institute (Directorate General of Employment and Training), Ludhiana; Central Research Institute, Kasauli; Chief Postmaster General, Gujrat Circle, Ahmedabad; Instruments Research Development Establishment, Dehradun and Regional Leprosy Training Institute, Aska (District Ganjam).

3.7 The undermentioned 26 Public Sector Undertakings have informed that they have well organised Record Rooms:- Hindustan Prefab Ltd., Central Council of Indian Medicine, University of Delhi, Bharat Heavy Electricals Ltd., The Fertilizers Corporation of India Ltd., and Indian National Academy of Engineering all in New Delhi; Madras Dock Labour Board, Chennai; Cotton Corporation of India, Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai Port Trust and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. all in Mumbai; Indian Academy of Sciences, Raman Research Institute and Software Technology Parks of India all in Bangalore; Dredging Corporation of India and Visakapatnam Port Trust both in Visakapatnam; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation both in Nagpur; Hindustan Newsprints Ltd, Kottayam; Bharat Dynamics Ltd, Hyderabad; Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur; National Institute of Hydrology, Roorkee; Mormugao Port Trust, Goa; Projects and Developments India Ltd., Noida; National Academy of Sciences India, Allahabad and Centre for Material for Electronics Technology, Pune.

3.8 Three Public Sector Undertakings have informed that the work of setting up of their Record Rooms is under process. These are:- Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd., Ootacamund; Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune and Jawaharlal Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.

3.9 There is yet another category of 11 Public Sector Undertakings who have forwarded 'NIL' reports. These are :- Airport Authority of India, ERNET India Ltd, National Textile Corporation of India and National Building Organisation and Council of Scientific and Industrial Research all in New Delhi; The Indian Science Congress Association, Kolkata; International Institute for Population Sciences, Mumbai; North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd, Guwahati; Central Electronics Ltd., Sahibabad; Tungabhadra Steel Products Ltd, Tungabhadra Dam and Ganga Flood Control Commission, Patna.

3.10 The Public Sector Undertakings who follow their own procedure for maintaining the records are:- Employees State Insurance Corporation, Indian Farmers Fertilizers Corporation Ltd and HUDCO; all in New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai and Hoogly Dock and Port Engineers Ltd., Kolkata.

DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993, stipulates that every records creating agency shall nominate one of its officers as Records Officers to discharge the functions as outlined under Section 6(1) of the said Act. The Departmental Records Officer is required to co-ordinate and guide various Sections/Divisions in an organisation and also to keep liaison with the Director General of Archives, National Archives of India regarding the compilation of records retention schedule for records dealing with substantive functions, appraisal of non-current records, transfer of files selected for permanent preservation to National Archives of India and on other ancillary matters pertaining to records management. Accordingly, the National Archives of India has requested all the Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings to comply with the said provision of the Public Records Act and nominate one of its officers as Records Officer. So far, 524 Organisations have nominated one of their officers as Records Officer. In all 144 Organisations have furnished the requisite information in this regard out of which 99 are the Ministries/Departments/Offices and 45 Public Sector Undertakings. Details of the replies received are given below:-

4.1 64 Ministries/Departments/Offices have informed that they have full time trained Departmental Records Officers. These are:- Ministries of Coal, Environment and Forests, External Affairs, Parliamentary Affairs, Railways and Surface Transport, Departments of Administrative Reforms and Public Grievances, Chemicals and Petro-Chemicals, Fertilizers, Food and Consumer Affairs, Company Affairs, Economic Affairs, Family Welfare, Secondary Education and Higher Education, Planning Commission, Office of the Director General of Civil Aviation, Directorate General of Supplies and Disposals, National Security Guard Headquarters, Coast Guard, Airport Health Organisation, Delhi Airport, Office of the Director General of Quality Assurance, Town and Country Planning Organisation, National Building Organisation, Solid State Physics Laboratory and Directorate of Statistics and Intelligence (Central Excise and Customs) all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise and B.C.G Vaccine Laboratory both in Chennai; Offices of the Jute Commissioner, Development Commissioner for Iron and Steel and National Atlas and Thematic Mapping Organisation all in Kolkata, Forward Markets Commission, Office of the Commissioner of Central Excise, Port Health Organisation, Electronics Regional Test Laboratory (West), Central Board of Film Certification and Custodian of Enemy Property for India all in Mumbai; Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack; Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong; Survey of India, Dehradun; Directorate of Arecanut and Spices, Calicut; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development and Office of the Chief Commissioner of Income Tax both in Cochin; Postmaster General, North Karnataka Region, Dharwad; Indian Grain Storage Management and Research Institute, Hapur; Regional Centre for Military Airworthiness H.A.L Korwa (District Sultanpur); Electronics and Radar Development Establishment, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Office of the Deputy Chief Labour Commissioner and

Regional Vocational Training Institute for Women all in Bangalore; Proof and Experimental Establishment, Chandipur (District Balsore); Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Naval Material Research Laboratory, Anand Nagar P.O. Ambernath (District Thane); Regional Offices of Ministry of Environment and Forests, Lucknow and Shillong ; Office of the Chief Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore; Offices of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur and Raipur; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Office of the Welfare Commissioner, Allahabad; Directorate General of Mines Safety, Dhanbad; Indian Bureau of Mines, Nagpur and National Academy of Administration, Mussoorie.

4.2 Undermentioned 6 Organisations have intimated that their record rooms are placed under the charge of Assistants, Office Superintendents, Upper Division Clerks etc, These are :- Ministry of Defence has placed its Records Room under the charge of Assistant, whereas Office of the Directorate General of Central Reserve Police Force, New Delhi has put its Departmental Records Room under the supervision of Office Superintendent; Zonal Councils Secretariat, New Delhi, Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka, Goa, Bangalore and Central Institute of Indian Languages, Mysore have stated that their records rooms are being manned by Upper Division Clerks, Caretakers and Daftaries. Airport Health Organisation, Tiruchirapalli has stated that no separate officer has been nominated as Records Officer but Head of the Office himself holds the responsibility.

4.3 Customs and Central Excise Commissionerate, Rajkot has mentioned that due to shortage of staff, no officer has been nominated as Departmental Records Officer. Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Shimla has informed that their office is very small having ten employees only. Two clerks are looking after the work of records in the office.

4.4 Following 27 Offices have given vague/ 'NIL' replies or do not feel it necessary or stated that it is not applicable to them. These are:- Armed Forces Film and Photo Division, School of Foreign Languages and Official Language Wing of Legislative Department all in New Delhi; Central Food Laboratory, Kolkata; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme and Office of the Custodian of Enemy Property for India both in Mumbai; Central Research Institute, Kasauli; Office of the Postmaster General, Goa Region, Panaji; Chief Postmaster General, Gujarat Circle and Save Grain Campaign, Office both in Ahmedabad; Postmaster General, Western Region, Coimbatore; Vocational and Rehabilitation Center for Handicapped, Save Grain Campaign Office and Office of the Official Liquidator attached to Rajasthan High Court, all in Jaipur; Snow and Avalanche Study Establishment, Chandigarh; Office of Chief Labour Commissioner (Central) and Regional Centre for Military Airworthiness (Helicopters) both in Bangalore; Port Health Organisation, Visakhapatnam; Central Government Health Scheme, Jabalpur; Model Vital and Health Statistics Unit and Coaching-cum-guidance Centre for SC/ST both in Nagpur; Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (District Ganjam); Office of the Senior Regional Director (Ministry of Health & Family Welfare), Pune; Port Health Organisation, Mandapam Camp;

Regional Vocational Training Institute for Women Araimile, Tura; Advance Training Institute (Directorate General of Employment and Training), Ludhiana and Regional Office of Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Bhubaneswar.

4.5 As regards the Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc are concerned regarding the appointment of Departmental Records Officers, the position is as follows:-Out of 45 Public Sector Undertakings, who have furnished information, the following 35 Public Sector Undertakings have full time Records Officers. These are:-Airport Authority of India, Hindustan Prefab Ltd, Central Council of Indian Medicine, University of Delhi, Bharat Heavy Electricals Ltd., National Textile Corporation Ltd., National Building Organisation, the Fertilizers Corporation of India Ltd., and Indian National Academy of Engineering all in New Delhi; Madras Dock Labour Board, Chennai; The Indian Science Congress Association, Kolkata; Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd., The Cotton Corporation of India Ltd., Jawaharlal Nehru Port Trust and Mumbai Port Trust all in Mumbai; Raman Research Institute, Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research and Indian Academy of Sciences all in Bangalore; Dredging Corporation of India and Visakhapatnam Port Trust both in Visakhapatnam; Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad; National Academy of Sciences India, Allahabad; Projects and Development India Ltd., Noida; Ganga Flood Control Commission, Patna; National Institute of Hydrology, Roorkee; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation both in Nagpur; Tungabhadra Steel Products Ltd., Tungabhadra Dam; Artificial Limb Manufacturing Corporation of India, Kanpur; Hindustan Newsprint Ltd., Kottayam; Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd., Ootacamund; North Eastern Agricultural Marketing Corporation Ltd., Guwahati; Mormugao Port Trust, Goa; Centre for Materials for Electronics Technology and Indian Institute of Tropical Meteorology both in Pune.

4.6 Software Technology Parks of India, Bangalore is having a Departmental Records Officer on part time basis.

4.7 Central Council of Indian Medicine, ERNET India and Council of Scientific and Industrial Research all in New Delhi; International Institute for Population Science, Mumbai and Central Electronics Ltd., Sahibabad have forwarded 'NIL' report.

4.8 The following five Public Sector Undertakings follow their own system. These are:-Employees State Insurance Corporation, Indian Farmers Fertilizers Corporation Ltd., and HUDCO Ltd all in New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai and Hooghly Dock and Port Engineers Ltd., Kolkata.

SHARING SPACE

It is common practice that in the absence of sufficient space for housing records, quite a number of Organisations of the Government of India are housing their semi-current records in the steel almirahs/racks which are kept in their respective sections or in corridors of the building under unhygienic conditions which are not suitable to their scientific preservation. The problem of shortage of space may be solved to share space in the Annexe Building of the National Archives of India and its Regional Office located at Bhopal and Records Centres at Jaipur, Pondicherry and Bhubaneswar. It may be stated here that with the completion of Annexe Building, National Archives of India has been offering space to share for housing the semi-current records to those Organisations which are unable to keep their records in their Departmental Records Rooms due to shortage of space.

5.1 In all, 148 Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings have furnished information in this regard. Out of which 104 are Central Government Offices and 44 Public Sector Undertakings. As regards the Government Organisations, 92 Organisations have given negative response and only 12 Offices have reported that they are willing to share space in the Annexe Building of National Archives of India.

5.2 Ministry of Coal, Departments of Family Welfare, Secondary Education and Higher Education, Directorate General of Central Reserve Police Force and Airport Health Organisation, Delhi Airport all in New Delhi are willing to share space for their records in the Annexe building of the National Archives of India. Proof and Experimental Establishment, Chandipore, District (Balasore); Post Master General, North Karnataka Region, Dharwar and Save Grain Campaign Office, Bhubaneswar have also shown their willingness to share the space at the National Archives of India Records Centre at Bhubaneswar.

5.3 Office of the Commissioner of Central Excise, Chennai has stated that they are already sharing space for keeping their records in the National Archives of India, Record Centre, Pondicherry.

5.4 Central Board of Film Certification, Mumbai feels that sharing space in National Archives of India at New Delhi will be not be feasible as they are functioning at Mumbai and records will be required frequently for reference purposes. Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore has stated that the sharing of space in National Archives of India is a policy matter and as such the decision will be taken by its headquarters office, whereas Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile, Tura has reported that the decision to share space in the National Archives of India will be taken soon.

5.5 Two Public Sector Undertakings who have opted for sharing space with National Archives of India/its Regional Offices/Records Centres are:-

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd., Guwahati and Hindustan Photo Film Manufacturing Corporation, Octacamund.

5.6 The following 21 Public Sector Undertakings have informed that they do not want to share space. These are:-Airport Authority of India, Central Council of Indian Medicine, Bharat Heavy Electricals Ltd.; The Fertilizers Corporation of India Ltd and Indian National Academy of Engineering, all in New Delhi; The Indian Science Congress Association, Kolkata; Cotton Corporation of India, Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai Port Trust and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd, all in Mumbai; Software Technology Parks of India, Raman Research Institute, Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research and Indian Academy of Sciences all in Bangalore; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd., both in Nagpur; Hindustan Newsprint Ltd., Kottayam; Bharat Dynamics Ltd, Hyderabad; Dredging Corporation of India, Visakhapatnam; Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur; Mormugao Port Trust, Goa and Projects and Development India Ltd, Noida.

5.7 Hindustan Prefab Ltd., New Delhi has informed that the case of disinvestment of the undertaking has been referred to Disinvestment Commission, therefore, the action will depend on the future course of the action of the Government.

5.8 ERNET India has informed that they will be sharing the space as and when required.

5.9 5 Public Sector Undertakings which have sent vague reply are as under:-Employees State Insurance Corporation, Council of Scientific and Industrial Research and HUDCO Ltd, all in New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai and Hooghly Dock and Port Engineers Ltd., Kolkata.

5.10 There is yet another category of Public Sector Undertakings who have supplied 'NIL' information. These are:-University of Delhi, National Textile Corporation Ltd, Indian Farmers Fertilizers Corporation Ltd., and National Building Organisation all in New Delhi; Madras Dock Labour Board, Chennai; International Institute for Population Sciences, Mumbai; Central Electronics Ltd., Sahibabad; Centre for materials for Electronics Technology and Indian Institute of Tropical Meteorology both in Pune; Tungabhadra Steel Products Ltd, Tungabhadra Dam; National Institute of Hydrology, Roorkee; Ganga Flood Control Commission, Patna; The National Academy of Sciences India, Allahabad and Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OF SEMI-CURRENT RECORDS

In the field of Records Management, the key role is played by the exercise of recording of files as it is at this stage, where classification is provided to a file, which stipulates the retention period of that file and facilitate the review of the same at later stage, as it clearly indicates that after the expiry of prescribed period, a particular file needs to be re-evaluated. This exercise segregates large number of records for weeding and save costly working space for fresh accruals.

Under Section 6(1) (b) of the Public Records Act, 1993 and Rule 9 of Public Records Rules, 1997, it is provided that no public records shall be destroyed without being records and reviewed by the records creating agency. A separate Circular letter no. 16-2/2000-RM dated 18th July, 2000 was addressed to all Ministries/Departments/Offices of the Government of India requesting them to initiate regular programme in respect of recording, indexing, reviewing and weeding of public records and also to furnish half yearly returns in this regard. During the period under report only 84 Ministries/Departments/Offices of the Government of India have furnished half yearly returns. (Please see **Annexure IV** for details)

6.1 Reports for Half Yearly returns on the progress made in Recording, Indexing, Reviewing and weeding of Semi-Current records have been received from the Ministries of Defence, External Affairs, Home Affairs including Departments of Justice, Jammu and Kashmir Affairs and Official Language, Labour, Mines, Parliamentary Affairs, Railways, Surface Transport, Urban Development and Poverty Alleviation, Water Resources and Textiles, Planning Commission, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Telecommunications, Economic Affairs, Culture, Secondary Education and Higher Education, Elementary Education and Literacy, Scientific and Industrial Research, Industrial Policy and Promotion, Office of the Controller General of Defence Accounts, Office of the Director General of Armed Forces Medical Services, Regional Passport Office, Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Directorate General of Central Reserve Police Force, Pay and Accounts Division, Directorate General of Border Security Force, National Institute of Criminology and Forensic Science, Zonal Councils Secretariat (Ministry of Home Affairs), National Security Guard, Official Language Wing (Legislative Department), National Sample Survey Organisation, Central Government Employees Welfare Housing Organisation and Town and Country Planning Organisation all in New Delhi; BCG Vaccine Laboratory, Chennai; Office of the Jute Commissioner, Central Food Laboratory, Office of the Regional Labour Commissioner (Central) and Industrial Statistics Wing (Central Statistics Organisation) all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Assistant Drugs Controller (India), Central Government Health Scheme, Forward Markets Commission and Central Board of Film Certification, Airport Health Organisation all in Mumbai; Office of the Commissioner of Central Excise and Save Grain Campaign, Regional Office both in Ahmedabad; Office of the Welfare

commissioner, Allahabad; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Regional Vocational Training Institute for Women both in Bangalore; Regional Office of Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Bhubaneswar; Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office) Bodanayakanur (Tamil Nadu); Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin; Office of the Regional Labour Commissioner (C), Chandigarh; Save Grain Campaign Office, Central Drugs Standard Control Organisation both in Ghaziabad; Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Guwahati; Nuclear Fuel Complex, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy and Save Grain Campaign, (Regional Office) all in Hyderabad; Coaching-Cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Hissar; Coaching-Cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Save Grain Campaign Office, all in Jaipur; Central Government Health Scheme, Jabalpur; Coaching-Cum-Guidance Centre for Scheduled Caste/Scheduled Tribe, Jowai (Meghalaya); Office of the Registrar of Companies, U.P. Kanpur; Office of the Registrar of Companies, Kerala, Ernakulam; Regional Office (Central Region) Ministry of Environment and Forests, Lucknow; Office of the Commissioner of Central Excise, Madurai; Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile, Tura (Meghalaya); Central Institute of Indian Languages, Mysore; Directorate of Marketing and Inspection, (Sub-Office), Nasik Road; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur; Department of Light Houses and Lightships, Noida; Office of the Post Master General (Goa Region), Panaji; National Film Archives, Pune; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla; Office of the Registrar of Companies, Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram and Office of the Deputy Director of Foreign Trade both in Shillong;

6.2 Information in this regard was also received in response to our General Circular letter no.16-12/2000-R.M dated 18th July 2000 from 99 Ministries /Departments/Offices of the Government of India. Out of these, 70 Ministries/Departments/Offices have informed that they are attending the job of recording, reviewing and weeding of semi-current records, whereas 18 have sent simply 'NIL' reports. 3 Offices have intimated that this procedure is not applicable to them. 2 Offices are following their own Manuals, whereas 2 Offices have reported that they do not have old records. 1 Office has communicated that their's is new Office. 1 Office has stated that this work is not possible to be attended due to shortage of staff. 2 other offices have given vague replies in this regard. Analysis of information received in this regard is detailed below:-

6.3 70 Ministries/Departments/Offices have informed that they are attending the job of Recording, Reviewing and Weeding of Semi-current records. These are:-Ministries of Coal, Defence, Environment and Forests, External Affairs, Health and Family Welfare, Parliamentary Affairs, Surface Transport and Water Resources, Railways, Departments of Administrative Reforms and Public Grievances, Company Affairs, Chemicals and Petrochemicals, Economic Affairs, Fertilizers, Food and Public Distribution,

Legal Affairs, Secondary Education and Higher Education and Supply, Planning Commission, Directorate General of Supplies and Disposals, Directorate General of Quality Assurance, Office of the Director General of Civil Aviation, Airport Health Organisation, Zonal Councils Secretariat, Office of the Directorate General of Central Reserve Police Force, Armed Forces Film and Photo Division, Headquarters, National Security Guard and National Sample Survey Organisation and Solid State Physics Laboratory all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise, Chennai-I, Chennai; Office of the Development Commissioner for Iron and Steel, Office of the Jute Commissioner, National Atlas and Thematic Mapping Organisation and Central Food Laboratory, all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Forward Markets Commission, Port Health Organisation, Electronics Regional Test Laboratory and Central Board of Film Certification, all in Mumbai; Office of the Welfare Commissioner, Allahabad; Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Electronics and Radar Development Establishment, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and Regional Vocational Training Institute for Women, all in Bangalore; Proof and Experimental Establishment, Chandipur (District Balasore); Save Grain Campaign, (Regional Office), Bhubaneswar; Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; The Post Master General, North Karnataka Region, Dharwar; Directorate General of Mines Safety, Dhanbad; Surveyor General's Office, Dehradun; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Goa; India Grain Storage Management and Research Institute, Hapur; Nuclear Fuel Complex, Hyderabad; Save Grain Campaign Office, Jaipur; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development and Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Kerala; both in Cochin; Electronics Regional Test and Development Centre, Mohali; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Coaching-Cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Indian Bureau of Mines, all in Nagpur; Customs and Central Excise Commissionerate, Rajkot; Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong; Regional Centre for Military Airworthiness, HAL Korwa, (District Sultanpur); Airport Health Organisation, Tiruchirapalli; Naval Materials Research Laboratory, Anand Nagar, (District Thane) and Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam.

6.4 18 Offices which have furnished 'NIL' report are as under:-Coast Guard Headquarters and School of Foreign Languages both in New Delhi; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Mumbai; The Chief Post Master General, Gujarat Circle, Ahmedabad; Post Master General, Western Region, Coimbatore; Regional Centre for Military Airworthiness (Helicopters), Bangalore; Regional Office (NEZ) of Ministry of Environment and Forests, Chandigarh; Advanced Training Institute (Directorate General of Employment and Training), Ludhiana; Electronics Test and Development Centre and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped both in Jaipur; Central Research Institute, Kasauli; Regional Office (Central Region) Ministry of Environment and Forests, Lucknow; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile Tura,

(Meghalaya); Central Institute of Indian Languages, Mysore; Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (District Ganjam) and office of the Post Master General, Goa Region, Panaji.

6.5 Offices which have informed that this procedure is not applicable to them are as follows:- Office of the Controller General of Defence Accounts, New Delhi; Save Grain Campaign, (Regional Office), Ahmedabad and Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Shimla.

6.6 College of Defence Management, Secunderabad and Port Health Organisation, Visakhapatnam are following their own Manuals.

6.7 Office of the Director General of Income Tax (Investigation), New Delhi and Central Government Health Scheme, Jabalpur have informed that their offices do not have 25 years old records.

6.8 Regional Office of Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Bhubaneswar has reported that there is a new office and records/documents are yet to be gathered.

6.9 Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai has stated that it is not possible for them to attend to this work due to shortage of staff.

6.10 Directorate of Statistics and Intelligence (Central Excise and Customs), New Delhi and Office of the Official Liquidator attached to Rajasthan High Court, Jaipur have given vague replies in this regard.

6.11 As regards Public Sector Undertakings, in all 42 Public Sector Undertakings, etc have forwarded information out of which 26 have reported that they are attending the job, the other 6 are following their own procedure, whereas remaining 10 have sent 'NIL' reports. Detailed analysis is given below:- 26 Public Sector Undertakings etc who are attending the jobs are:- Airport Authority of India, Hindustan PREFAB Ltd., University of Delhi, Bharat Heavy Electricals Ltd., National Textile Corporation Ltd, and Fertilizers Corporation of India Ltd., all in New Delhi; Madras Dock Labour Board, Chennai; The Indian Science Congress Association, Kolkata; Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd., Mumbai Port Trust, Jawaharlal Nehru Port Trust and Cotton Corporation of India, all in Mumbai; Software Technology Parks, Raman Research Institute and Indian Academy of Sciences all in Bangalore; Hindustan News Print Ltd., Kottayam; Hindustan Photo Film Manufacturing Company Ltd., Ootacamund; Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd., both in Nagpur; Visakhapatnam Port Trust, Vishakhapatnam; National Institute of Hydrology, Roorkee; Ganga Flood Control Commission, Patna; Bharat Dynamics Ltd, Hyderabad; Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune and National Academy of Sciences India, Allahabad.

6.12 The other group of Organisations who have intimated that they are following their own procedure are: Employees State Insurance Corporation,

HUDCO and Council of Scientific and Industrial Research, all in New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai; Hooghly Dock and Port Engineers Ltd., Kolkata and Project and Development India, Ltd., Noida.

6.13 Yet, there is another category of 10 Public Sector Undertakings who have supplied 'NIL' reports. These are:- Central Council of Indian Medicine, ERNET India, National Building Organisation, Indian Farmers Fertilizers Corporation Ltd., and Indian National Academy of Engineering, all in New Delhi; International Institute for Population Sciences, Mumbai; Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore; North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd., Guwahati; Central Electronics Ltd., Sahibabad and Tungabhadra Steel Products Ltd., Tungbhadra Dam.

6.14 In response to a separate circular letter no.F.16-2/2000-RM dated 18th July, 2000 which was also issued to Public Sector Undertakings requesting them to furnish half yearly returns on recording/reviewing and weeding of semi-current records, 14 Public Sector Undertakings have responded. The information in detail may please be seen in Annexure IV.

INDEXING OF RECORDS

The smooth functioning of an organisation depends on how best and how quick information is located and culled out from amongst the records. This area of records management is of vital importance as it facilitates the administration, in decision making process specially in policy issues and their implementation. The quick retrieval of information is possible only when records creating agencies prepare indices to their 'A', 'B' and 'C-10' categories of records. The National Archives of India has been making its utmost efforts to guide and advise the Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings to prepare the annual indices. However, the analysis of the information received in this regard reveals that scant attention has been paid by the records creating agencies to this important aspect of records management.

7.1 The National Archives of India requested all records creating agencies vide its Circular letter no.16-12/2000-RM dated 18th July, 2000 to furnish information on the action taken by them in this regard. In all, 86 Ministries/Departments/Offices have furnished information. Out of which 10 have informed that they are preparing indices to their files, 44 have intimated that they are not compiling indices while 13 have furnished 'NIL' information. 10 have reported that this procedure is not applicable to them, 1 office reportedly could not take up the work of indexing of their records due to lack of trained personnel, 2 offices have mentioned that in the absence of Departmental Records Rooms, compilation of indices could not be taken up, 2 Offices have intimated that their's are newly created offices, 2 offices have intimated that they do not have 25 years old record, another 2 offices have given vague replies. Exhaustive account of information received in this behalf is given below:-

7.2 The following 10 Departments/Offices have stated that they are compiling indices to their records: Departments of Economic Affairs, Fertilizers and Headquarters, National Security Guards all in New Delhi; National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Kolkata; Forward Markets Commission, Mumbai; The Post Master General, North Karnataka Region, Dharwar; Electronics Test and Development Centre, Jaipur; Office of the Registrar of Companies, Kanpur; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur and Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong.

7.3 44 Ministries/Departments/Offices have informed that they are not compiling indices. These are:-Ministries of Environment and Forests, External Affairs, Coal, Parliamentary Affairs, Surface Transport, Planning Commission, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Family Welfare and Supply, Coast Guard Headquarter, Town and Country Planning Organisation, Office of the Director General of Civil Aviation, Director General of Supplies and Disposals, Director General of Quality Assurance, Directorate of Statistics and Intelligence, (Central Excise and Customs), Office of the Controller General of Defence Accounts and National Sample Survey Organisation all in New Delhi; Solid State Physics Laboratory, Delhi; Office of the Commissioner of Cental

Excise and B.C.G. Vaccine Laboratory both in Chennai; Office of the Development Commissioner for Iron and Steel and Office of the Jute Commissioner both in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Port Health Organisation and Electronics, Regional Test Laboratory and Central Board of Film Certification all in Mumbai; Office of the Welfare Commissioner, Allahabad; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Income Tax Department and Regional Vocational Training Institute for Women all in Bangalore; Save Grain Campaign Office, Bhubaneswar; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin; Directorate General of Mines Safety, Dhanbad; Surveyor General's Office, Dehra Dun; Indian Grain Storage Management and Research Institute, Hapur; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad; Regional Office (Central Region) Ministry of Environment and Forests, Lucknow; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Office of the Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare) Pune, Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur; Regional Centre for Military Airworthiness, HAL, Korwa, (Dist. Sultanpur) and Naval Materials Research Laboratory, Anand Nagar, (Dist. Thane).

7.4 13 Offices have provided 'NIL' reports in this regard. These are:-

Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Airport Health Organisation and Official Languages Wing (Legislative Department) Zonal Councils Secretariat all in New Delhi; Central Food Laboratory, Kolkata; Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources), Bhubaneswar; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise and Post Master General, (Western Region) both in Coimbatore; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Lal Bhadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Model Vital and Health Statistics Unit, Nagpur; Office of the Post Master General, Goa Region, Panaji and Customs and Central Excise Commissionerate, Rajkot.

7.5 10 Organisations which have reported that this procedure is not applicable to them are:-Departments of Administrative Reforms and Public Grievances and Food and Public Distribution both in New Delhi; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai; Save Grain Campaign, Regional Office, Ahmedabad; Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore; Proof and Experimental Establishment, Chandipur (Dist. Balasore); Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Bangalore; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla.

7.6 Ministry of Railways has requested that a team of officials from National Archives of India may be deputed to advise and guide them in preparing annual indices.

7.7 Ministry of Water Resources have stated that this work has not been done so far because the Record Room has recently been set up, while Regional Office (North East Zone), Ministry of Environment and Forests, Shillong has reported that in the absence of Record Room, the work has not been taken up.

7.8 Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bangalore and Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile, Tura (Meghalaya) have reported that compilation of Indices is not done because their's are newly created offices.

7.9 Department of Secondary Education and Higher Education, New Delhi has informed that the relevant instructions are being issued by them. Office of the Director General of Income Tax (Investigation), New Delhi has intimated that their office have more than twenty five years records.

7.10 Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Cochin has stated that their's is a Tax collecting Department and Nuclear Fuel Complex, Hyderabad has reported that the records are being examined in their organisation for the purpose.

7.11 Out of 45 Public Sector Undertakings who have sent information in response to the Circular letter F.NO.16-12/2000-R.M. dated 18th July 2000, 5 Public Sector Undertakings/Commission/Statutory Bodies have replied that they are attending to their job. 4 Public Sector Undertakings have replied that it is not applicable to them, 26 have sent 'NIL' reports, 7 follow their own procedure and 3 have forwarded vague replies.

7.12 5 Public Sector Undertakings which are attending the job are :-Airport Authority of India and National Textile Corporation Ltd., both in New Delhi; Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd., Ootacamund; Hindustan Newsprint Ltd, Kottayam and Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.

7.13 Cotton Corporation of India, Mumbai; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; The National Academy of Sciences, India, Allahabad and Indian Academy of Sciences, Bangalore have informed that it is not applicable to them.

7.14 The following 26 Public Sector Undertakings have furnished 'NIL' reports:- Hindustan PREFAB Ltd., Central Council of Indian Medicine, ERNET India Ltd., Bharat Heavy Electricals Ltd., National Building Organisation, Fertilizers Corporation of India, Indian Farmers Fertilizers Ltd., and Indian National Academy of Engineering, all in New Delhi; The Indian Science Congress Association, Kolkata; International Institute of Population Science, Jawaharlal Nehru Port Trust and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd., all in Mumbai; Central Board of Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd., both in Nagpur; North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd., Guwahati; Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad; Raman Research Institute and Software Technical Parks of India both in Bangalore; Indian Institute of Tropical Meteorology Pune; Dredging Corporation of India Ltd and Visakhapatnam Port Trust both in Visakhapatnam; Central Electronics Ltd, Ghaziabad; Projects and Development India Ltd., Noida; Tungabhadra Steel Products Ltd., Tungabhadra; National Institute of Hydrology, Roorkee; and Ganga Flood Control Commission, Patna.

7.15 There is yet another category of Public Sector Undertakings who follow their own procedure. These are:-Employees State Insurance Corporation and HUDCO both in New Delhi; Madras Dock Labour Board and Chennai Port Trust both in Chennai; Hooghly Dock and Port Engineers Ltd., Kolkata, Mumbai Port Trust, Mumbai and Mormugao Port Trust, Goa.

7.16 The following three Public Sector Undertakings have sent vague replies: Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur replied that each Department has separate list of records held by it and University of Delhi, Delhi has informed that the respective sections are maintaining subject lists, whereas Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi has informed that they are a Registered Society.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULES

Being the democratic State, Government have to perform many welfare activities for the people in order to win the confidence of the society. In such circumstances, there has been phenomenal growth of activities in the Governmental Organisations in the recent past which has resulted in creating of huge bulk of records. It requires timely categorisation of records, weeding out of ephemeral records and identification of files of enduring value. Therefore, there is a need to chalk out a policy in each organization for the purpose so that an adequate balance could be maintained between the retention and disposal of records. It is needless to mention here that the answer lies on a well drawn up records retention schedule which would be an administrative tool in the hands of records creating agencies to undertake the exercise of categorisation, receiving and weeding out of records when they are no longer required. Further, revision of such Retention Schedule after the expiry of every fifth year, as required under Section 6(1) (e) of the Public Records Act 1993 and Public Records Rules, 1997 framed under the said Act, would ensure inclusion of the new subjects alongwith their retention period within the body of the revised retention schedule. Such Retention Schedules should be compiled in consultation with National Archives of India under the aforesaid section of the said Act. In all 152 record creating agencies have furnished information in response to the Circular letter no.16-12/2000-R.M dated 18th July 2000 seeking information on formulation of Records Retention Schedule in connection with compiling the present report for the year 1999 out of which 108 are Governmental Organisations and 44 are Public Sector Undertakings. Details of the replies received are indicated below:-

8.1 38 offices have informed that they have compiled records Retention Schedules. These are:-Ministries of Coal, Defence, Environment and Forests, External Affairs, Parliamentary Affairs, Railways, Water Resources, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Fertilizers, Supply, Food and Public Distribution, Economic Affairs, Family Welfare, Company Affairs, Secondary Education and Higher Education, Administrative Reforms and Public Grievances, Director General Civil Aviation, Directorate General of Supplies and Disposals, Solid State Physical Laboratory, Zonal Councils Secretariat, Planning Commission and National Sample Survey Organisation all in New Delhi; National Atlas and Thematic Mapping Organisation and Office of the Jute Commissioner both in Kolkata; Forward Markets Commission, Port Health Organisation and Central Board of Film Certification all in Mumbai; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin; Deputy Director General Foreign Trade and Regional Office (NEZ) of Ministry of Environment and Forests both in Shillong; Save Grain Campaign Office, Bhubaneswar; Proof and Experimental Establishment, Chandipur (Distt Balasore), Naval Materials Research Laboratory, Anand Nagar (Distt Thane); Regional Vocational Training Institute for Women, Bangalore; Survey of India, Dehra Dun; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut and Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.

8.2 Under mentioned 6 offices have reported that they are following their Departmental Records Retention Schedules: Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi; Chief Post Master General, Orissa Circle, Bhubaneswar; Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam; Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur; Deputy Chief Labour Commissioner, Bangalore and Chief Commissioner of Income Tax Kerala, Cochin.

8.3 5 Offices which have stated that their headquarters should be contacted in this regard are as under : Instruments Research and Development Establishment, Dehra Dun; Save Grain Campaign Office, Jaipur; Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore; Snow and Avalanche Study Establishment, Chandigarh and Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Bangalore.

8.4 College of Defence Management, Secunderabad has stated that they conduct management related courses and as such records in their custody are of sensitive nature.

8.5 National Security Guard (Headquarters), New Delhi and BCG Vaccine Laboratory, Chennai have stated that they are following Manual of Office Procedure and General Financial Rules in this regard.

8.6 Port Health Organisation, Visakhapatnam and Additional Director General of Central Government Health Scheme, Mumbai have informed that it was not possible for them to carry out this job without adequate staff provided for it.

8.7 Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (District Ganjam) has reported that their office is small and that implementation of Public Records Act will be very difficult.

8.8 The following 3 offices have stated that they will take guidance from National Archives of India: Electronics Test and Development Centre, Mohali; Office of the Regional Welfare Commissioner, Allahabad and Director General of Mines Safety, Dhanbad.

8.9 Electronics Test and Development Centre, Bangalore; Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile, Tura (Meghalaya) have informed that action will be taken only after a separate record room is set up.

8.10 48 Offices have sent 'NIL' reports. These are:- Legislative Department, Office of the Controller General of Defence Accounts, Armed Forces Film and Photo Division, School of Foreign Languages, Director General of Quality Assurance, Director General Income Tax (Investigation), Directorate of Statistics and Intelligence (Central Excise and Customs), Airport Health Organisation, I.G.I. Airport, Coast Guard Headquarters and Town and Country Planning Organisation all in New Delhi; Central Food Laboratory and Development Commissioner for Iron & Steel both in Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Commissioner of Central Excise, Mumbai-I and Electronics Regional Test Laboratory (West) all in Mumbai;

Central Research Institute, Kasauli; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Regional Centre for Military Airworthiness (Helicopters) and Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka and Goa all in Bangalore; Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack; Office of the Post Master General, Goa Region, Panaji; Chief Post Master General, Gujarat Circle and Save Grain Campaign Office both in Ahmedabad; Indian Grain Storage and Management Institute, Hapur; Regional Centre for Military Airworthiness, HAL, Korwa (District Sultanpur); Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Regional Office (CR) (Ministry of Environment and Forests), Lucknow; Regional Office (NEZ) Ministry of Environment & Forests, Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) both in Shimla; Commissioner of Central Excise and Customs, Coimbatore; Official Liquidator (Rajasthan High Court), Electronics Test and Development Centre and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped all in Jaipur; Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur; Customs and Central Excise Commissionerate, Rajkot; Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Airport Health Organisation, Tiruchirapalli; Model Vital and Health Statistics and Coaching-cum-guidance Centre for Scheduled Caste/Scheduled Tribe both in Nagpur; Port Health Organisation, Mandapam; Office of the Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare), Pune; Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Registrar of Companies, U.P., Kanpur; Coaching-cum-Guidance Centre for Scheduled Caste/Scheduled Tribe, Jowai; (Meghalaya); Advanced Training Institute (Director General Employment and Training), Ludhiana; Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources) Bhubaneswar and Lal Bhadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.

8.11 As regards preparation of Records Retention Schedules by the Public Sector Undertakings/Commissions/Corporations etc, 5 Public Sector Undertakings have replied that they have prepared the Records Retention Schedules. These are:-Bharat Heavy Electricals Ltd, New Delhi; Mumbai Port Trust, Mumbai; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Central Board for Workers Education, Nagpur; and Hindustan Newsprint Limited Kottayam.

8.12 Another category of 3 Public Sector Undertakings which do not feel it necessary to prepare such schedules are:- Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd, Ootacamund; Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur and Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.

8.13 Hindustan PREFAB Ltd., New Delhi; Ganga Flood Control Commission, Patna and Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore have informed that their Retention Schedules are under compilation.

8.14 There is another category of 9 Public Sector Undertakings who have conveyed that they are following their own schedules. These are:-Employees State Insurance Corporation, Council of Scientific and Industrial Research, University of Delhi and HUDCO Ltd all in New Delhi; Chennai Port Trust and Madras Dock Labour Board both in Chennai; Hooghly Dock & Port Engineers

Ltd., Kolkata; Dredging Corporation of India, Visakhapatnam; Projects and Development India Ltd, Noida and Mormugao Port Trust, Goa.

8.15 The Cotton Corporation of India Ltd., Mumbai; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune and Raman Research Institute, Bangalore are awaiting guidance from National Archives of India, New Delhi, whereas Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur and Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad have yet to start preparing of their Retention Schedules.

8.16 The following 19 Public Sector Undertakings have sent 'NIL' report:- Airports Authority of India, Central Council of Indian Medicines, ERNET India, National Textile Corporation Ltd., National Building Organisation, The Fertilizers Corporation of India, Indian Farmers Fertilizers Ltd., and the Indian National Academy of Engineering all in New Delhi; The Indian Science Congress Association, Kolkata; Jawaharlal Nehru Port Trust, Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd and International Institute for Population Sciences all in Mumbai; North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd, Guwahati; Central Electronics Ltd., Ghaziabad; Software Technology Parks of India and Indian Academy of Sciences both in Bangalore; Tungabhadra Steel Products Ltd., Tungabhadra Dam; National Institute of Hydrology, Roorkee; and the National Academy of Sciences, India, Allahabad.

DE CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS

De-classification of classified records is one of the important aspects of records management. Section 6(1) (f) of Public Records Act, 1993 and Rule 7 of Public Records Rules, 1997 lay down that all records creating agencies falling within the purview of said Act shall review their all classified files once in five years with a view to downgrading them. Records which have thus been declassified will be amalgamated in regular un-classified record series and thereafter will be appraised in consultation with National Archives of India after expiry of twenty fifth year of their existence. Seeking information in this regard, a Circular letter No. 16-12/2000 R.M dated 18th July 2000 was issued to all record creating agencies. However, response received in this regard has been quite disheartening as record creating agencies are not paying much attention to this aspect. In all, 108 Organisations have responded to the circular issued in this behalf. As regards furnishing of Half -Yearly returns on the de-classification of classified records, 83 Governmental Organisations and 25 Public Sector Undertakings have furnished the returns. The details may please be seen in **Annexure V**. Details of the replies received in response to the circular letter referred to above are indicated below:-

9.1 The following 22 record creating agencies have informed that they are de-classifying classified records periodically:-Ministries of Defence, Surface Transport, Railways, Department of Fertilizers, Supply, Planning Commission, Director General, Central Reserve Police Force, Headquarters National Security Guard, Director General Income Tax (Investigation) and Solid State Physics Laboratory all in New Delhi; Development Commissioner for Iron and Steel and National Atlas and Thematic Mapping Organisation both in Kolkata; Commissioner of Central Excise, Mumbai-I; Electronics Regional Test Laboratory (West) and Central Board of Film Certification all in Mumbai, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and Electronics and Radar Development Establishment both in Bangalore; Naval Materials Research Laboratory, Anand Nagar (Dist. Thane); Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur; Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources), Bhubaneswar; Indian Bureau of Mines, Nagpur and Electronics Test Development Centre, Mohali.

9.2 Regional Office (CR) Ministry of Environment and Forests, Lucknow has stated that as their office is created recently, all records are of current nature and hence maintained by dealing assistants themselves.

9.3 The following 3 offices have stated that their headquarters should be contacted for necessary information. These are :- Instruments Research and Development Establishment, Dehra Dun; Snow and Avalanche Study Establishment, Chandigarh and Save Grain Campaign Regional Office, Jaipur.

9.4 Ministry of Coal, New Delhi has stated that efforts are being made to declare/identify classified files. Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi has conveyed that once a classified film is produced by the Division, it

cannot be de-classified as it does not lose its importance of classification. College of Defence Management, Secunderabad has informed that their College conducts management related courses for officers of Defence Services, and as such, records are of sensitive nature. Ministry of External Affairs, New Delhi has communicated that de-classifying/ downgrading of files is done by originators. Files which were sent for review by the Departmental Records Room to concerned Divisions were being sent back only with the remark reviewed but not downgraded. Department of Secondary Education and Higher Education, New Delhi has intimated that instructions have been issued to all their sections to do the needful. Survey of India, Dehra Dun has reported that their technical records are of permanent nature, hence they do not require de-classification.

9.5 Additional Director General, Central Government Health Scheme, Mumbai and Director General Mines Safety, Dhanbad have stated that it would not be possible to send information due to shortage of staff.

9.6 Airport Health Organisation, I.G.I Airport, New Delhi has stated that as their's is a small organisation, it is not required.

9.7 3 Offices have mentioned that report in this regard will be sent after a separate record room is set-up. These are :- Office of the Jute Commissioner, Kolkata, Electronics Test and Development Centre, Bangalore and Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile, Tura (Meghalaya).

9.8 70 Offices which have sent 'NIL' report are :- Ministries of Parliamentary Affairs, Environment and Forests, Water Resources, Department of Food and Public Distribution, Economic Affairs, Family Welfare, Company Affairs, Chemicals and Petrochemicals, Administrative Reforms and Public Grievances and Legislative Department, Director General, Civil Aviation, Director General Supplies and Disposals, School of Foreign Languages, Directorate General of Quality Assurance, Directorate of Statistics and Intelligence (Central Excise and Customs), Zonal Councils Secretariat, Coast Guard Headquarters, National Sample Survey Organisation, Town and Country Planning Organisation and National Building Organisation all in New Delhi; BCG Vaccine Laboratory and Commissioner of Central Excise and Customs, Chennai-I, both in Chennai; Central Food Laboratory, Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Forward Markets Commission and Port Health Organisation all in Mumbai; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Central Research Laboratory, Kasauli; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development and Chief Commissioner of Income Tax, Kerala both in Cochin; Deputy Director General of Foreign Trade and Regional Office (NEZ) of Ministry of Environment and Forests both in Shillong; Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack; Post Master General, Gujarat Circle and Save Grain Campaign Office both in Ahmedabad; Post Master General, Western region and Chief Commissioner of Customs and Central Excise both in Coimbatore, Chief Post Master General, Orissa Circle and Save Grain Campaign Office both in Bhubaneswar, Regional Centre for Military Airworthiness HAL, Korwa (District Sultanpur) ; Indian Grain Storage and Management Institute, Hapur; Proof and Experimental Establishment, Chandipur (District Balasore); Regional Centre for Military

Airworthiness (Helicopters), Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka and Goa, Deputy Chief Labour Commissioner (C), Regional Vocational Training Institute for Women and Branch Secretariat (Department of Legal Affairs) all in Bangalore; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Official Liquidator (Rajasthan High Court), Electronics Test and Development Centre and Vocational Centre for Handicapped all in Jaipur, Commissioner for Central Excise and Customs, Model Vital and Health Statistics Unit and Coaching-cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes all in Nagpur; Office of the Customs and Central Excise Commissioner, Rajkot; Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Airport Health Organisation, Tiruchirapalli; Regional Leprosy and Training Institute, Aska (Dist. Ganjam); Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare), Pune; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Vallabhbhai Patel National Police Academy and Nuclear Fuel Complex both in Hyderabad; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Coaching-cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Jowai (Meghalaya); Regional Welfare Commissioner, Allahabad; Advanced Training Institute (Director General Employment and Training), Ludhiana; Registrar of Companies U.P., Kanpur and Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Mussoorie.

9.9 Analysis of information received from 55 Public Sector Undertakings in this regard is as under:- In all 7 organisations have informed that they are doing de-classification of files; 6 have replied that they follow their own guidelines; 5 have reported that it is not applicable to them; one has sent vague information, 5 have informed that they will be sending it in due course, whereas 'NIL' information has been sent by 31 Public Sector Undertakings.

9.10 The 7 Public Sector Undertakings who have informed that they are attending to job of de-classification of files are :- Bharat Heavy Electricals Ltd., National Textile Corporation Ltd, and Broadcasting Corporation of India all in New Delhi; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; National Institute of Hydrology, Roorkee; Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune and Murmugao Port Trust, Goa.

9.11 The Public Sector Undertakings who are following their own procedure are:- Employees State Insurance Corporation; HUDCO and Council of Scientific and Industrial Research, all in New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai; Hooghly Dock and Port Engineers Ltd., Kolkata and Projects and Development India Ltd, Noida.

9.12 The other category of Public Sector Undertakings which feel that it is not applicable to them are:- Indian Farmers Fertilizers Corporation Ltd. and Indian National Academy of Engineering, both in New Delhi ; Cotton Corporation of India, Mumbai; Raman Research Institute, Bangalore and Dredging Corporation of India Ltd, Visakhapatnam.

9.13 Software Technical Parks of India, Bangalore has informed that classified records available with them can not be de-classified.

9.14 Hindustan PREFAB Ltd, New Delhi; Jawaharlal Nehru Port Trust and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd, both in Mumbai; Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd., Ootacamund and Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore have informed that they will be sending the information in due course.

9.15 31 Public Sector Undertakings have forwarded 'NIL' information. These are :- Airport Authority of India, Central Council of Indian Medicine, University of Delhi, ERNET India, The Fertilizers Corporation of India Ltd., National Capital Region Planning Board, National Council of Educational Research and Training, all in New Delhi; The Indian Science Congress Association and Falta Export Processing Zone both in Kolkata, Mumbai Port Trust, Hotel Corporation of India Ltd, Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research and International Institute for Population Sciences all in Mumbai; Mineral Exploration Corporation Ltd, and Central Board of Workers Education both in Nagpur; Institute of Wood, Science and Technology, Central Power Research Institute, Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research and Indian Academy of Sciences all in Bangalore; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials and Bharat Dynamics Ltd both in Hyderabad; Bhakra Beas Management Board (Transmission System), Chandigarh; Electronics Research and Development Centre of India, Thiruvananthapuram; Eastern Coal Fields Ltd, Burdwan; North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd, Guwahati; Hindustan Newsprint Ltd, Kottayam; Artificial Limb Manufacturing Corporation of India, Kanpur; Central Electronics Ltd., Sahibabad; Tungabhadra Steel Products Ltd, Tungabhadra Dam; Ganga Flood Control Commission, Patna; and the National Academy of Sciences, India, Allahabad.

DEFUNCT COMISSIONS/COMMITTEES

In pursuance of Section 3(2) (n) to be read with Section 6 (1) (l) of Public Records Act, 1993, National Archives of India continued its efforts to gather information in respect of transferring of records of defunct bodies with a view to preserve them in a scientific manner and to make them available for consultation to the researchers. Needless to mention here that the records of such defunct bodies are very important as information contained therein will be a source material for understanding the circumstances under which these were set up and work accomplished by them. To collect information in this regard, National Archives of India issued circular letter no. 16-12/2000 RM dated 18th July 2000 to all record creating agencies. In all 158 Ministries/Departments, Public Sector Undertakings etc have furnished information. Of these 42 are Public Sector Undertakings, etc. Detailed analysis of information received is indicated below:-

10.1 Ministry of Water Resources, New Delhi has informed that records of Advisory Committee for centrally sponsored programme are kept in their custody. Ministry of Defence has informed that two committees i.e. Expert Classification Committee and Special Surplus Disposal Committee have been constituted by them, which have now become defunct. Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong has informed that records of the Office of Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Agartala had been closed down but permission to transfer these records to Zonal Head Office, Kolkata has been refused.

10.2 The following 108 offices have given NIL report. Ministries of Environment & Forests, Coal, External Affairs, Non-conventional Energy Sources, Mines, Surface Transport, Railways, Departments of Administrative Reforms and Public Grievances, Company Affairs, Secondary Education & Higher Education, Legal Affairs, Women and Child Development, Family Welfare, Economic Affairs, Food & Public Distribution, Supply, Chemicals and Petro-Chemicals and Legislative Department, Fertilizers, Director General Civil Aviation, Directorate General of Supplies and Disposals, Office of the Controller General of Defence Accounts, Solid State Physics Laboratory, School of Foreign Languages, Director General of Quality Assurances, Director General, Income Tax (Investigation), Directorate of Statistics & Intelligence (Central Excise and Customs) Town and Country Planning Organisation, Airport Health Organisation, IGI Airport, Zonal Councils Secretariat, Headquarters National Security Guard, Director General, Central Reserve Police Force, Coast Guard Headquarters, Central Soils & Materials Research Station, National Sample Survey Organisation (Field Operation Division) Armed Forces Film and Photo Division and Planning Commission in all New Delhi; Commissioner of Central Excise, Chennai-I and B.C.G Vaccine Laboratory both in Chennai; Central Food Laboratory, Development Commissioner for Iron and Steel, National Atlas and Thematic Mapping Organisation and Office of Jute Commissioner all in Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Forward Markets Commission, Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-II, Port Health Organisation, Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme,

Electronics Regional Test Laboratory (West) and Central Board of Film Certification; all in Mumbai; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut Central Research Institute, Kasauli; Department of Space, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Electronics and Radar Development Establishment, Regional Centre for Military Airworthiness (Helicopters), Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka and Goa, Regional Vocational Training Centre for Women, Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (C) and Branch Secretariat (Department of Legal Affairs) all in Bangalore; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development and Chief Commissioner of Income Tax, Kerala both in Cochin; Joint Director General Foreign Trade, Cuttack, Office of the Post Master General, Goa Region, Panaji, Chief Post Master General, Gujarat Circle and Save Grain Campaign Regional Office both in Ahmedabad; Post Master General, Western Region, Coimbatore; Chief Post Master General, Orissa Circle, Save Grain Campaign Office and Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources) all in Bhubaneswar; Indian Grain Storage and Management Institute, Hapur, Regional Centre for Military Airworthiness, HAL Korwa (Distt), Sultanpur; Proof and Experimental Establishment Chandipur, (Distt. Balasore); Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Naval materials Research Laboratory, Anand Nagar (Distt Thane); Regional Office (Central Region) (Ministry of Environment and Forests), Lucknow; Regional Office (North East Zone), (Ministry of Environment and Forests) Shillong; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise Coimbatore; Official Liquidator (Rajasthan High Court), Vocational Rehabilitation Center for Handicapped, Electronics Test and Development Centre, all in Jaipur; Commissioner of Central Excise and Customs, Model Vital and Health Statistics Unit; Coaching-cum-Guidance Centre for Scheduled Castes and Schedules Tribes and Indian Bureau of Mines, both in Nagpur; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur; Customs and Central Excise Commissionerate, Rajkot; Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Airport Health Organisation, Tiruchirapalli; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla; Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (Distt. Ganjam); Port Health Organisation, Mandapam; Office of the Senior Regional Director, (Ministry of Health and Family Welfare), Pune; Vallabhbhai Patel National Police Academy and Nuclear Fuel Complex both in Hyderabad; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Regional Welfare Commissioner, Allahabad; Coaching-Cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Jowai (Meghalaya); Director General, Mines Safety Dhanbad; Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile Tura (Meghalaya); Advanced Training Institute (Director General of Employment & Training) Ludhiana; Registrar of Companies, U.P. Kanpur; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Survey of India, Dehra Dun and Commissioner of Railway Safety, Lucknow.

10.3 Save Grain Campaign Office, Jaipur; Instruments Research and Development Establishment, Dehra Dun; Snow and Avalanche Study Establishment, Chandigarh have informed that their Headquarters Office should be approached as all policy matters are being dealt by them.

10.4 College of Defence Management, Secunderabad has informed that records held by their Organisation are of sensitive nature and may not be for public information, whereas Electronics Test and Development Centre, Bangalore has intimated that the information will be sent as soon as a separate Record Room is set up.

10.5 As regards Public Sector Undertakings 42 Organisations have furnished information, out of which 38 have furnished 'NIL' information. These are:- Council of Scientific and Industrial Research; Airports Authority of India, Hindustan PREFAB Ltd; Central Council of Indian Medicine; University of Delhi; ERNET India; Bharat Heavy Electrical Ltd; National Textile Corporation; National Building Organisation; The Fertilizers Corporation of India Ltd; Indian Farmers Fertilizers Corporation Ltd, and Indian National Academy of Engineering all in New Delhi; Madras Dock Labour Board, Chennai; The Indian Science Congress Association, Kolkata; Cotton Corporation of India; International Institute for Population Science, Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai Port Trust and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. all in Mumbai; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd., both in Nagpur; Software Technology Parks of India, Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Indian Academy of Science and Raman Research Institute, all in Bangalore; Tungabhadra Steel Products, Tungabhadra Dam; North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation, Guwahati; Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd., Ootacomund; Hindustan Newsprint Ltd., Kottayan; Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur; Central Electronics Ltd. Sahibabad; Visakhapatnam Port Trust and Dredging Corporation of India Ltd. both in Visakhapatnam; National Institute of Hydrology, Roorkee; Ganga Flood Control Commission, Patna; Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune; The National Academy of Sciences India, Allahabad and Bharat Dynamics Ltd, Hyderabad.

10.6 Employees State Insurance Corporation and HUDCO both in New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai; and Hooghly Dock and Port Engineers Ltd., Kolkata have informed that they are following their own procedure.

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Appraisal of Non-Current records of the Ministries/ Departments/Offices/ Public Sector Undertakings in collaboration with the National Archives of India, is a statutory requirement as stipulated under Section 6 (1) (c) of the Public Records Act, 1993 as it helps in saving precious shelf space by destroying records of ephemeral value. Further, on the one hand shelf space thus created can be utilized for storing fresh accrual of records, on the other hand, records of permanent nature could be transferred to the Archival repository for permanent preservation. The National Archives of India has been making its utmost efforts to guide and advise the records creating agencies on this aspect and a circular letter No.16-12/2000-R.M dated 18th July 2000 was issued to all records creating agencies seeking information on this subject. The information thus received would also help the National Archives of India to chalk out its programme for appraisal of such records. In response to the said circular, 99 Ministries/Departments/Offices have furnished information. Out of these 28 offices have informed that they are appraising their 25 years old records in consultation with National Archives of India, whereas 49 have sent 'NIL' reports. 18 offices have reported that said procedure is not applicable to them and 4 have given vague replies. The analysis of information received is detailed below:-

11.1 28 Ministries/Departments/Offices have informed that they have non-current records which have been appraised by them in consultation with National Archives of India. These are:- Ministries of Coal, Defence, Environment and Forests, External Affairs, Parliamentary Affairs, Railways, Surface Transport and Water Resources; Departments of Economic Affairs, Food and Public Distribution, Fertilizers and Secondary Education and Higher Education, Planning Commission and Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise Chennai-I, Chennai; National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Central Board of Film Certification and Port Health Organisation all in Mumbai; Save Grain Campaign Office, Ahmedabad; Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Bangalore; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore; Surveyor General's Office, Dehra Dun; Directorate General of Mines Safety, Dhanbad; The Post Master General, North Karnataka Region, Dharwad; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur; Lal Bhadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie and Airport Health Organisation, Tiruchirapalli.

11.2 49 Offices which have given 'NIL' reports are as under:- Ministries of Health and Family Welfare and Urban Development and Poverty Alleviation, Directorate General of Quality Assurance, Coast Guard Headquarter; Directorate of Statistics and Intelligence, (Central Excise and Customs), Office of the Director General of Income Tax (Investigation), Headquarters, National Security Guard, Official Language Wing (Legislative Department), National

Sample Survey Organisation, Armed Forces Film and Photo Division and School of Foreign Languages all in New Delhi and Solid State Physics Laboratory, Delhi; Office of the Development Commissioner for Iron and Steel, Office of the Jute Commissioner and Central Food Laboratory all in Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Forward Markets Commission, Office of the Commissioner of Central Excise and Customs and Electronics Regional Laboratory all in Mumbai; The Chief Post Master General, Gujarat Circle, Ahmedabad; Office of the Welfare Commissioner, Allahabad; Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Regional Centre for Military Airworthiness (Helicopters), Regional Vocational Training Institute for Women and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery all in Bangalore; Proof and Experimental Establishment, Chandipur (Dist. Balasore); Save Grain Campaign Office, Bhubaneswar; The Post Master General (Western Region), Coimbatore; Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack; Regional Office (NEZ) of Ministry of Environment and Forests, and Terminal Ballistics Research Laboratory both in Chandigarh; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka and Goa, Bangalore, Nuclear Fuel Complex, Hyderabad; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jaipur; Central Research Institute, Kasauli; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Advanced Training Institute (DGE&T), Ludhiana; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile, Tura (Meghalaya), Office of the Commissioner of Central Excise and Customs and Indian Bureau of Mines both in Nagpur; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (Distt Ganjam); Office of the Post Master General, Goa Region, Panaji; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur; Customs and Central Excise Commissionerate, Rajkot; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla; Regional Centre for Military Airworthiness, HAL, Korwa (Dist.Sultanpur); Naval Materials Research Laboratory, Anand Nagar (Dist. Thane) and Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam.

11.3 18 Offices have informed that this aspect is not applicable to them. These are:- Departments of Administrative Reforms and Public Grievances and Supply, Directorate General of Supplies and Disposals, Office of the Controller General of Defence Accounts, Town and Country Planning Organisation and Zonal Councils Secretariat (Ministry of Home Affairs), all in New Delhi. BCG vaccine Laboratory, Chennai; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai; Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore; Regional Office of Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Bhubaneswar; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin; Indian Grain Storage Management and Research Institute, Hapur; Electronics Test and Development Centre, Jaipur; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Regional Office (Central Region) (Ministry of Environment and Forests), Lucknow; Coaching-Cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Nagpur; Office of the Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare), Pune and Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong.

11.4 4 Offices which have furnished vague replies are: Office of the Director General of Civil Aviation and Airport Health Organisation both in New Delhi; Office of the Registrar of Companies, U.P, Kanpur and Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Kerala, Cochin.

11.5 In all 45 Public Sector Undertakings have furnished information out of which 8 have furnished the desired information, 31 have sent 'NIL' information, whereas 6 have reported that they are following their own procedure.

11.6 8 Organisations which have furnished desired information are mentioned below:- Hindustan PREFAB Limited and Fertilizers Corporation of India both in New Delhi, Cotton Corporation of India Ltd, Mumbai; Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd., Ootacamund; Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur; National Institute of Hydrology Roorkee; Indian Academy of Sciences, Bangalore and Dredging Corporation of India, Visakhapatnam.

11.7 31 Public Sector Undertakings have sent 'NIL' information. These are:- Airport Authority of India, Central Council of Indian Medicine, University of Delhi, ERNET India, Bharat Heavy Electricals Ltd., National Textile Corporation Ltd., National Building Organisation, Indian Farmers Fertilizers Corporation Ltd and Indian National Academy of Engineering all in New Delhi; The Indian Science Congress Association, Kolkata; Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd., International Institute for Population Sciences, Jawaharlal Nehru Port Trust and Mumbai Port Trust all in Mumbai; Software Technology Parks of India, Raman Research Institute and Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, all in Bangalore; North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd., Guwahati; Hindustan Newsprint Limited, Kottayam; Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad; Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur; Central Electronics Ltd., Ghaziabad; Centre for Materials for Electronics Technology and Institute of Tropical Meteorology both in Pune; Central Board for Workers Education, Nagpur; Tungabhadra Steel Products Ltd, Tungabhadra Dam; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Ganga Flood Control Commission Patna; Projects and Development India Ltd., Noida; The National Academy of Sciences India, Allahabad; and Murmugao Port Trust, Goa.

11.8 There is yet another category of 6 Public Sector Undertakings which have informed that they are following their own system. These are: - Employees State Insurance Corporation, Council of Scientific and Industrial Research and HUDCO all in New Delhi; Chennai Port Trust and Madras Dock Labour Board both in Chennai; and Hooghly Dock and Port Engineers Ltd., Kolkata.

ORGANISATIONAL HISTORY

Taking into consideration Section 6 (1) (i) of the Public Records Act which stipulates that each records creating agency shall compile its Organisational History as it is an essential tool for having proper appreciation of the nature of records generated by it over the years. This write-up should include the information about its setting up, functions, growth of different wings, divisions, etc. National Archives of India accordingly issued Circular letter no.16-13/2000-RM dated 15 November, 2000 to all Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc requesting them to furnish the information in regard to the action taken by them during the year 1999 for compiling their Organisational Histories. Obviously, preparation of such a write up will make it easy to trace the growth of a particular records creating agency, change of functions and consequent growth of records created by them. It helps the officials of National Archives of India in appraisal exercise as after having better understanding of the activities of a particular Ministry/Department/Public Sector Undertaking it becomes easier to finalise the retention period of different groups of records.

In response to the above said circulars, 164 Ministries, etc have responded. Out of these, 100 Organisations have furnished their organisational history, which are being studied to understand the growth of those organisations from time to time. 46 records creating agencies have sent 'NIL' report, whereas other 18 Organisations have given different replies. 83 Public Sector Undertakings have also furnished information in this regard. The analysis of the data is given below:-

12.1. In this connection, 100 Organisations have furnished organisational histories. These are:- Ministries of Civil Aviation, Coal, Environment and Forests, External Affairs, Parliamentary Affairs, Railways, Water Resources and Departments of Administrative Reforms and Public Grievances, Chemicals and Petrochemicals, Economic Affairs, Family Welfare, Director General of Civil Aviation, Directorate General of Supplies and Disposals, Armed Forces Film and Photo Division, Zonal Councils Secretariat, Directorate of Revenue Intelligence, Central Herd Registration Unit, Office of the Joint Secretary (Training) and Chief Administrative Officer (Ministry of Defence), Central Pension Accounting Office, National Sample Survey Organisation, Planning Commission, Publications Division, Armed Forces Medical Services and Lady Reading Health School all in New Delhi; Commissionerate of Central Excise and Customs, Chennai I, Chennai; Central Food Laboratory, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Coaching-Cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Port Health Organisation, Office of the Jute Commissioner, Anthropological Survey of India and Development Commissioner for Iron and Steel all in Kolkata; Forward Markets Commission, Port Health Organisation, Regional Directorate of Apprenticeship Training, Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property Act, 1976, Airport Health Organisation, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Central Board for Workers Education, Office of the Commissioner of Customs and Air Cargo, all in

Mumbai; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Regional Vocational Training Institute for Women, Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Standardisation, Testing and Quality Certification, Regional Office (Southern Zone) (Ministry of Environment and Forests), Central Excise Commissionerate and National Tuberculosis Institute, all in Bangalore; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development and Central Drugs Standard Control Organisation both in Cochin; Indian Grain Storage and Management Institute, Hapur; Terminal Ballistics Research Laboratory, Labour Bureau, Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Central Excise Commissionerate-II all in Chandigarh; Regional Office (Central Region) (Ministry of Environment and Forests) and National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property both in Lucknow; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Indian Bureau of Mines, National Civil Defence College, Central Government Health Scheme, Pre-Investment Survey of Forest Resources, Department of Explosives and Coaching-Cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes all in Nagpur; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Directorate General of Mines Safety, Dhanbad; Survey of India and Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation both in Dehra Dun; Office of the Director of Income Tax (Investigation), Central Poultry Breeding Farm, Chief Post Master General, Orissa all in Bhubaneswar; Official Liquidator (High Court of M.P) Indore; Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile Tura, (Meghalaya); Commissionerate of Central Excise & Customs and its field office, Coimbatore; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy and Nuclear Fuel Complex both in Hyderabad; National Film Archives of India, Commissioner of Central Excise, Pune-I and Office of the Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare) all in Pune; Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (District Ganjam); Central Drugs Standard Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima, (District Sambalpur); Directorate of Pulses Development, Bhopal; Regional Vocational Training Institute for Women, Directorate of Millet Development and Coaching-Cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes all in Jaipur; Central Drugs Standard Control Organisation, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped both in Patna; Office of Assistant Labour Commissioner and Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage both in Faridabad; Central Excise and Customs Commissionerate, Vadodara; Office of the Post Master General, Aurangabad Division, Aurangabad; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Srinagar (J&K); North Eastern Council, Shillong; Coaching-Cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Jowai (Meghalaya); Port Health Organisation Kandla, Kandla Port (Kutch) and Regional Station for Forage Production and Demonstration, Palaj (Gandhinagar).

12.2 46 records creating agencies which have furnished 'NIL' information are as follows:- Legislative Department, Departments of Company Affairs, Secondary & Higher Education, School of Foreign Languages, Director General, Income Tax (Investigation), Directorate of Statistics and Intelligence (Central Excise and Customs), Town and Country Planning Organisation,

Airport Health Organisation, Coast Guard Headquarters, Office of the Controller General of Defence Accounts and Director General of Quality Assurance all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise Chennai-I and B.C.G. Vaccine Laboratory both in Chennai; Office of the Jute Commissioner, Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Mumbai-I and Electronics Regional Test Laboratory (West) all in Mumbai; Central Research Institute, Kasauli, Post Master General Goa Region, Panaji; Chief Post Master General, Gujarat Circle, Ahmedabad; Post Master General (Western Region), Commissioner of Customs and Central Excise, both in Coimbatore, Regional Center for Airworthiness, HAL Korwa (Dist. Sultanpur); Regional Centre for Military Airworthiness (Helicopters) and office of the Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka & Goa; Electronics and Radar Development Establishment all in Bangalore; Regional Office (North-East Zone) Ministry of Environment & Forests, Regional Office (North East Zone) (Ministry of Health and Family Welfare) and Deputy Director General of Foreign Trade all in Shillong; Office of Official Liquidator (Rajasthan High Court), Electronics Test and Development Centre and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped all in Jaipur; Office of Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur; Customs and Central Excise Commissionerate, Rajkot; Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur, Airport Health Organisation, Tiruchirapalli; Model Vital and Health Statistics Unit, Coaching-Cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes both in Nagpur; Coaching-Cum-Guidance Centre for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Jowai (Meghalaya); Advanced Training Institute (Director General of Employment and Training), Ludhiana; Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources), Bhubaneswar; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Office of the Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare) Pune; Port Health Organisation, Mandapam; Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad and Central Institute of Indian Languages, Mysore.

12.3 Departments of Supply and Food & Public Distribution both in New Delhi, Save Grain Campaign Office, Bhubaneswar have informed that organisational history is reflected in their annual report. National Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam has informed that Organisational history is included in their souvenir. Office of the Joint Director General Foreign Trade, Cuttack; Save Grain Campaign Regional Office, Ahmedabad and Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (Distt Ganjam); Deputy Chief Labour Commissioner, Bangalore have informed that as their offices are small (field and zonal offices), it is not necessary to compile organisational histories. Save Grain Campaign Office, Jaipur has conveyed that all such policy matters and important decisions are taken by the Ministry, Proof and Experimental Establishment, Chandipur (Dist. Balasore) have reported that information is being collected and organisational history will be prepared. Instrument Research and Development Establishment, Dehra Dun and Naval Materials Research Laboratory, Anand Nagar (Dist. Thane) have intimated that information may be obtained from their headquarters. Solid State Physics Laboratory, New Delhi has stated that they could not prepare organisational history as their establishment came into existence only in 1964. Chief Commissioner of Income Tax, Kerala, Cochin has communicated that

they are unable to furnish Organisational history due to shortage of staff. Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai and National Security Guard Headquarter, New Delhi have mentioned that information being of secret nature can not be divulged. Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile Tura (Meghalaya) has informed that due to shortage of staff this job was not being done. Electronics Test and Development Centre, Bangalore has stated that this job will be taken up after separate Record Room is set up.

12.4. 59 Public Sector Undertakings have furnished copies of their organisational histories. These are:- Central Council of Indian Medicine, The Fertilizers Corporation of India, Hindustan PREFAB Ltd, National Building Organisation, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Federation of Indias Export Organisation, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Hindustan Fertilizers Corporation, The State Trading Corporation of India Ltd., The Sports Goods Export Promotion Council, National Book Trust of India, Central Council for Research in Homeopathy and National Institute of Social Defence all in New Delhi; National Institute of Port Management, Chennai; The Indian Science Congress Association, Burn Standard Co. Ltd., and Calcutta Dock Labour Board, all in Kolkata; National Institute of Industrial Engineering, The Synthetic And Rayon Textile Export Promotion Council, The Bombay Textile Research Association, Hindustan Organic Chemicals Ltd., Indian Institute of Technology, Government of India Tourist Office, Cotton Corporation of India Ltd., and Minor Port Survey Organisation all in Mumbai; Raman Research Institute, Indian Academy of Sciences, Bharat Earth Movers Ltd., Spice Trading Corporation, Software Technology Parks of India, Central Poultry Training Institute and Foreman Training Institute all in Bangalore; Central Board for Workers Education and National Fire Service College both in Nagpur; Hindustan Newsprint, Kottayam; National Institute of Financial Management, Faridabad; National Fertilizers Ltd., Noida; Man Made Textile Research Association, Surat; Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam Port Trust, Dredging Corporation of India Ltd., all in Visakhapatnam; Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India Kanpur; Central Electronics Ltd., Sahibabad U.P; Centre for materials for Electronics Technology and Indian Institute of Tropical Meteorology both in Pune; National Institute of Hydrology, Roorkee; Ganga Flood Control Commission, Patna, Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd., Ramnagar; Indian Institute of Management, Ahmedabad; Goa Shipyard Limited, Goa; Technical Teachers Training Institute, Chandigarh and Bhopal; Regional Engineering College Kurukshetra, North Eastern Region Farm Training and Testing Institutes, Sonitpur (Assam) Centre for materials for Electronics Technology Thrissur, Indian Council of Forestry Research and Education, Dehra Dun; Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd., Ootacamund; Office of the General Manager Telecom, Calicut and Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi.

12.5 7 Public Sector Undertakings have replied that they will be compiling it in due course. These are:- University of Delhi, Indian National Academy of Engineering and National Textile Corporation all in New Delhi; Mumbai Port Trust, Mumbai, Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research,

Bangalore; Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur and Mormugao Port Trust, Goa.

12.6 There is yet another group of 12 Public Sector Undertakings who have given 'NIL' information. These are:- National Cooperation Housing Federation of India, Airport Authority of India, ERNET India, Bharat Heavy Electricals Ltd., all in New Delhi, Project and Development India Ltd., Noida; Madras Dock Labour Board, Chennai; Hooghly Dock and Port Engineers Ltd., Kolkata; Jawaharlal Nehru Port Trust and International Institute for Population Science both in Mumbai; Tungabhadra Steel Products Ltd., Tungabhadra Dam, North East Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd., Guwahati and Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad.

12.7 Employees State Insurance Corporation, HUDCO, Indian Farmers Fertilizers Corporation Ltd., and Council of Scientific and Industrial Research all in New Delhi and Chennai Port Trust, Chennai have informed that they are following their own manual.

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

Further to what has already been reported in my previous report, it may be mentioned here that National Archives of India continued its action in regard to the microfilming of 'A' Category records lying in the custody of the records creating agencies during the period under report. Keeping in view the importance of the subject, Secretary, Culture, Government of India addressed a D.O letter No.16-6/99-R.M dated 16th June, 1999 to 25 Secretaries of the Ministries/Departments of the Government of India from whom the reply was still awaited. Consequently, 18 Ministries/Departments out of the 25 Ministries/Departments have furnished replies during the period under report. Out of these 4 Organisations have informed that they do not have 'A' category records, 6 have reported that action is being taken to identify such records, 4 have intimated that the work of microfilming of their 'A' category records has already been completed with the help of National Archives of India, one organisation has sought clarification on this aspect, one has given reply that all records of permanent nature have been transferred to National Archives of India, while 2 Organisations have intimated that their Headquarter Office may be approached for seeking information. The detailed analysis of information is given below :-

13.1 Ministries of Food Processing Industries and Petroleum and Natural Gas and Departments of Women and Child Development and Science and Technology all in New Delhi have reported that they do not have 'A' category records.

13.2 6 Organisations have reported that action is being taken to identify such records, which are to be microfilmed. These are:- Ministries of Coal, Mines, Textiles, Urban Development and Social Justice and Empowerment and Department of Posts all in New Delhi.

13.3 4 Ministries/Departments etc have informed that the work of Microfilming of 'A' category records has already been completed with the help of National Archives of India. These are: Ministries of Environment and Forests and Power, Department of Telecommunications and Planning Commission, all in New Delhi.

13.4 Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi has sought clarification regarding the microfilming of Pay Bill Registers as the retention period for such registers is 35 years.

13.5 Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi has given reply by stating that all permanent records have been transferred to the National Archives of India.

13.6 Departments of Sugar and Edible Oils and Indian System of Medicine and Homeopathy both in New Delhi have reported that their headquarter will furnish the desired information.

APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

As per Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993 to be read with Rule 5 of the Public Records Rules, 1997 the Director General of Archives has been empowered to undertake the appraisal of records and also accept for deposit records of permanent nature from the records creating agencies. Likewise, Section 6(1) (c) of the Public Records Act, 1993 also made the Departmental Records Officer responsible for appraisal of Public Records which are more than twenty five years old in association with the National Archives of India so as to ensure that public records of permanent value are not weeded out. This exercise on the one hand helps in weeding out records of ephemeral nature which results in saving of valuable shelf space and cost of maintenance of records housed in various records rooms of the Government of India and on the other ensures in selecting the records of permanent nature which are to be transferred to the National Archives of India for permanent preservation.

14.1 During the period under report, National Archives of India including the Records Centres, in all, appraised 52,229 files, out of which 14,371 files were recommended for retention and 37,858 for destruction. Thus, resulting in saving of Rs. 37,858/- per annum on the up-keep of records. The details are given below:-

14.2 45,949 records were appraised by the Officers of the National Archives of India of 24 Organisations, out of which 13,116 files were recommended for retention and 32,833 files for destruction. These pertain to Prime Minister's Office (1949-1965), Ministry of Civil Aviation (1952-1974), Ministry of Chemicals and Fertilizers (1950-1975), Ministry of Communications (1964-75), Ministry of Defence (1945-1974), Ministry of Environment and Forests (1959-1975), Ministry of Home Affairs (1953-1974), Ministry of Information and Broadcasting (1973-1974), Ministry of Surface Transport (1949-1975), Ministry of Railways (1934-74), Ministry of Water Resources (1956-75) Department of Expenditure (1968-74), Department of Company Affairs (1937-75), Department of Food and Civil Supplies (1956-75), Department of Heavy Industry (1964-74), Department of Industrial Policy and Promotion (1951-75), Department of Official Language (1958-74), Department of Science and Technology (1948-71), Department of Supply (1959-75) Air Headquarters (1953-74) and Archaeological Survey of India (1929-74) all in New Delhi; Central Board of Film Certification, Mumbai (1951-74), Instruments Research Development Establishment (Ministry of Defence), Dehra Dun (1955-75) and Central Excise Commissionerate, Chandigarh (1947-74).

14.3 Similarly, a joint team comprising of the officers of the headquarters as also National Archives of India Record Centre, Pondicherry has appraised 5213 files (1910-74), of the Office of the Commissioner of Customs, Chennai, out of which 1172 files were marked for retention and 4041 destruction.

14.4 Further, National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar has also appraised 1067 files (1900-74) of the Office of the Chief Postmaster General, Orissa Circle, Bhubaneswar in which 83 files were marked for retention and 984 for destruction.

Section 3(2) (e) of the Public Records Act, 1993, stipulates about the preparation of inventories, indices, catalogues and other reference media of public records so as to facilitate quick retrieval of information by their users. Needless to mention here that records serve as the memory of an organisation which contain wisdom of the past and help in taking decisions and formulating future policies for the smooth functioning of an organisation. Hence, preparation of reference is an important administrative tool which needs to be undertaken by each and every organisation. Accordingly, the National Archives of India continued its effort to prepare suitable reference media for the records. The details of the progress made in this regard is given below:-

15.1 Volume 3.4 of the Project Guide to the Sources of Asian History was completed and sent to the press for printing.

15.2 As regards Volume 3.5 of the above project material received from Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Punjab State Archives for inclusion in the said Volume was examined and the respective State Archives were requested to furnish some more details. Besides, the write-ups on the record holdings of the State/Union Territory Archives of Haryana, Jammu & Kashmir, Karnataka, Sikkim, Meghalaya, Chandigarh and Pondicherry were also compiled for the said Volume.

15.3 Besides, the National Archives of India, Record Centre, Bhubaneswar prepared a subject list of 114 files of private collection of Shri Manmohan Choudhary (1961-65) and 45 lease documents of Shri S.N.Dvedy (1971-77).

15.4 As mentioned in my earlier report regarding the scheme for computerisation of the reference media to records available in the National Archives of India, I am pleased to place on record that the data-entry of Home Political 1907-1947 (21,369 records) and Home Public 1747-1800 (1,12,188 records) has been completed. Besides data entry in respect of Home Public 1801-1859 was taken up and it is in progress.

15.5 As regards validation of records, the work in respect of Home Political records is in progress. During the period under report, 4552 records were validated.

ACCESSIONS/ACQUISITIONS

As per Section 3 (2) (b) of the Public Records Act, 1993 the Director General, National Archives of India is empowered to accept public records of permanent nature from all the records creating organisations falling within the gamut of the said Act. Likewise, Section 11(1) of the said Act also stipulates about the accessioning of any record of historical or national importance from any private source by way of gift, purchase or otherwise. Keeping in view the above said provisions, the National Archives of India acquired the following series of records as well as private papers during the period under report:-

16.1 As regards accessioning of public records, 788 files of Prime Minister's Office (1948-72), 246 files of Ministry of Chemicals and Fertilizers (1953-72), 507 files of Ministry of Finance (1927-69), 452 files of Ministry of Information and Broadcasting (1933-71), 30 files of Ministry of Home Affairs (1972), 718 files of Ministry of Surface Transport (1938-70), 664 files of Ministry of Commerce (1953-74), 2 files of Ministry of Parliamentary Affairs (1966) were accessioned. Besides, Constitution of Jammu & Kashmir ((Twenty Eighth Amendment) Bill, 1999 assented by the President was also accessioned.

16.2 In addition to above National Archives of India, Record Centre, Pondicherry accessioned, 1172 files of the Office of the Commissioner of Customs (1910-74), Chennai and 836 files of the Assistant Commissioner of Central Excise (1943-74), Guntur. Similarly, National Archives of India, Record Centre (Eastern zone) Bhubaneswar also accessioned 231 files from the office of the Chief Post Master General, Orissa Circle, Bhubaneswar (1900-74).

16.3 National Archives of India also continued its efforts to acquire private records of eminent Indians and records of Indian interest from abroad. In this regard 43 pages pertaining to the year 1970 regarding grant of political pension to Ms.Meera Behn and on other ancillary subjects, ten boxes of hand written index cards of late Shri P.C.Jain covering the period 1900-1947 with gaps on the subjects related to jails, army revolution, Indian States, Quit India Movement, revolutionary activities in India etc. were accessioned.

16.4 Further, under the programme of acquisition of records/microfilm rolls of Indian interest from abroad, 9 microfilm rolls covering the period 1943-47 of Lord Wavell Papers regarding Wavell's correspondence with Secretary of State of State for India, discussions on political situation, telegrams from M.K.Gandhi to Viceroy and Viceroy to M.A.Jinnah, Notes of important interviews by Lord Wavell, Notes regarding Punjab problem, All India Scheduled Castes Federation have been purchased from British Library, London. Similarly, another 14 microfilm rolls covering the period the period 1947-52 of Dominion Office series 35 regarding Indian Foreign Policy, Telegrams from Commonwealth Relations Office, Correspondence between Pt.Jawaharlal Nehru and Atlee on the Indian Constituent Assembly and Privy Council etc have also been purchased from Public Records Office, London.

VETTING OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS

Section 6 (1) (e) of the Public Records Act, 1993 provides that the Records Officer shall be responsible for compilation of Records Retention Schedules in consultation with the National Archives of India. These Records Retention Schedules are also required to be revised once in five years with a view to accommodate new Subject Heads which might have been added due to the changing and expanding activities of the concerned records creating agencies during the span of preceding five years. Keeping this in view, National Archives of India has vetted records retention schedules of substantive functions of 25 Ministries/Departments/Offices during the period under report. Information in detail is indicated below:-

17.1 Study reports of such organisations whose studies were completed in 1998 were finalised and sent to their respective organisations. These are:- Department of Ocean Development, Eleven Directorates of Quarter Master General's Branch of Army Headquarters and Eight Directorates of Adjutant General's Branch of the Army Headquarters all in New Delhi.

In addition to the above, National Archives of India vetted Records Retention Schedules of 20 Ministries during 1999 and their study reports alongwith vetted Records Retention Schedules were forwarded to them for implementation. These are: Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Directorate of Advertising and Visual Publicity, Sports Authority of India headquarters, Regional Centres of Sports Authority of India, Academic Wing of Sports Authority of India, Town and Country Planning Organisation, National Sample Survey Organisation headquarters, Central Cottage Industries Corporation Ltd., all in New Delhi; National Institute of Industrial Engineering, Mumbai; Directorate of Marketing and Inspection headquarter, Faridabad; Directorate of Marketing and Inspection, Branch Office, Directorate of Marketing and Inspection (Central Agmark Laboratory), Regional Office of the National Sample Survey Organisation, (Field Operation Division) National Fire Service College, National Civil Defence College, Department of Explosives, Central Board of Workers Education, headquarters, Regional Directorate of Central Board of Workers Education and Indian Bureau of Mines all in Nagpur.

17.2 Sport Studies of the following 6 Departments/Offices/Public Sector Undertakings were taken up and their reports are under various stages of finalisation:- Ministry of Surface Transport, New Delhi; Port Health Organisation, Mumbai; National Savings Organisation and Regional Directorate of National Savings Organisation both in Nagpur; Goa Shipyard Limited, Vasco-da-Gama, Goa and Instruments Research and Development Establishment, Dehra Dun.

ADVISORY WORK

Under Section 3(2) (i) of Public Records Act, 1993, Director General, National Archives of India is required to render advice to all Ministries/Departments etc on the creation, disposal of records and application of standards, techniques of records management and scientific preservation during their semi-current stage. Accordingly, National Archives of India continued its efforts to advise various records creating agencies on the matters related to records management activities.

18.1 Considering the up-keep and preservation of semi-current records as one of the prime areas of the records management, National Archives of India inspected the Departmental Records Rooms of Ministries etc, and provided on the spot advice and guidance for improvement in the existing conditions.

During the period under report, Departmental Records Rooms of 25 Organisations were inspected by the Officers of the National Archives of India. These are:- Ministries of Science & Technology, External Affairs, Defence, Labour, Home Affairs, Power, Environment and Forests, Surface Transport, Petroleum and Natural Gas, Steel and Water Resources, Departments of Revenue, Youth Affairs and Sports, Statistics, Expenditure, Industrial Policy and Promotion, Education, Agriculture and Cooperation, Tele-Communications, Supply, Electronics, Prime Minister's Office, Planning Commission, Directorate General Central Reserve Police Force and President's Secretariat all in New Delhi.

18.2 Further, National Archives of India continued to tender advice on the matters of records management to records creating agencies as and when such requests were received. Accordingly, advice on various aspects of records management was rendered by Officers of National Archives of India to the following Offices:- Ministry of Food Processing Industries, New Delhi; North West Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Chandigarh; Goa Shipyard, Goa; Air India and National Institute of Industrial Engineering both in Mumbai.

18.3 An officer of National Archives of India visited National Academy of Sciences, Allahabad to advise them on microfilming of 'A' category records.

18.4 A team of Officials of National Archives of India also visited Prime Minister's Office and advised them on de-classification of classified records.

18.5 On the request of Government of Tripura five day workshop on records management from 13th to 17th December 1999 was conducted by senior officers of R.M. Division at Agartala for lower, middle and senior level officers of State Government. The workshop was concluded on 18th December, 1999 with a special session of inter-action with top level officers of the State Government. This Session was presided over by Chief Minister, Tripura State and also attended by some of his Cabinet colleagues. A report of the

workshop was forwarded to State Government for streamlining their records management system including the setting up of State Archives.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

TRAINING

The School of Archival Studies of the National Archives of India continued to conduct training courses in Archival Studies. These comprise of One Year Diploma Course in Archival Studies, Short Term Certificate Courses in Records Management, Records Administration and Conservation of Books, Manuscripts and Archives and Repair of Records. Ministries/ Departments/ Offices/Public Sector Undertakings etc can avail of this facility and get their staff working in Departmental Records Room trained. Besides, as per the directives of the Committee of Secretaries, National Archives of India started Five Day Orientation Course in record management for designated Departmental Records Officers with a view to enable them to discharge various functions as stipulated under Section 6(1) of the Public Records Act, 1993. The National Archives of India has so far conducted 11 Courses after its introduction in September, 1998 and so far imparted training to 193 Departmental Records Officers. A list of Departmental Records Officers who have attended the Orientation Course in Records Management from September 1998 (since the introduction of the course) to November 1999 may please be seen in Annexure VI of the report.

19.1 One Year Diploma Course in Archives Keeping for the academic Year 1999-2000 had a batch of 6 students. Out of them, one candidate was sponsored by Punjab State Archives, Chandigarh and the rest were private candidates.

19.2 School of Archival Studies also conducted 2 courses each in Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives, Servicing and Repair of Records, Reprography, Intensive In-Service training Course in microfilming and one Course each in In-service Training in Servicing and Repair of Records, In-Service Course in Archives Administration, In-service Training Course in Servicing and Repair of records and one course in Archives Administration for Private trainees.

19.3 20 nominees of Central Government and other Organisations including Private Candidates attended two sessions of records management. Out of these, one candidate each was sponsored by Department of Science and Technology, National Security Guard Headquarter, President's Secretariat, Legislative Department and Department of Chemicals and Petrochemicals all in New Delhi; Balmer and Lawrie, Kolkata, Commissioner of Archives and Historical Research, Chennai; Indian Rare Earths Ltd., Mumbai; Defence Electronics Research Laboratory and Defence Metallurgical Research Laboratory both in Hyderabad; Kerala State Archives, Thiruvananthapuram; H.N. Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Uttaranchal) and two candidates from Instruments Research and Development Establishment, Dehra Dun and the rest of 6 candidates were private candidates.

19.4 One session of Archives Administration was attended by 4 Candidates. One candidate was sponsored by State Archives of Himachal Pradesh, Shimla;

2 candidates were sponsored National Archives of India and remaining one was a private candidate.

19.5 13 Trainees attended two sessions of Short Term Courses in Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives. Out of these, one each was sponsored by Al-Hikmat Book Bank, Akhil Bharatbhashiya Digamber Jain Parishad and Indira Gandhi National Centre for the Arts all in New Delhi; Central Forensic Science Laboratory, Kolkata; State Central Library, Mumbai; Manipur Association for Science and Society, Imphal, District Language Office, Language and Culture Department (Dist. Chamba) and rest of the 6 were private candidates.

19.6 Two Sessions of Servicing and Repair of Records Courses were attended by 25 Candidates. One each was sponsored by Government Boys Senior Secondary School, Kakrola; National Archives of India, United Services Institute, Ministry of Power, Water and Power Consultancy Services (India), Ltd., all in New Delhi; Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai; Directorate of Archives Archaeology and Museums, Jammu, Khuda Bakhsh Library, Patna, State Archives Department of Himachal Pradesh, Shimla; Maharajadhiraja Kameshwar Singh Kalyani Foundation, Dharbhanga, Shri Mahasarashwatiji Vidyapeeth, Etawa; R.D. Marketing, Ahmedabad; National Institute of Oceanography Regional Centre, Cochin; 2 candidates from National Library Kolkata and rest of the 10 Candidates were private trainees.

19.7 Similarly, 2 reprography courses were attended by 13 candidates. One each was sponsored by Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi; Commissioner of Archives and Historical Research, Tamil Nadu Archives, Chennai; Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai; Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna; National Archives of Nepal, Kathmandu; and rest of the remaining 8 candidates were private trainees.

19.8 In-Service-Training Course in Servicing and Repair of records was conducted for 10 Candidates exclusively for the staff of the National Archives of India, New Delhi.

19.9 Similarly, In-Servicing-Training Course in Archives Administration was also conducted for 9 officials of the National Archives of India.

19.10 Two Sessions of Intensive-in-Service Training Course in Microfilming were attended by 14 candidates sponsored by various organisations. One each was sponsored by National School of Drama, Centre for Cultural Resources and Training, Delhi Public Library, Sangeet Natak Academy, Indira Gandhi National Centre for Arts and 2 Candidates from National Museum, all in New Delhi; One Candidate each was sponsored by Indian Museum and Anthropological Survey of India both in Kolkata, Raza Library, Rampur, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal, Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda and Central Institute of Buddhist Studies, Leh, (Ladakh).

19.11 Besides, the National Archives of India also conducted 8, Five Day Orientation Courses in records management for the designated Departmental

Records Officers during the period under report. In all 141 Departmental Records Officers attended these courses.

19.12 The following 64 Ministries/Departments/Offices have shown their willingness to depute their officials for various in-service-training courses conducted by National Archives of India. These are:- Ministries of Defence, Environment and Forests, External Affairs, Information and Broadcasting, Coal, Parliamentary Affairs, Surface Transport, Railways, Water Resource, Departments of Family Welfare, Economic Affairs, Supply, Company Affairs, Food and Public Distribution and Director General Civil Aviation, Directorate General of Supplies and Disposals, Office of the Controller General of Defence Accounts, Solid State Physics Laboratory, Directorate of Statistics and Intelligence (Central Excise and Customs), I.G.I. Airport, Directorate General Central Reserve Police Force, Coast Guard Headquarter, Town and Country Planning Organisation, National Sample Survey Organisation (Field Operation Division), Planning Commission, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise Chennai-I, B.C.G Vaccine Laboratory both in Chennai; National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Office of the Jute Commissioner, Central Food Laboratory all in Kolkata; Forward Markets Commission, Port Health Organisation, Electronics Regional Test Laboratory (West) all in Mumbai; Directorate of Arecanut & Spices Development, Calicut; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Electronics and Radar Development Establishment, Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka and Goa; Deputy Chief Labour Commissioner (Central) Regional Vocational Training Institute for Women, Branch Secretariat (Department of Legal Affairs) all in Bangalore; Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack; Save Grain Campaign Regional Office, Ahmedabad; Save Grain Campaign Office, Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources) both in Bhubaneswar; Regional Centre for Military Airworthiness, HAL Korwa (Dist.Sultanpur); Proof and Experimental Establishment (Post) Chandipur (Dist.Balasore); Naval Science and Technology Laboratory, Visakhapatnam; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Naval Materials Research Lab Anand Nagar (Dist. Thane); Regional Office (Central Region) Ministry of Environment and Forests, Shillong; Office of the Chief Commissioner Income Tax, Kerala, Cochin; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur; Office of the Joint Director General, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Airport Health Organisation, Tiruchirapalli; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy and Nuclear Fuel Complex both in Hyderabad; Electronics Test and Development Centres, Jaipur, Mohali; Director General Mines Safety, Dhanbad Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile Tura, (Meghalaya); Advanced Training Institute (Directorate General Employment and Training), Ludhiana; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie and Surveyor General's Office Dehra Dun.

19.13 Besides, 13 Public Sector Undertakings who have shown their willingness to sponsor their officials for in-service-training in Records Management and Archives Administration being conducted by the School of Archival Studies in National Archives of India are:- Hindustan PREFAB Ltd., University of Delhi and Bharat Heavy Electricals Ltd., all in New Delhi; Cotton Corporation of India, Mumbai; Hindustan Newsprint Ltd.. Kottayam; Bharat

Dynamics Ltd., Hyderabad; Central Board for Workers Education, Nagpur; National Institute of Hydrology, Roorkee; Ganga Flood Control Commission, Patna; Projects and Development India Ltd., Noida; Raman Research Institute, Bangalore; Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune and the National Academy of Sciences, India, Allahabad.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ARCHIVAL AWARENESS

Under Section 3(2) (d) of the Public Records Act, 1993, the Director General of Archives is authorised by the Central Government to hold exhibitions of public records so as to create archival awareness among the masses. Accordingly, National Archives of India mounted the following exhibitions and also undertook other activities during the period under report.

20.1 In the first week of January, an exhibition entitled 'Sri Aurobindo' which dwelt at length on the life, career and message on the premier philanthropist, Statesman and nationalist of India was mounted by National Archives of India.

20.2 Similarly, on 30th January, 1999 National Archives of India organised another exhibition entitled 'Bapu-The Undying Flame' which was inaugurated by Dr.R.V.Vaidyanatha Ayyar, Secretary, Department of Culture, Government of India. It highlighted multifarious activities of Mahatma Gandhi which was highly appreciated.

20.3 Another exhibition on the life, career and activities of Gulzari Lal Nanda entitled 'Bharat Ratna Gulzarilal Nanda' was also organised. This exhibition was inaugurated by Dr.Murli Manohar Joshi, Hon'ble Union Minister of Human Resource Development on 8th August, 1999. The Exhibition displayed the literature and journals on Nandaji and highlighted his role as a model for all Indians to emulate, besides emphasising the relevance of Nandaji to the present generation.

20.4 Apart from this, the National Archives of India provided useful material from its public records and private archives collection to the Supreme Court of India for organizing an exhibition by them to commemorate the Golden Jubilee of its setting-up. These archival holdings highlighted the emergence and functioning of the Supreme Court besides the growth of system of justice, jurisprudence and judicial role in public life.

20.5 With a view to setting up of Archival Repositories in the States and Union Territory Administrations, Dr.S.Sarkar, Director General of Archives visited Agartala on 24th September, 1999 and held discussions with the Chief Secretary, Government of Tripura for setting up of the State Archives in Agartala.

20.6 He also visited Guwahati, Jorhat and Majuli Island from 21st to 25th June, 1999 to inspect the manuscript kept in the Satras and tendered them advice for the proper preservation of these manuscripts..

20.7 A meeting on 'National Mission on Manuscripts' was held on 8th June, 1999 in the National Archives of India under the Chairmanship of Dr.R.V.V.Ayyar, Secretary, Culture to discuss the modalities of identifying and listing of private archives under the said programme. The meeting was

attended by the Directors of State Archives, Custodial Institutions, Zonal Cultural Centres, Historians and Individual Scholars.

20.8 Director General of Archives attended a meeting of the Joint Advisory Committee of the Archives and Indian Labour held on 26th October 1999 at V.V.Giri National Labour Institute, Noida in which he advised the members as to how the records on labour in India could be collected and preserved properly at the Institute.

20.9 On the request of the Government of Tripura, Shri H.D.Singh, Deputy Director of Archives alongwith two other Senior Officers conducted a workshop on Records Management which was held at Agartala from 13th to 18th December 1999.

20.10 In connection with Archives Week Celebrations of National Archives of India, Dr.S.Sarkar, Director General of Archives delivered a talk on "Preservation of Archival Heritage" over All India Radio in English and Hindi on 14th December, 1999. He also attended a function held at Imphal on 11th December, 1999 which was organised by the State Government for celebrating Archives Week.

PRIORITIES

I was happy when I mentioned in my First Report on the implementation of the Public Records Act, 1993 that the long awaited demand for governing archival and records management activities by statutory provisions has been fulfilled by enacting the Public Records Act, 1993 but the analytical table as given in Chapter 2 of this report has disheartened me badly as only 157 organisations out of 1916 organisations have furnished information for incorporation in this report. In other words the total response of the records creating agencies is 8% only which is beyond my imagination. I can only say that the records creating agencies should give serious consideration to this statutory requirement and re-design their records management activities on the lines stipulated under the said Act. I need not reiterate my firm belief that unless and until the records creating agencies understand this point that the records management activities are infact on-going activities, like activities of the other Branches of the Organisations, perhaps the desired results would never be achieved. In this regard, I would like to suggest that there should be a chapter in the Annual Report of each Organisation which should reflect the steps taken and the progress made on various aspects of records management such as recording, reviewing and indexing of files, preparation of records retention schedule, setting up of Departmental Records Rooms, transfer of records from section to Departmental Records Rooms and to the National Archives of India, declassification of records etc. This will help in keeping a track on the records management activities undertaken by an organisation.

21.1 Appointment of Departmental Records Officer is one of the important aspects which needs urgent attention of the records creating agencies as the Act is to be implemented by them only. I am happy to note that as far as the Ministries and Departments are concerned, all of them have appointed the Departmental Records Officers and, therefore, the position is very encouraging. However, the newly created Ministries/Departments are yet to nominate their Departmental Records Officers. In case of Attached/Subordinate Officers and Public Sector Undertakings etc expeditious action is required. In this regard, I would like to suggest that Administrative Ministries/Departments should address a letter in this regard to all the Offices/Public Sector Undertakings functioning under their control for speedy action under intimation to this Department.

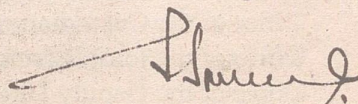
21.2 Another closely related and important aspect of records management is setting up of organised Departmental Records Room by the various Organisations and in this case as well, the position is not very encouraging. I have also come to know that the non-deployment of supporting staff such as Record Clerk, Daftari, Peon, etc in Departmental Record Rooms is hampering the functioning of the Departmental Records Rooms and I would, therefore, urge upon all the Organisations to provide suitable staff for smooth functioning of the Record Rooms. I may also like to inform you that the drawing of a Model Records Room is under preparation and it is expected to be finalised very soon by the CPWD. I will forward the same to the records creating agencies for their perusal and necessary action as soon as a copy is received by me.

21.3 Let me emphasis once again that the Departmental Records Officers may be deputed for undergoing training in Orientation Course on Records Management conducted by this Organisation as it will help them to discharge their functions properly. I am happy to inform you that in order to facilitate participation of the Departmental Records Officers in the Orientation Courses, these apart from New Delhi, are now being conducted at our various centers located in different regions i.e. at Jaipur, Bhopal, Kolkata and Pondicherry. In view of this, may I request you once again to depute your Departmental Records Officers for the courses conducted at these places.

21.4 The most important aspect where there has been no breakthrough is the de-classification of classified records lying with various Ministries. Inspite of the best efforts made by the National Archives of India and the Secretary, Culture, Government of India, no positive solution has come up. It needs sincere efforts on the part of all concerned.

21.5 Similarly, the other aspects of records management like appraisal and transfer of non-current records to the National Archives of India, preparation of records retention schedule for substantive functions, compilation of organisational history also need proper attention of the records creating agencies.

I hope that the records creating agencies will pay due attention to my suggestions made above, which will help them in formulating a well articulated records management programme in their respective organisations.



(Dr. SUKUMAR SARKAR)
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
GOVERNMENT OF INDIA

ANNEXURE-I

List of Ministries/Departments/Offices that have furnished information for incorporation in the Second Report of the Director General of Archives for the year 1999 on the implementation of Public Records Act, 1993.

Ministry of Agriculture

1. Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.
2. Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut.
3. Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin.
4. Central Research Institute, Kasauli.

Ministry of Chemicals & Fertilizers

5. Department of Fertilizers, New Delhi.
6. Department of Chemicals & Petrochemicals, New Delhi.

Ministry of Civil Aviation

7. Office of the Director General of Civil Aviation, New Delhi.

Ministry of Commerce & Industry

8. Department of Supply, New Delhi.
9. Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.
10. Office of the Custodian of Enemy Property for India, Mumbai.
11. Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack.
12. Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong.

Ministry of Communications

13. Chief Post Master General, Gujarat Circle, Ahmedabad.
14. Post Master General, Western Region, Coimbatore
15. Post Master General, North Karnataka Region, Dharwad.
16. Office of the Post Master General, Goa Region, Panaji.

Ministry of Coal

17. Ministry of Coal, New Delhi.

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

18. Department of Food and Public Distribution, New Delhi.
19. Forward Markets Commission, Mumbai.
20. Save Grain Campaign, Regional Office, Ahmedabad.
21. Save Grain Campaign, Regional Office, Bhubaneswar.
22. Save Grain Campaign, Regional Office, Jaipur.
23. Indian Grain Storage Management and Research Institute, Hapur

Ministry of Defence

24. Ministry of Defence, New Delhi.
25. Director General of Quality Assurance, New Delhi.
26. Office of the Controller General of Defence Accounts, New Delhi.
27. Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi.
28. School of Foreign Languages, New Delhi.
29. Solid State Physics Laboratory, Delhi.
30. Regional Centre for Military Airworthiness (Helicopters), Bangalore.
31. Regional Centre for Military Airworthiness, Post Office HAL-Korwa, Dist. Sultanpur.
32. Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore.
33. Proof and Experimental Establishment, Post Chandipur, Distt. Balasore.
34. Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.
35. Snow and Avalanche Study Establishment, Chandigarh.
36. Instruments Research Development Establishment, Dehradun.
37. College of Defence Management, Secunderabad.
38. Naval Materials Research Laboratory, Anand Nagar, P.O. Distt. Thane.
39. Naval Science and Technology Laboratory, Visakhapatnam.

Ministry of Environment and Forests

40. Ministry of Environment and Forests, New Delhi.
41. Regional Office (Central Region), Lucknow.
42. Regional Office (North Eastern Zone), Shillong.

Ministry of External Affairs

43. Ministry of External Affairs

Ministry of Finance

44. Department of Economic Affairs, New Delhi.
45. Directorate of Statistics and Intelligence, Central Excise and Customs, New Delhi.
46. Office of the Director General of Income Tax (Investigation), New Delhi.
47. Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka and Goa, Bangalore.
48. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Chennai-I, Chennai.
49. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Mumbai.
50. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore.

51. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Nagpur.
52. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur.
53. Customs and Central Excise Commissionerate, Rajkot.
54. Office of the Official Liquidator (Rajasthan High Court), Jaipur.

Ministry of Health and Family Welfare

55. Department of Family Welfare, New Delhi.
56. Airport Health Organisation, Delhi Airport, New Delhi.
57. Airport Health Organisation, Tiruchirapalli.
58. Port Health Organization, Mumbai.
59. Port Health Organization, Mandapam Camp.
60. Port Health Organization, Visakhapatnam.
61. B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai.
62. Central Food Laboratory, Kolkata.
63. Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai.
64. Office of the Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur.
65. Office of the Senior Regional Director, Ministry of Health and Family Welfare, Pune.
66. Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Shimla.
67. Model Vital and Health Statistics Unit, Nagpur.
68. Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Distt. Ganjam.

Ministry of Home Affairs

69. Zonal Councils Secretariat, New Delhi.
70. Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi.
71. Headquarters, National Security Guard, New Delhi.
72. Coast Guard Headquarters, New Delhi.
73. Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad.

Ministry of Human Resource Development

74. Department of Secondary Education and Higher Education, New Delhi.
75. Central Institute of Indian Languages, Mysore.

Ministry of Information and Broadcasting

76. Central Board of Film Certification, Mumbai.

Ministry of Information Technology

77. Electronics Regional Test Laboratory (West), Mumbai.
78. Electronics Test and Development Centre, Jaipur.
79. Electronics Test and Development Centre, Mohali.

Ministry of Labour

- 80. Directorate General of Mines Safety, Dhanbad.
- 81. Regional Welfare Commissioner, Allahabad.
- 82. Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bangalore.
- 83. Regional Vocational Training Institute for Women, Bangalore.
- 84. Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile, Tura (Meghalaya).
- 85. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jaipur.
- 86. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jowai (Meghalaya).
- 87. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Nagpur.
- 88. Advanced Training Institute, Ludhiana.

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

- 89. Department of Company Affairs, New Delhi.
- 90. Official Languages Wing (Legislative Department), New Delhi.
- 91. Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Bangalore.
- 92. Registrar of Companies, U.P., Kanpur.

Ministry of Non-Conventional Energy Sources

- 93. Regional Office, Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Bhubneswar.

Ministry of Parliamentary Affairs

- 94. Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi.

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

- 95. Department of Administrative Reforms and Public Grievances, New Delhi.
- 96. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.

Ministry of Planning

- 97. Planning Commission, New Delhi.
- 98. National Sample Survey Organisation (Field Operations Division), New Delhi.

Ministry of Railways

- 99. Ministry of Railways, New Delhi.

Ministry of Steel and Mines

- 100. Office of the Development Commissioner for Iron and Steel, Kolkata.
- 101. Indian Bureau of Mines, Nagpur.

Ministry of Surface Transport

- 102. Ministry of Surface Transport, New Delhi.

Ministry of Science and Technology

- 103. National Atlas and Thematic Organization, Kolkata.
- 104. Surveyor General's Office, Dehra Dun.

Ministry of Textiles

- 105. Office of the Jute Commissioner, Kolkata.

Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation

- 106. Town and Country Planning Organization, New Delhi.

Ministry of Water Resources

- 107. Ministry of Water Resources, New Delhi.

Department of Atomic Energy

- 108. Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.

ANNEXURE-II

List of Public Sector Undertakings/Statutory Bodies which have furnished information for incorporation in the Second Report of the Director General of Archives for the year 1999 on the implementation of Public Records Act, 1993.

Ministry of Agriculture

1. The Cotton Corporation of India Limited, Mumbai.
2. North Eastern Regional. Agricultural Marketing Corporation Limited, Guwahati.

Ministry of Chemicals & Fertilizers

3. The Fertilizer Corporation of India Limited, New Delhi.
4. Indian Farmers Fertilizers Limited, New Delhi.
5. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Mumbai.
6. Projects and Development India Limited, Noida.

Ministry of Civil Aviation

7. Airport Authority of India, New Delhi.

Ministry of Commerce and Industry

8. Hindustan PREFAB Limited, New Delhi.
9. Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd., Ootacamund.
10. Hindustan Newsprint Limited, Kottayam.
11. Mecon Limited, Ranchi.

Ministry of Defence

12. Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad.
13. Dredging Corporation of India Ltd., Visakhapatnam

Ministry of Finance

14. Employees State Insurance Corporation, New Delhi.

Ministry of Health and Family Welfare

15. Central Council of Indian Medicine, New Delhi.
16. International Institute for Population Sciences, Mumbai.
17. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.

Ministry of Human Resource Development

18. University of Delhi, Delhi.
19. Indian Institute of Technology, Chennai.
20. Technical Teachers Training Institute (Western Region), Bhopal.

Ministry of Information Technology

21. ERNET India, New Delhi.
22. Electronics and Computer Software Export Promotion Council, New Delhi.
23. Electronics Trade and Technology Development Corporation Ltd., Kolkata.
24. Central Electronics Limited, Ghaziabad.
25. Software Technology Parks of India, Bangalore.
26. Centre for Materials for Electronics Technology, Pune.

Ministry of Labour

27. Central Board for Workers Education, Nagpur.

Ministry of Power

28. Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi.

Ministry of Steel and Mines

29. Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam.
30. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.

Ministry of Surface Transport

31. Chennai Port Trust, Chennai.
32. Madras Dock Labour Board, Chennai.
33. Mumbai Port Trust, Mumbai.
34. Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai.
35. Hooghly Dock & Port Engineers Limited, Kolkata.
36. Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
37. Mormugao Port Trust, Goa.

Ministry of Science and Technology

38. Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi.
39. Indian National Academy of Engineering, New Delhi.
40. The Indian Science Congress Association, Kolkata.
41. Raman Research Institute, Bangalore.
42. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.
43. Indian Academy of Sciences, Bangalore.
44. Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.
45. The National Academy of Sciences, India, Allahabad.

Ministry of Textiles

46. National Textile Corporation Limited, New Delhi.

Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation

47. Housing and Urban Development Corporation, New Delhi.

Ministry of Water Resources

48. National Institute of Hydrology, Roorkee.
49. Ganga Flood Control Commission, Patna.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE III

NOTE ON THE MINIMUM REQUIREMENTS FOR A RECORDS ROOM ALONGWITH THE JOBS TO BE PERFORMED BY THE STAFF IN THE DEPARTMENTAL RECORDS ROOM

1. Introductory

The Public Records, Act, 1993 (No.69 of 1993) has prescribed, under its sub-section (2) of Section 5, the setting up of the Records Rooms by every Records Creating Agency. Occasional surveys of the state of maintenance and preservation of records in various organisations have revealed that adequate measures to ensure proper upkeep and longevity of records are wanting.

1.1 The present note, therefore, marks out the basic requirements that are essential for safe housing of the semi-current and non-current records in the Records Rooms.

1.2 The salient features delineated below are primarily meant for those Records Rooms that are to be organised in the existing accommodation. While planning for the new office buildings providing for an adequately well equipped Records Room, the standards laid down by the Bureau of Indian Standards in "IS : 2663 - 1988 Code of Practices for the Primary Elements in the Design of Buildings for Archives" may be followed.

2. Records Room

2.1 A separate Records Room/Stack Area is a vital necessity for all the Records Creating Agencies. A Records Room should, as far as possible, be located on the ground floor of a building. If its windows open into the space outside or in the courtyards in the interior, they should be fitted with metal grills and wire mesh nets. To avoid splashing of rain-water in the room, rain shades should be provided at all openings. For reasons of safety of records and security, it is advisable to permit limited entry into such rooms.

2.2 The floor of a Records Room should be such as to permit easy movement of records carrying trolleys etc.

2.3 Where accommodation and design so permits, the stack-area, the record reference and the reception portions should be separate.

3. Drainage

3.1 While selecting the location of the Records Room, it may be ensured that no water pipes or drains pass near, above or under the Records Room building. Further, in order to prevent any inflow of water in the stacks due to blockage of drains or accidental damage to water pipes in the building, its floor level should be raised a few centimeters above the general level of the other floors of the building.

3.2 To allow free movement of the trolleys, ramps should be provided near the entrance.

4. Air-Conditioning

4.1 Storage of records in an air-conditioned atmosphere is conducive to their longevity. Air-conditioning is, therefore, essential for Records Rooms. In existing buildings, which do not have central air-conditioning, use of package type air-conditioner or window type air-conditioner is recommended.

4.2 For effective air-conditioning, ventilation should be so planned as to permit minimum leakage of the conditioned atmosphere. While calculating conditioning load, bulk of shelving equipment, archival material, the number of persons sitting in the Records Room, the bulk of records moving in and out, and the lighting wattage should be taken into account.

4.3 Humidity and temperature in conditioned Records Room should be measured regularly. The ambient conditions for storage of records are (i) temperature 22°C - 25°C and (ii) relative humidity $55 \pm 5\%$.

4.4 In order to maintain proper humidity control in the conditioned area, it is necessary that permeation of dampness through the walls or floors does not take place. The floor should be laid waterproof and the walls should be coated with waterproof oil paint.

4.5 While planning for the air-conditioning for the Records Rooms, it may be ensured that the air-conditioning plant has to provide round the clock air-conditioning all through the year. Such running of plant could lead to occasional service breakdowns. Hence a provision for a stand by plant may also have to be made, lest such breakdowns create conditions which might lead to accelerated damage to records.

5. Non-conditioned Area

5.1 Keeping in view economy in resources, in many cases it may not be possible to get Records Room air-conditioned. In such a case, step should be taken to provide proper circulation of air in the storage room by providing air-circulators, fans and exhaust fans to counteract the effect of high humidity, and prevent formation of pockets of stagnant air in the storage room. Use of chemicals like silica gel or anhydrous calcium chloride in enameled or glazed earthen pots, help to reduce humidity in the room. Mechanical dehumidifiers are now available and during rains their use will help to check the deleterious influence of excessively humid climate.

5.2 Temperature in Records Room can be kept within reasonable range by choosing such rooms that are located in the interiors or have a verandah around them. During summer, the Records Room should be fitted with air-circulators, electric fans and exhaust fans for proper circulation of air, so that high temperature can be brought down. Care should be taken to see that direct sunlight does not fall on the records. This can be achieved by fitting

either tinted glass-panes or heat resistant glass panes on the windows and by providing curtains.

6. Shelving

6.1 Shelving in a Records Room should be such which is simple in design, durable, easy to clean, offering maximum protection to records against fire and ensuring maximum facility and convenience for servicing of records.

6.2 Shelves should be fixed away from the walls on upright fixers and at equi-distance throughout the storage. Distance between successive shelf rows may be 0.7 m with a central gangway of 1.40 m or in accordance with the requirement laid down in "IS : 2663 - 1988 Code of Practices for the Primary Elements in the Design of Buildings for Archives". Distance between successive rows of shelves may depend on dimensions of records/files and the manner of keeping record series on them. A perusal of the Indian standards referred to above will be helpful.

6.3 If steel shelving is provided in the Records Room, it should be painted rustproof. The paint should be stable and non-injurious to documents. Steel shelves may preferably be slotted for vertical free circulation of air. Where wooden shelves are provided, the wood should be protected against termite infestation. Sharp edges and corners in the shelves and supports which can result in physical damage to documents, should be rounded off.

7. Storage

7.1 Collections in Records Room differ in bulk, size and shape and commonly consist of bound volumes, loose sheets, files, manuscripts, maps, charts, plans and drawings etc. Shelving arrangement required for specific materials need designing according to the nature, shape and bulk of the material. While designing these shelves, it may be ensured that neither these nor materials kept on them touch either the walls, ceiling or floor. The distance from wall, ceiling and floor should be at least 31 cm.

7.2 The records should be stacked on the shelves with sufficient space in between, so as to enable free circulation of air and to prevent formation of pockets of high humidity. Unbound records may either be tied between 2 pieces of 5 ply boards or kept in carton boxes made of quality material.

7.3 For movement and proper servicing of records, stepladders or platform type ladders and trolleys fixed with swivel casters may be used.

7.4 For safeguarding the records against damage due to insect infestation, the Records Room should be sprayed with insecticide solutions beneath the shelves, behind the cabinets and also in corners etc. All cracks in the floor and walls should be filled up to deny any hiding place to pests. Use of spray guns or pressure guns or any other similar equipment can be made. However, only those chemicals should be sprayed whose effect on the durability and permanency of paper and other record components has been properly studied.

7.5 In a non-conditioned area, use of preservatives like naphthalene in the form of balls tied in meshed cloth or bricks kept on shelves helps to keep the records safe from insects. The insecticide formulations like Flit, Shell-tox and other related insecticides are effective.

7.6 Much damage to record is usually done by rodents. Whereas it is desirable to prevent their entry into the Records Room by using proper wire-mesh at the outlet drains, a few rat-traps should be kept handy for eliminating their menace in case of their entry in the Records Room. Neither eatables nor smoking, nor naked flame should be allowed in the storage area.

7.7 At the first sign of rise in humidity in the Records Room preventive action should be initiated. Also, advice of institutions like the National Archives of India, New Delhi should invariably be sought in case any insect infestation or fungus growth is noticed or detected.

7.8 In spite of dust-proof building and air-conditioning, dust does find its way to the stored materials. Regular dusting operation in the storage area with the help of a vacuum cleaner is, therefore, desirable to remove dust from the stored material. The Records Room itself should also be kept absolutely clean. Staff engaged in dusting should be provided with dust respirators. A cloth bag with surgical lining that can be changed occasionally, works as a satisfactory respirator.

8. Lighting

8.1 Good lighting with either natural or artificial light is necessary for every Records Room. Modern lighting practice is to provide defused lights of varying intensity for different rooms. Lighting can be improved by using paints that reflect light.

9. Fire Fighting Arrangements

9.1 To protect records against any accidental fire, all electric wiring should be through conduit pipes and the main control switches of lights etc. installed in the storage area should be located outside the Records Room. As far as possible, the Records Room should be made fire resistant. In big Records Room the storage space should be divided into separate fire resistant compartments. Additional automatic dampers should be installed in the centrally air-conditioned areas so that ducts could be immediately closed in case of fire, thereby preventing the spread of fire to other compartments. It is advisable to provide emergency exits, besides the main entry door to the Records Room to remove valuable archival material to safety, when necessary. Every Records Room should be fitted with a fire detection alarm system to detect any fire in the storage area. Use of naked light, heaters and smoking in the room should be prohibited. As a preventive measure against accidental fires, all light and power circuits should be switched off after office hours. Watch and Ward staff provided for this area may use torches, if necessary. Use of temporary lights, loose and ordinary flexible wire for fans, air-circulators and other electrical appliances for the repository should be avoided and instead 'Workshop Braded and Armoured' flexible wire should be used.

Electrical appliances and fittings in the repository should be periodically checked for loose connections and defects rectified. In this connection, detailed instructions laid down in "IS : 1642 - 1989 Code of Practice for Fire Safety of Buildings (General) - Materials and details of Construction", and "IS : 11460 - 1985 Code of Practices for Fire Safety of Libraries and Archives Buildings (Reaffirmed 1991)" may be followed.

9.2 For combating fires, adequate equipment of carbon dioxide (CO₂) type should be provided at suitable places in the Records Room for easy accessibility. Besides, water pipes and hoses should be installed at convenient points to fight any major conflagration.

9.3 All the equipments for either detecting of fire or combating of fire should be checked at regular intervals to ensure that they are in active operative state. Similarly, staff connected with the storage of records should be trained in fire fighting. A fire drill may be arranged at least once in two months to keep the trained staff alert.

9.4 Instructions regarding prevention of fire and fire fighting should be prominently displayed in the Records Room. Likewise telephone numbers of Fire Service Station should also be prominently displayed at a central place in the Records Room. It will help seeking quick aid of the expert fire fighting agencies, whenever exigencies so demand.

10. Care & Vigilance

10.1 To sum up, good house keeping, creation of hygienic conditions, proper breathing environment, combined with constant staff vigilance would facilitate maintenance of records in healthy state and for prolonging their life.

Jobs to be performed in the Departmental Records Rooms by Departmental Records Officer and other supporting staff.

I. Departmental Records Officer :-

The Records Officer shall be responsible for :-

- (a) proper arrangement, maintenance and preservation of Public Records under his charge;
- (b) periodical review of all public records and weeding out public records of ephemeral value;
- (c) appraisal of public records which are more than twenty five years old in consultation with the National Archives of India or, as the case may be, the Archives of the Union Territory with a view to retaining public records of permanent value;
- (d) destruction of public records in such manner and subject to such conditions as may be prescribed under sub-section (1) of Section 8 of the Public Records Act, 1993;
- (e) compilation of a schedule of retention for public records in consultation with the National Archives of India or, as the case may be, the Archives of the Union Territory;
- (f) periodical review for downgrading of classified public records in such manner as may be prescribed under the Public Records Act, 1993;
- (g) adoption of such standards, procedures and techniques as may be recommended from time to time by the National Archives of India for improvement of record management system and maintenance of security of public records;
- (h) compilation of annual indices of public records;
- (i) compilation of organizational history and annual supplement thereto;
- (j) assisting the National Archives of India or, as the case may be, the Archives of the Union Territory for public records management;
- (k) submission of annual report to the Director General or, as the case may be, head of the Archives on the implementation of Public Records Act, 1993 and
- (l) transferring of records of any defunct body to the National Archives of India or the Archives of the Union Territory, as the case may be, for preservation.

II. Assistants or equivalent Officers :-

- 1. Receipt of Semi-Current records from various sections.
- 2. Checking and arrangement with regard to new accession of Semi-Current records for qualitative analysis of reviewing, recording and indexing as per existing procedure so that these may be properly requisitioned in future by the Sections.
- 3. Location of missing records series in the Sections.

4. Compilation and issue of Annual Indices of records.
5. Preparation of Subject-listing of records after arrangement in their respective series.
6. Supervision of issue/restoration of records.

III. Record Clerk :-

1. Preparation of Reminder Lists.
2. Typing of check lists, index entries, index slips, subject lists, retention schedules, reminder list, accession list etc.

IV. Record Attendants/Daftries :-

1. Labelling of bundles.
2. Stitching/docketing of files.
3. Requisitioning of records from the Sections/Offices.
4. Restoration of Records.
5. Repair of torn, old and brittle records.
6. Arrangement of record series on the shelves; and
7. Supervision of special dusting and general dusting of records in the Departmental Record Rooms.

V. Dusting Bearers/Peons :-

1. General daily dusting of records.
2. Special dusting of records; and
3. Transaction of files from Sections to Records Room and vice-versa (Manual Work).

ANNEXURE-IV

List of Government Organizations who have furnished Half-Yearly Returns on the progress made by them in Recording, Reviewing and Indexing of Semi-Current Records.

A. GOVERNMENT ORGANISATIONS

S.No.	Name of Organizations	No. of Half Yearly returns received
<u>Ministry of Agriculture</u>		
1.	Office of the Jute Commissioner, Kolkata.	1
2.	Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut	1
3.	Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin	2
4.	Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Nasik Road	2
5.	Directorate of Marketing and Inspection, Sub-office, Bodinayakanur.	1
<u>Ministry of Chemicals and Fertilizers</u>		
6.	Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi.	1
<u>Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution</u>		
7.	Office of the Chief Controller of Accounts, New Delhi.	1
8.	Forward Markets Commission, Mumbai.	2
9.	Cental Food Laboratory, Kolkata.	1
10.	Save Grain Campaign, Regional Office, Ahmedabad.	1
11.	Save Gain Campaign, Regional Office, Ghaziabad.	1
12.	Save Gain Campaign, Regional Office, Hyderabad	2
13.	Save Gain Campaign, Regional Office, Jaipur.	1
<u>Ministry of Commerce and Industry</u>		
14.	Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi.	1
15.	Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Guwahati.	1
16.	Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Shillong	1
<u>Ministry of Communications</u>		
17.	Department of Telecommunications, New Delhi.	1
18.	Office of the Post Master General, Goa Region, Panaji.	1
<u>Ministry of Tourism & Culture</u>		
19.	Department of Culture, New Delhi.	1

Ministry of Defence

- | | | |
|-----|---|---|
| 20. | Ministry of Defence, New Delhi. | 2 |
| 21. | Office of the Director General, Armed Forces Medical Services, New Delhi. | 1 |

Ministry of Environment and Forests

- | | | |
|-----|--|---|
| 22. | Regional Office (Central Region), Ministry of Environment and Forests, Lucknow. | 2 |
| 23. | Forest Survey of India, Dehra Dun. | 1 |
| 24. | Regional Office (North Eastern Zone), Ministry of Environment and Forests, Shillong. | 1 |

Ministry of External Affairs

- | | | |
|-----|--|---|
| 25. | Ministry of External Affairs, New Delhi. | 1 |
| 26. | Regional Pass Port Office, New Delhi. | 1 |

Ministry of Finance

- | | | |
|-----|--|---|
| 27. | Department of Economic Affairs, New Delhi. | 1 |
| 28. | Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, New Delhi. | 1 |
| 29. | Office of the Commissioner of Central Excise, Ahmedabad. | 1 |
| 30. | Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum. | 1 |
| 31. | Office of the Commissioner of Central Excise, Madurai. | 1 |
| 32. | Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur. | 2 |
| 33. | Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai. | 1 |

Ministry of Health and Family Welfare

- | | | |
|-----|--|---|
| 34. | B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai. | 2 |
| 35. | Central Government Health Scheme, Mumbai. | 2 |
| 36. | Central Drugs Standard Control Organisation, Ghaziabad. | 1 |
| 37. | Central Government Health Scheme, Jabalpur. | 2 |
| 38. | Airport Health Organisation, Mumbai. | 1 |
| 39. | Assistant Drugs Controller (India), Mumbai. | 1 |
| 40. | Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla. | 1 |

Ministry of Home Affairs

- | | | |
|-----|---|---|
| 41. | Ministry of Home Affairs including Department of Justice, Department of Jammu & Kashmir Affairs and Department of Official Languages, New Delhi | 2 |
| 42. | Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi. | 1 |
| 43. | Directorate General, Border Security Force, New Delhi. | 1 |
| 44. | National Institute of Criminology and Forensic Science, New Delhi. | 2 |
| 45. | Headquarters, National Security Guard, New Delhi. | 2 |
| 46. | Zonal Councils Secretariat, New Delhi. | 1 |
| 47. | Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad. | 1 |

Ministry of Human Resource Development

- | | | |
|-----|--|---|
| 48. | Department of Secondary Education and Higher Education, New Delhi. | 1 |
| 49. | Department of Elementary Education and Literacy, New Delhi. | 1 |
| 50. | Central Institute of Indian Languages, Mysore. | 1 |

Ministry of Information and Broadcasting

- | | | |
|-----|--|---|
| 51. | Central Board of Film Certification, Mumbai. | 1 |
| 52. | National Film Archives, Pune. | 1 |

Ministry of Labour

- | | | |
|-----|--|---|
| 53. | Ministry of Labour, New Delhi. | 1 |
| 54. | Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Kolkata. | 1 |
| 55. | Welfare Commissioner, Allahabad. | 1 |
| 56. | Regional Vocational Training Institute for Women, Bangalore. | 1 |
| 57. | Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile Tura (Meghalaya). | 1 |
| 58. | Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jaipur. | 2 |
| 59. | Office of the Regional Labour Commissioner (C), Chandigarh. | 2 |
| 60. | Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Hissar. | 2 |
| 61. | Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jowai (Meghalaya) | 1 |
| 62. | Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jaipur. | 2 |

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

- | | | |
|-----|---|---|
| 63. | Official Language Wing, Legislative Department, New Delhi. | 1 |
| 64. | Office of the Registrar of Companies, Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram, Shillong. | 2 |
| 65. | Office of the Registrar of Companies, U.P., Kanpur. | 1 |
| 66. | Office of the Registrar of Companies, Ernakulam. | 1 |
| 67. | Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Bangalore. | 1 |

Ministry of Mines

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 68. | Ministry of Mines, New Delhi. | 1 |
|-----|-------------------------------|---|

Ministry of Non-Conventional Energy Sources

- | | | |
|-----|--|---|
| 69. | Regional Office, Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Bhubaneswar. | 1 |
|-----|--|---|

Ministry of Parliamentary Affairs

- | | | |
|-----|---|---|
| 70. | Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi. | 2 |
|-----|---|---|

Ministry of Planning and Programme Implementation

- | | | |
|-----|--|---|
| 71. | Planning Commission, New Delhi. | 2 |
| 72. | National Sample Survey Organization (Field Operations Division) New Delhi. | 2 |
| 73. | Industrial Statistics Wing (Central Statistics Organization), Kolkata. | 2 |

Ministry of Surface Transport

- | | | |
|-----|---|---|
| 74. | Ministry of Surface Transport, New Delhi. | 2 |
| 75. | Department of Lighthouses and Lightships, Noida. | 1 |
| 76. | Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman, Lakshadweep Harbour Works, Port Blair. | 2 |

Ministry of Science and Technology

- | | | |
|-----|--|---|
| 77. | Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi. | 1 |
|-----|--|---|

Ministry of Steel

- | | | |
|-----|---|---|
| 78. | Development Commission for Iron and Steel, Kolkata. | 1 |
|-----|---|---|

Ministry of Textiles

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 79. | Ministry of Textiles, New Delhi. | 1 |
|-----|----------------------------------|---|

Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation

- | | | |
|-----|---|---|
| 80. | Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, New Delhi. | 1 |
| 81. | Central Government Employees Welfare Housing Organization, New Delhi. | 1 |
| 82. | Town and Country Planning Organization, New Delhi. | 1 |

Ministry of Water Resources

- | | | |
|-----|---|---|
| 83. | Ministry of Water Resources, New Delhi. | 1 |
|-----|---|---|

Department of Atomic Energy

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 84. | Nuclear Fuel Complex, Hyderabad. | 2 |
|-----|----------------------------------|---|

ANNEXURE-IV

List of Public Sector Undertakings who have furnished Half-Yearly Returns on the progress made by them in Recording, Reviewing and Indexing of Files.

B. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

S.No.	Name of Organizations	No.of Half-Yearly Returns received.
<u>Department of Atomic Energy</u>		
1.	Centre for Advanced Technology, Indore.	1
<u>Ministry of Commerce and Industry</u>		
2.	Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata	1
<u>Ministry of Environment and Forests</u>		
3.	Institute of Wood, Science and Technology, Bangalore.	1
<u>Ministry of Human Resource Development</u>		
4.	National Open School, New Delhi.	1
<u>Ministry of Information Technology</u>		
5.	Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai.	1
6.	Electronics Regional Test Laboratory, Mumbai.	1
7.	Electronics Research and Development Centre of India, Thiruvananthapuram.	1
8.	Centre for Materials for Electronics Technology, Pune.	1
<u>Ministry of Information and Broadcasting</u>		
9.	Broadcasting Corporation of India, New Delhi.	1
<u>Ministry of Power</u>		
10.	Central Power Research Institute, Bangalore.	2
<u>Ministry of Science and Technology</u>		
11.	International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad.	1

Ministry of Surface Transport

12. Mormugao Port Trust, Goa.

1

Ministry of Social Justice and Empowerment

13. Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Mumbai.

1

Ministry of Water Resources

14. Bhakra Beas Management Board, Chandigarh.

2

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE V

List of Organizations who have furnished Half-Yearly Returns on De-Classification of Classified Records.

A. GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

S.No.	Name of Organizations	No of Half-Yearly Returns received.
-------	-----------------------	-------------------------------------

Ministry of Agriculture

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | All India Soil and Land Use Survey, New Delhi. | 1 |
| 2 | Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut | 1 |
| 3. | Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin | 1 |

Ministry of Commerce and Industry

- | | | |
|-----|--|---|
| 4. | Department of Supply, New Delhi. | 2 |
| 5. | Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi. | 1 |
| 6. | Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi. | 2 |
| 7. | Chief Controller of Accounts, New Delhi. | 2 |
| 8. | National Test House, Kolkata. | 1 |
| 9. | Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong | 1 |
| 10. | Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Guwahati. | 2 |

Ministry of Communications

- | | | |
|-----|---|---|
| 11. | The Postmaster General (BD&FM), Mumbai. | 1 |
| 12. | Office of the Post Master General, Goa Region, Panaji. | 1 |
| 13. | Asstt. General Manager (Admn.), Telecom District, Mangalore. | 2 |
| 14. | Office of the Chief General Manager, Telecom, Haryana Circle, Ambala. | 2 |
| 15. | Office of the General Manager Telecom, Amritsar. | 1 |

Ministry of Defence

- | | | |
|-----|--|---|
| 16. | Ministry of Defence, New Delhi. | 2 |
| 17. | Directorate General Resettlement, New Delhi. | 1 |
| 18. | Director General Armed Forces Medical Service New Delhi. | 1 |
| 19. | Army Purchase Organisation, New Delhi. | 1 |
| 20. | Proof and Experimental Establishment, Chandipur (Dist. Balasore) | 1 |
| 21. | Estate Management Unit, Armament Estate, Pune. | 1 |

Ministry of Environment and Forests

- | | | |
|-----|--|---|
| 22. | Regional Office (Central Region), Lucknow. | 1 |
| 23. | Regional Office (NEZ), Shillong. | 2 |
| 24. | Regional Office (NR), Chandigarh. | 2 |

Ministry of External Affairs

25. Regional Passport Office, New Delhi. 1

Ministry of Finance

26. Department of Economic Affairs, New Delhi. 1
27. Office of the Commissioner of Income Tax, Cochin. 1
28. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore. 1
29. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad. 1
30. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur. 2
31. Central Excise Commissionerate, Charidigarh. 2
32. Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum 2

Ministry of Food, Consumer Affairs and Public Distribution

33. Central Food Laboratory, Kolkata 2
34. Save Grain Campaign, Regional Office, Ahmedabad 1
35. Save Grain Campaign Regional Office, Hyderabad 2

Ministry of Health and Family Welfare

36. Airport Health Organisation, New Delhi 1
37. Airport Health Organisation, Mumbai 1
38. Airport Health Organisation, Tiruchirapalli 1
39. Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai. 2
40. Central Government Health Scheme, Jabalpur. 1
41. Central Government Health Scheme, Mumbai. 1
42. Lady Reading Health School, Delhi. 1
43. B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai. 2
44. Asstt. Drug Controller (India), New Mumbai. 1
45. Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla. 2

Ministry of Home Affairs

46. Ministry of Home Affairs (Rehabilitation Division), New Delhi. 1
47. Headquarters, National Security Guard, New Delhi. 2
48. Zonal Councils Secretariat, New Delhi. 1
49. Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi. 2
50. Directorate General, Border Security Force, New Delhi. 1

Ministry of Human Resource Development

51. Department of Elementary Education and Literacy, New Delhi. 2
52. Department of Secondary Education and Higher Education, New Delhi. 2

53. Central institute of Indian Languages, Mysore. 1

Ministry of Information and Broadcasting

54. Central Board of Film Certification, Mumbai. 1
55. National Film Archives, Pune. 1
56. Film and Television Institute of India, Pune. 1

Ministry of Labour

57. Office of the Labour Welfare Commissioner, Allahabad. 1
58. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Nagpur. 1
59. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Hissar. 2
60. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jaipur. 2
61. Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bangalore. 2
62. Labour Welfare Organisation, Bangalore. 1
63. Regional Vocational Training Institute for Women, Bangalore. 1
64. Regional Vocational Training Institute for Women, Arainmile Tura (Meghalaya). 1

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

65. Department of Company Affairs, New Delhi. 1
66. Official Language Wing (Legislative Department), New Delhi. 1
67. Income Tax Appellate Tribunal, Cochin 1

Ministry of Mines

68. Indian Bureau of Mines, Nagpur. 1

Ministry of Non-Conventional Energy Sources

69. Regional Office, Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Bhubaneswar. 1

Ministry of Parliamentary Affairs

70. Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi. 2

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

71. Department of Administrative Reforms and Public Grievances, New Delhi. 1

Ministry of Planning and Programme Implementation

72. Planning Commission, New Delhi. 1

- | | | |
|-----|---|---|
| 73. | National Sample Survey Organization, New Delhi. | 1 |
| 74. | Industrial Statistics Wing, (Central Statistics Organization), Kolkata. | 2 |

Ministry of Railways

- | | | |
|-----|---|---|
| 75. | Ministry of Railways, New Delhi. | 2 |
| 76. | Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman, Lakshadweep
Labour Works, Port Blair. | 2 |

Ministry of Science and Technology

- | | | |
|-----|--|---|
| 77. | Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi. | 2 |
|-----|--|---|

Ministry of Steel

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 78. | Ministry of Steel, New Delhi. | 1 |
|-----|-------------------------------|---|

Ministry of Textiles

- | | | |
|-----|---|---|
| 79. | Ministry of Textiles, New Delhi. | 1 |
| 80. | Office of the Jute Commissioner, Kolkata. | 1 |

Ministry of Tourism

- | | | |
|-----|---|---|
| 81. | Government of India Regional Tourist Office, Kolkata. | 1 |
|-----|---|---|

Department of Atomic Energy

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 82. | Nuclear Fuel Complex, Hyderabad. | 2 |
|-----|----------------------------------|---|

ANNEXURE V

List of Organizations/Public Sector Undertakings who have furnished Half-Yearly Returns on De-Classification of Classified Records.

B. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

S.No.	Name of Organizations	No.of Half-Yearly Returns received.
-------	-----------------------	-------------------------------------

Ministry of Coal

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 1. | Eastern Coal Fields Limited, Burdwan. | 1 |
|----|---------------------------------------|---|

Ministry of Commerce and Industry

- | | | |
|----|--|---|
| 2. | Falta Export Processing Zone, Kolkata. | 2 |
|----|--|---|

Ministry of Environment and Forests

- | | | |
|----|---|---|
| 3. | Institute of Wood, Science and Technology, Bangalore. | 1 |
|----|---|---|

Ministry of Human Resource Development

- | | | |
|----|---|---|
| 4. | National Council of Educational Research and Training, New Delhi. | 1 |
|----|---|---|

Ministry of Information and Broadcasting

- | | | |
|----|---|---|
| 5. | Broadcasting Corporation of India, New Delhi. | 1 |
| 6. | Film and Television Institute of India, Pune. | 1 |

Ministry of Information Technology

- | | | |
|-----|--|---|
| 7. | Society for applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai | 1 |
| 8. | Software Technology Parks of India, Bangalore. | 2 |
| 9. | Electronics Research and Development Centre of India, Thiruvananthapuram. | 1 |
| 10. | Centre for Materials for Electronics Technology, Pune. | 1 |

Ministry of Labour

- | | | |
|-----|--|---|
| 11. | Madras Dock Labour Board, Chennai. | 1 |
| 12. | Central Board for Workers Education, Nagpur. | 1 |

Ministry of Mines

13. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur. 2

Ministry of Power

14. Central Power Research Institute, Bangalore. 1

Ministry of Surface Transport

15. Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai. 1
16. Mumbai Port Trust, Mumbai. 1
17. Mormugao Port Trust, Goa. 2
18. Dredging Corporation of India, Visakhapatnam. 1

Ministry of Science and Technology

19. Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune. 1
20. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore. 1

Ministry of Tourism

21. Hotel Corporation of India Limited, Mumbai. 1

Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation

22. National Capital Regional Planning Board, New Delhi. 1
23. National Building Organisation, New Delhi. 1

Ministry of Water Resources

24. Bhakra Beas Management Board, Chandigarh. 1
25. Central Ground Water Board, Faridabad. 2

ANNEXURE -VI

NAME OF THE DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS WHO HAVE ATTENDED FIVE-DAY ORIENTATION COURSE ON RECORDS MANAGEMENT SINCE SEPTEMBER 1998.

S.No.	Name of the Departmental Records Officer	Name of the Sponsoring Authority
1	2	3
	S/Shri	
1	V. Bakshi	Archaeological Survey of India, New Delhi.
2	Bhoj Raj	Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi
3	K.M. Burde	Murmugao Port Trust, Goa.
4	Dhannal Lal	Department of Pensions & Pensioners Welfare, New Delhi.
5	Gautam Chakraborty	Society For Electronics Test Engineering, New Delhi.
6	Ghosh Dastidar	Department of Ocean Development, New Delhi.
7	L. Ginkhomanji	Department of Steel, New Delhi.
8	Girish Bharihoke	Naitonal institute of Immunology, New Delhi.
9	B.C. Gupta	Central Electricity Authority, New Delhi.
10	V.K. Gupta	Department of Personnel and Training, New Delhi.
11	A.K. Misra	IRCON International Limited, New Delhi.
12	Ms.Nalini Neelakanthan	Ministry of Surface Transport, New Delhi.
13	Y.P. Oberoi	Rural Health Training Centre, New Delhi.
14	R.P. Ram	Delhi Transport Corporation Training School, New Delhi.
15	Rattan Lal	Directorate General of Anti Evasion (Central Excise), New Delhi.
16	B.M. Solanki	Gas Authority of India Limited, New Delhi.
17	S.N. Srivastava	BHEL, New Delhi.
18	S. Munuswamy	BHEL, New Delhi.
19	V.P. Taneja	Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad.
20	Teja Singh	Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad.
21	Vinod Kumar	Surveyor General's Office, Dehra Dun.
22	Abnash Lal	National Capital Region Planning Board, New Delhi.
23	Raghu nath	National Capital Region Planning Board, New Delhi.
24	Ashok Kumar Sharma	Directorate General Civil Aviation, New Delhi.
25	Bineet Bhanja	Ferro Scrap Nigam Limited, Bhilai.
26	Babu Cheriyan	Ministry of Defence, New Delhi.
27	Diwan Sahotra	National Projects Construction Corporation Limited, Faridabad.
28	N.C. Haldar	Directorate of Jute Development, Kolkata.
29	G.H. Kotnise	Bharat Gold Mines, Kolar Gold Fields.

30	G. Mukhopadhyaya	I.S.T.M., New Delhi.
31	S. Banerjee	Hindustan Prefab Limited, New Delhi.
32	Ms. K. Radhamma	Integrated Fisheries Project, Cochin.
33	Rajesh Kumar J.	Nehru Yuvak Kendra Sangathan, New Delhi.
34	Ranbir Singh	Office of the Regional Director, Department of Company Affairs, Kanpur.
35	R.S. Sawhney	Cement Corporation of India, New Delhi.
36	M. Shahabuddeen	R.M.L. Hospital, New Delhi.
37	Ms. Shashi Parihar	Sramik Vidyapeeth, New Delhi.
38	B.S. Sathyanarayan	Auroville Foundation, Villupuram.
39	P.K. Singh	Department of Statistics, New Delhi.
40	Krishan Kumar	Ministry of Water Resources, New Delhi.
41	P.P. Nagrath	Department of Supply, New Delhi.
42	Rajinderlal	Andaman & Nicobar Indian Forest Plantation Development Corporation Limited, Port Blair.
43	B.C. Boro	Office of the Joint Director General, Foreign Trade, Guwahati.
44	B.K. Mathur	Ministry of Civil Aviation, New Delhi.
45	K.K. Vyas	Ministry of Railways, New Delhi.
46	S. Prasad	National Textile Corporation Limited, New Delhi.
47	Dildev Singh	N.T.C., New Delhi.
48	S.K. Bhatia	N.C.E.R.T., New Delhi.
49	U.K. Sharma	Director General Mines Safety, Dhanbad.
50	Trilochan Singh Giani	T.T.T.I, Chandigarh.
51	Syed Shafiuddin	L.H.M.C. & Hospital, New Delhi.
52	P.K. John	Hindustan Newsprint Limited, Kottayam.
53	D.N. Chakraborti	Damodar Valley Corporation, Kolkata.
54	Dr. Sarojit Datta	Damodar Valley Corporation, Kolkata.
55	Ms. Rina Mandal	N.S.F.D.C., New Delhi.
56	Dr. D. Kumar	N.B.D.C., Ghaziabad.
57	K.V. Jaya Prakash	Coconut Development Board, Ranchi.
58	Uttam Prakash	Department of Legal Affairs and Legislative Department, New Delhi.
59	N.R. Nair	Defence Bio-Engineering and Electromedical Laboratory, Bangalore.
60	Pradeep Kumar	Department of Heavy Industry, New Delhi.
61	Ms. T. Janaki	Office of the Assistant Commissioner of Central Excise, Chennai
62	Shafi Mohammad	Central Excise Commissioner, Chandigarh
63	C.B. Burkul	India Security Press, Nashik
64	R.M. Mahendra	Bharat Dynamics Ltd, Hyderabad
65	B. Subbarayudu	Bharat Dynamics Ltd, Hyderabad
66	Pradeep Kumar Verma	Hindustan Prefab Ltd, New Delhi
67	Abinash Chandra Bhattacharjee	State Forest Services College, Dehra Dun
68	K.V. Sharma	N.R.S.A (Department of Space) Hyderabad
69	C. Narayan Rao	Madras Dock Labour Board, Chennai
70	R. Chandra	Office of the Assistant Commissioner of Central Excise, Chennai I, Chennai
71	Ms. V. Jayalakshmi	Office of the Commissioner of Central Excise, Chennai-III, Chennai
72	Ms. M. Kannamal	Office of the Commissioner of Central Excise,

73	M.S.Pathrikar	Chennai-I, Chennai
74	Prabin Kumar Das	Advanced Training Institute, Mumbai
75	K.K.Bhaktavatsalam	Tyre Corporation of India Limited, Kolkata
76	M.A.Gafoor	Advanced Training Institute, Mumbai
77	Dr.N.L.N.S Prasad	Integrated Fisheries Project, Cochin
		Eastern Regional Office, (Ministry of Environment and Forests) Bhubaneswar
78	Vaidyanathan	Ali Yavar Jung National Institute for Hearing Handicapped, Mumbai
79	D.Kirubakaran	Central Silk Board, Bangalore
80	R.Gnanaprakasam	DGQA, New Delhi
81	S.K.Verma	Ministry of External Affairs, New Delhi
82	Amar Singh	Bhakra Beas Management Board, Chandigarh
83	C.M.Singha	Nuclear Fuel Complex, Hyderabad
84	K.H.Tripathi	DGA (Armament) New Delhi
85	P.Mani	National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi
86	S.K.Rattan	National Crime Records Bureau, New Delhi
87	Ms.M.S.Kelkar	CBFC, Mumbai
88	Hari Charan	Maulana Azad College of Technology, Bhopal
89	Ved Prakash Kothiyal	National Water Development Agency, New Delhi
90	A.K.Majumdar	National Anti-Malaria Programme, Delhi
91	Ranjit Singh	Ministry of Steel, New Delhi
92	K.K.Singhal	Central Translation Bureau, New Delhi
93	Pradip Kumar Bandopadhyay	IRIEEN, Nashik Road
94	Ashok Kumar Chanda	NJMC Limited, Kolkata
95	Dr.Shashilata Chaudhary	Directorate of Marketing and Inspection, New Delhi
96	Prithviraj	WAPCOS (1) Ltd, New Delhi
97	Y.Malleswara Rao	Directorate of Marketing and Inspection, Hyderabad
98	R.V.Yadagiri	Indian Railways Institute of Signal Engineering and Telecommunications, Secunderabad
99	S.P.Bakshi	National Institute of Foundry and Forge Technology, Ranchi
100	B.Kujur	Office of the Development Commissioner for Iron and Steel, Kolkata
101	Shyamal Kanti Raa	Office of the Development Commissioner for Iron and Steel, Kolkata
102	M.Sukumar	Neyveli Lignite Corporation Ltd., Neyveli
103	N.C. Srinivasan	Competent Authority S& FEM, Chennai
104	N.Ganesan	Commissioner of Central Excise (P&V), Chennai
105	V.Mani	Dy.Commissioner (P&V) Central Excise III, Chennai
106	R.Suryanarayana Murthy	National Institute of Rural Development, Hyderabad
107	Gurdial Singh	Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh
108	K.M.C Nambiar	Association of Indian Universities, New Delhi
109	Vijay Kumar Nagpure	Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara

110	Sandeep Dhanaote	Narmada Control Authority, Indore
111	Raj Kumar	National Fertilizers Ltd, Noida
112	Ms.Rajlakshmi	Office of the Assistant Commissioner, Central Excise, Madurai
113	Ms.Bhooma S.Kumar	Department of Administrative Reforms and Public Grievances, New Delhi
114	Ms.Promila Thakur	National Institute of SC/ST Development Financial Corporation, New Delhi
115.	C.M.Menon	National Test House, Ghaziabad
116	J.K.Haokep	Song and Drama Division, Guwahati
117	V.S.Pal	Directorate of Quality Assurance (Warship Projects) New Delhi
118	M.M.L Vij	Central Tibetan School Administration, New Delhi
119	Jagdish Singh	Indira Gandhi National Open University, New Delhi
120	Prem Sagar	Office of the Regional Labour Commissioner, Chandigarh
121	K.K.Thomas	India Government Mint, Mumbai
122	Karam Bir Singh	Farakka Barrage Project, Farakka
123	V.Rama Mohana Rao	National Institute for Mentally Handicapped, Secunderabad
124	M.Babu	CGHS Chennai
125	Anil Kumar Singh	Ganga Flood Control Commission, Patna
126	Binay Kumar Barman	Bridge and Roof Company, Kolkata
127	Ram Kumar Sharma	Central Farm Machinery Training and Testing Unit, Budni
128	Kursheed Ahmed SK	Indian Institute of Geomagnetism, Mumbai
129	R.B.Gupta	Town and Country Planning Organisation, New Delhi
130	B.P.Nirmal	Central Ground Water Board, Faridabad
131	Om Prakash	Ministry of Rural Development, New Delhi
132	S.N.Aswathanarayana	Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bangalore
133	S.P Rawat	Indian Meteorology Department, New Delhi
134	Ms.K.C.Janaki	Commissioner of Central Excise, Chennai II, Commissionerate Chennai
135	Ms.M.Indirani	Commissioner of Central Excise, Chennai-I, Commissionerate, Chennai
136	Ms.Sulochana Jayaseelan	Commissioner of Central Excise, Chennai-I, Commissionerate, Chennai
137	Ms.S.Saraswathy	Office of the Assistant Commissioner of Central Excise Coimbatore III Division, Coimbatore
138	Ms.N.Rajammal	Office of the Assistant Commissioner of Central Excise, Coimbatore I Division, Coimbatore
139	Ms.S.Kamaleveni	Office of the Assistant Commissioner of Central Excise, Coimbatore II Division, Coimbatore
140	Ms.Rathi Rani	Office of the Commissioner of Central Excise, Chennai III, Commissionerate, Chennai
141	Ms.C.V.Jalajatchi	Office of the Deputy Commissioner of Central Excise, Chennai-III, Commissionerate, Chennai

142	S.C.Das	International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy, Hyderabad
143	S.P.Mitra	Indian Railway Conference Association, New Delhi
144	K.Muniamuthu	State Forest Service College, Coimbatore
145	R.N.Singh	Ministry of Coal, New Delhi
146	A.K.Sehgal	Fertilizers Industry Coordination Committee, New Delhi
147	V.K.Gauba	Cabinet Secretariat, New Delhi
148	M.K.Krishnan	Cochin Shipyard Ltd, Cochin
149	Sanjay Sinha	Armed Forces Medical Services, New Delhi
150	L.Santhanam	Department of Food and Civil Supplies, New Delhi
151	Ashok Kumar	Regional Wildlife Preservation Office, New Delhi.
152	Kanchan Sharma	Central Pollution Control Board, New Delhi
153	R.Ganesan	Wildlife Regional Office, Mumbai
154	M.Manoharan	Wildlife Regional Office, Chennai
155	K.N.Panday	Headquarter National Security Guard, New Delhi
156	V.Gopalacharyulu	Wildlife Institute of India, Dehra Dun
157	V.C.Rakheja	G.S.Branch/ ADG, PP Army HQ, New Delhi
158	V.K.Sharma	SFS College, Dehra Dun
159	Roshan Lal	Forest Research Institute, Dehra Dun
160	S.M.Warier	Department of Postal Services, Trivandrum
161	P.K.Sarkar	Forest Survey of India, Dehra Dun
162	N.C.Das Roy	Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta
163	M.S.Parmar	Ministry of Defence, New Delhi
164	N.Bhattacharya	Ministry of Environment and Forests, New Delhi
165	V.K.Asrani	Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune
166	R.K.Kureel	Department of Women and Child Development, New Delhi
167	Vinayak Gopal Jadhav	Cotton Corporation of India, New Mumbai
168	Dr. C.Swamidas	Directorate of Marketing and Inspection, Kochi
169	M.C.Mittal	Regional Office (NEZ) Ministry of Environment and Forests Shillong
170	V.K.Srivastava	IIT Campus, Kharagpur
171	M.P.Nathanael	HQ National Security Guard, New Delhi
172	R.K.Sharma	Department of Electronics, New Delhi
173	Dr.M.R.Saklani	Indira Gandhi National Forest Academy, Dehra Dun
174	K.K.Garg	Regional Office (WR), Ministry of Environment and Forests, Chandigarh
175	Ms.Selvapackiam Dorairaj	Office of Commissionerate of Central Excise Chennai III Commissionerate, Chennai
176	Ms.K.Jothi	Office of Commissioner of Central Excise, Chennai III Commissionerate, Chennai
177	C.Jayasankar	Office of the Commissioner of Central Excise, Chennai II Commissionerate, Chennai.
178	Ms.S.Subhalakshmi	Office of the Commissioner of Central Excise, Chennai-I Commissionerate, Chennai.
179	MsD.Lalitha	Office of the Commissioner of Central Excise

180	Ms. N.Lalitha	Chennai I Commissionerate, Chennai. Office of Commissioner of Central Excise, Chennai III Commissionerate Chennai.
181	G.Hemlatha	Office of Assistant Commissioner of Central Excise, Chennai IV Division, Chennai
182	Ms.A.Santha Kumari	Office of the Commissioner of Central Excise, Chennai I Commissionerate, Chennai
183	Mukand Lal	Directorate General of CRPF, New Delhi
184	Snehal Kumar Aphale	Regional Office (WR), Ministry of Environment and Forests, Bhopal
185	A.T.Jadhav	Central Excise Commissionerate, Aurangabad
186	Dr.Niraj Kumar	National Academy of Sciences India, Allahabad
187	P.Venu	Song and Drama Division, Chennai
188	R.K.Sharma	Delhi Development Authority, New Delhi
189	K.L.Prashar	Delhi Development Authority, New Delhi
190	Ms.Shanthi Bai	Office of Commissioner of Central Excise Chennai-II, Commissionerate, Chennai
191	K.Lakshmi Narayan	Office of the Commissioner of Central Excise, Tiruchirapalli
192	Virendra Kumar	Indian Grain Storage Management and Research Institute, Hapur
193	N.D.Aggarwal	Hindustan Prefab Limited, New Delhi

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA